खण्ड-202, अंक-5
बुधवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(4 मार्च, 1959 ई0)

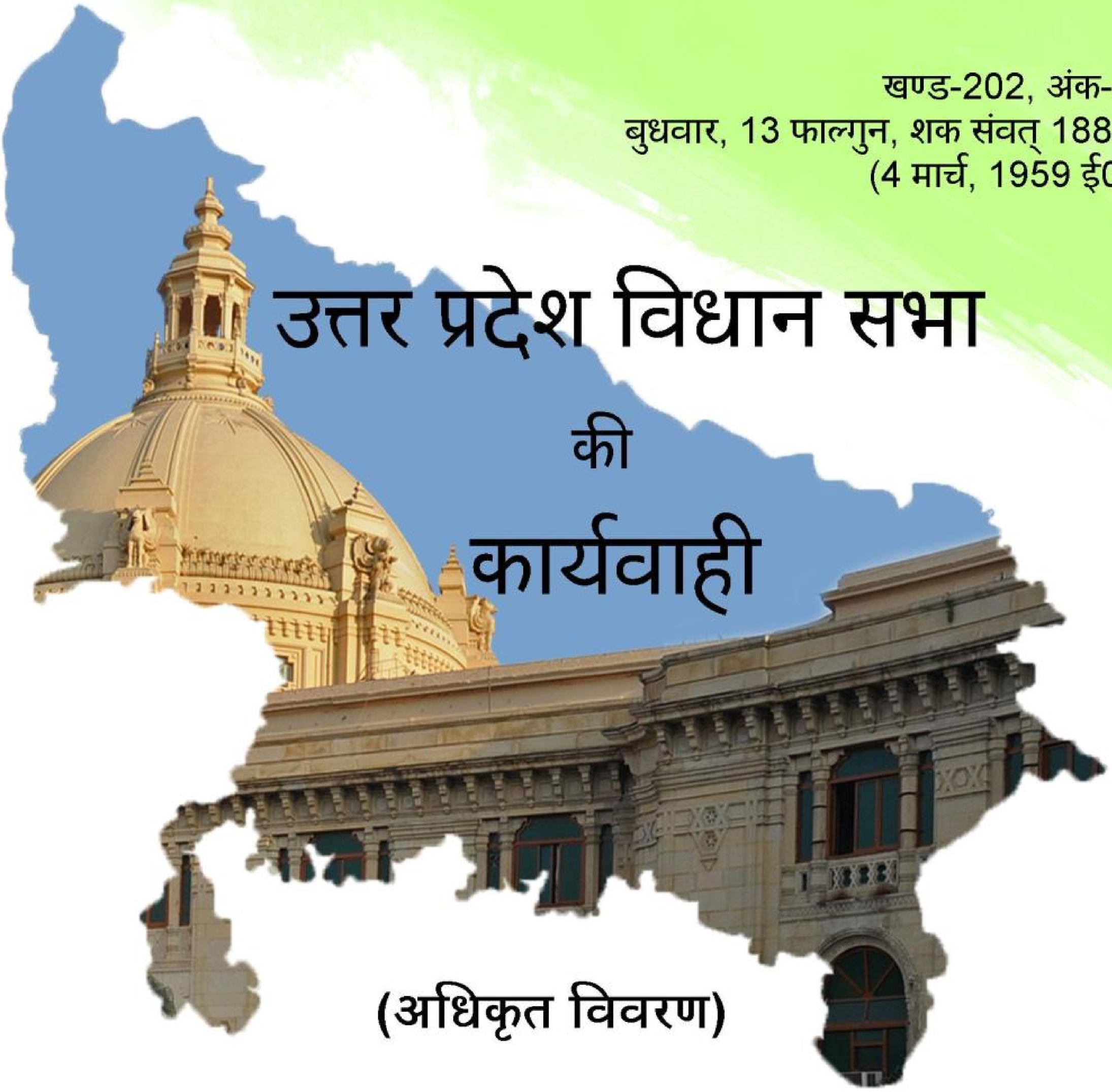

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीनखां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---o---

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ मार्च, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

अशोक मेहता खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशें

****१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतायेगी कि Asoka Mehta Foodgrains Enquiry Committee की उन सिफारिशों में से जो प्रदेशीय सरकार से सम्बन्धित हैं वह किन-किन को लागू कर चुकी हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—अशोक मेहता खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध सरकार के विभिन्न विभागों से है और वांछित सूचना एकत्रित करने में काफी समय लगेगा। माननीय सदस्य यदि स्पष्ट रूप से निश्चित सिफारिशों के विषय में पूछेंगे कि वे लागू हुई हैं या नहीं तो उत्तर देने का प्रयत्न किया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो सिफारिशें खाद्य विभाग से सम्बन्ध रखती हैं वे लागू हुईं या नहीं और कौन-कौन लागू हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक फूड ग्रेन्स स्टेबिलाइजेशन आर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है उसमें लाइसेन्सी तो हमने कर दिया है लेकिन अनड्यू डिस्पैरिटी जो प्राइसेज में होती है उसके लिये तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट करेगी और बाकी कुछ गल्ला खरीदने और उसका बफर स्टाक मुकर्रर करने का काम हम कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज और इन्डस्ट्रियल प्राइसेज में पैरिटी करने की योजना, जो कि सिफारिश है, और ऐग्रीकल्चरल जो प्राइसेज हैं उनकी ऐडवान्स में प्राइसेज फिक्स करने के ऊपर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसे केन्द्रीय सरकार करेगी और वह स्टेट गवर्नमेंट की सलाह और विचार विमर्श से तय होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजगमढ़)—अशोक मेहता इन्क्वायरी कमेटी ने पूर्वी जिलों के विकास के सम्बन्ध में जो सिफारिश की थी उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—विकास का अर्थ तो बहुत व्यापक होता है, आप किसी खास बात पर प्रश्न करें।

श्री चन्द्रजीत यादव—पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या को हल करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—फेयर प्राइस शाप्स खोलने की सिफारिश थी और पूर्वी जिलों में काफी मात्रा में शाप्स खोल दी गई हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट का जो आखिरी चेप्टर है, जो प्राब्लम एरिया मान कर यू० पी० के लिये लिखा गया है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैंने जैसा कहा कि अगर आप किसी निश्चित बात को पूछें तो मैं उसको बता दूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न मूल्य नियन्त्रण और अन्य वस्तुओं के मूल्य संतुलन के विषय में परामर्श किया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अभी तो जिस चीज की खरीदारी कर रहे हैं उसी का मूल्य नियन्त्रण कर रहे हैं जैसे कि चावल ।

सरकारी भिक्षुक-गृह

****२---**श्री गनेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से भीख मांगने वालों के लिये कहां-कहां (पुअर हाउस) सेवा सदन खुले हुये हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)---जी हां । दो भिक्षुक गृह खोले गये हैं, एक हरिद्वार में तथा दूसरा वाराणसी में ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो भिक्षुक गृह खोले गये हैं उन्हें बन्द कर दिया जावे और उसके बजाय जो भीख मांगने वाले हैं उनमें जिनको उचित समझा जाय, लाइसेन्स दे दिया जाय ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है और न भीख मांगने वालों को लाइसेन्स देने से कोई लाभ होगा, ऐसी बात समझ में आती है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---इन भिक्षुक-गृहों का भीख मांगने-वालों पर क्या असर पड़ा है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---यदि संख्या का प्रश्न है तो बहुत कम असर हुआ है क्योंकि करीब १ लाख भिक्षुक हमारे प्रदेश में हैं । वहां भिक्षुकों को काम सिखाने की चेष्टा की जाती है और उनका सही नाम भिक्षुक कर्मशाला है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---भिखारियों की तादाद के आंकड़े क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने १ लाख बता दिया है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या बनारस में ज्यादा भिक्षुक हैं इसलिये वहां भिक्षुक गृह खोला गया है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---हरिद्वार और वाराणसी दोनों धार्मिक स्थान हैं । यदि वहां ज्यादा हैं नहीं तो पहुंच जाते हैं ।

श्री गेंदा सिंह---क्या तीसरा भिक्षुक गृह खोलने का सरकार मथुरा में विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---यदि सदन पैसा देगा तो खोला जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न

पडरौना तहसील से गांव समाजों का लगान वसूल करने के लिये प्रार्थना पत्र

*१—**श्री ब्रज नारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया, के कितने गांव समाजों ने स्वयं मालगुजारी वसूल करने के प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—तहसील पडरौना, जिला देवरिया, की कुल ५ गांव सभाओं ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं ।

*२—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना में कितने गांव समाज स्वयं लगान वसूल करते हैं ?

श्री धर्म सिंह—कोई नहीं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे पांच गांव कौन से हैं ?

श्री धर्म सिंह—मगरा, आबादीघर, पिपराई, खलवार बकलूई और प्रधान पट्टी ।

श्री ब्रज नारायण तिवारी—खलवार बकलूई और प्रधान पट्टी के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार ने क्या किया ?

श्री धर्म सिंह—वे कम्पैक्ट ब्लाक में नहीं थे, इसलिये उस पर निर्णय नहीं हो पाया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या एक गांव को अलग लगान वसूली का काम नहीं दिया जा सकता है ?

श्री धर्म सिंह—नहीं, चूंकि ४,५ गांवों पर ही एक अधिकारी होता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी ने उन गांव समाजों के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया है कि उनके आवेदन-पत्र ठीक नहीं थे इसलिये उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है तो उन्हें सूचित ही समझना चाहिये ।

*३–४—**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)—[३ मार्च, १९५९ को प्रश्न संख्या २३–२४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

लखीमपुर के एक नायब तहसीलदार को पदच्युत करना

*५—**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अगस्त व सितम्बर सन् १९५९ को लखीमपुर तथा सीतापुर जिले में वृहत् जोतकर के सभी नायब तहसीलदारों, जो तीन वर्ष से अधिक से उस पद पर कार्य कर रहे थे, का तबादला कर दिया गया है ?

श्री धर्म सिंह—अगस्त व सितम्बर सन् ५८ को लखीमपुर तथा सीतापुर जिले में वृहत् जोत कर के कोई नायब तहसीलदार ३ वर्ष से अधिक से वहां उस पद पर कार्य नहीं कर रहे थे । अतएव इस आधार पर किसी के तबादले का प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री देवनारायण भारतीय —क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अगस्त और सितम्बर सन् १९५८ को कितने बृहत् जोतकर नायब तहसीलदार लखीमपुर से पदच्युत किये गये हैं, किस कारण से किये गये हैं ?

श्री धर्म सिंह—अगस्त सन् १९५८ में जिला लखीमपुर में केवल एक कर नायब तहसीलदार को पदच्युत (revert) कर दिया गया था जिसका कारण यह था कि उनका काम असंतोषजनक होने के साथ-साथ उनकी ईमानदारी भी संदेहजनक थी और उस समय उनसे सीनियर दूसरा कर्मचारी भी मिल गया था ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उस नायब तहसीलदार की ईमानदारी और काम असन्तोषजनक था तो उसे रिवर्ट करके ही क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री धर्म सिंह—यही मुनासिब समझा गया था ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या उसने जनता का पैसा अपहरण किया था या सरकार का, कैसे ईमानदारी में सन्देह था ?

श्री धर्म सिंह—नोटिस चाहिये ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को सूचना है कि ३ वर्ष से कम के कुछ नायब तहसीलदार वहां से हटाये गये हैं ?

श्री धर्म सिंह—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

तराई-भावर एस्टेट

*७—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तराई-भावर एस्टेट की व्यवस्था (प्रशासन) को समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह—जी हां । जिला नैनीताल में स्थित तराई-भावर सरकारी आस्थानों को नैनीताल के साधारण प्रशासन में मिला देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्नशील है और यह आशा की जाती है कि पूर्ण विघटन (Complete merger) आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जायगा ।

*८—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपरोक्त व्यवस्था को समाप्त करने के बाद वहां के काश्तकारों के हकों में कोई परिवर्तन होगा ?

श्री धर्म सिंह—उपर्युक्त आस्थानों को भंग करने के उपरान्त वहां के कृषकों के हकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी अपनी नीति स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि विघटन होने के बाद वहां के किसानों का भविष्य क्या होगा और जिनके पास आज ६००, ८०० एकड़ के फार्म हैं उनके लिये क्या नीति होगी ?

श्री धर्म सिंह—प्रश्न के उत्तर में ही है कि कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री प्रताप सिंह—क्या जो आज पट्टे पर जमीन लिये हुये हैं वे उसके मालिक समझे जावेंगे ?

श्री धर्म सिंह—ये नियम के अन्तर्गत आते होंगे तो जरूर ऐसा विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या वहां वर्तमान व्यवस्था को लागू करते समय जमींदारी एबालीशन ऐक्ट भी साथ ही साथ लागू कर दिया जायगा ?

श्री धर्म सिंह---नोटिस चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पिछले वर्ष सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस वित्तीय वर्ष तक, खाम स्टेट, १-४-५९ तक थीं, तो वे एक साल के लिये क्यों स्थगित कर दी गईं ?

श्री धर्म सिंह---नोटिस चाहिये।

धौरा जलाशय की भूमि

*९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि धौरा जलाशय के निर्माण हेतु कितनी भूमि सरकार द्वारा हस्तगत (acquire) की गई है और कब ?

श्री धर्म सिंह---विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

*१०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसे बिना हस्तगत किये ही काम शुरू कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह---जी हां। सम्बन्धित किसानों ने अपनी भूमि सिंचाई विभाग को मुआवजा मिलने से पूर्व ही देने की लिखित स्वीकृति दे दी थी। अतः भूमि को बिना हस्तगत किये ही काम आरम्भ कर दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पहले में पूछा था कि कितनी एक्वायर की गई। इसमें लिखा है कि हस्तगत की और १०वें में लिखा है कि हस्तगत नहीं की। ये परस्पर विरोधी उत्तर हैं इसलिये इन प्रश्नों के लिये कोई दूसरी तारीख लगाई जाय।

श्री धर्म सिंह---प्रश्न ९ की एक ही सूची है जिसमें २ प्रकार की जमीनें हैं, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी। इस प्रश्न में भूमि को बिना हस्तगत किये हुए आरम्भ कर दिया गया। तो जितनी जमीन ली गई है सब पर काम चालू नहीं हुआ, थोड़ी पर हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर भी सरकार ने बिना उनकी इजाजत के काम शुरू कर दिया है ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। फारेस्ट डिपार्टमेंट से इसको पूछना पड़ेगा।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितनी जमीन ऐसी है जिस पर बिना हस्तगत हुए काम शुरू कर दिया गया है ?

श्री धर्म सिंह---स्थायी रूप से जो ली गयी है वह २१ एकड़ है, अस्थायी भूमि २० एकड़ है जिस पर कार्य शुरू कर दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि भारत के प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल जी, को अभी हाल में एक चिट्ठी नानक सागर बांध आदि के सिलसिले में बिना एक्वायर किये काम शुरू कर देने के सिलसिले में सरकार के पास आयी है कि यह प्रणाली गलत है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्म सिंह---चिट्ठी का विवरण इस समय मेरे पास नहीं है; वह देखना पड़ेगा।

पूर्णागिरि बांध योजना

*११--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार ने कोई 'पूर्णागिरि बांध योजना' नाम की नई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री धर्म सिंह--पूर्णागिरि बांध योजना की छानबीन हो रही है । यह योजना अभी बन कर तैयार नहीं हुई है, अतएव इसके पूर्ण विवरण को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि इस पूर्णागिरि योजना में क्या छानबीन हो रही है और किस लिये हो रही है ?

श्री धर्मसिंह--पूर्णागिरि बांध योजना शारदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर अल्मोड़ा जिले में बांध बनाने की योजना है जो टनकपुर से दस मील दूर भारत-नैपाल सीमा पर स्थित है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना में कितना पानी बढ़ाये जाने की योजना है और क्या इस सम्बन्ध में नैपाल सरकार से भी बातचीत चल रही है ?

श्री धर्मसिंह--इस सिलसिले में बातचीत भी चल रही है और जैसा कि मैंने बताया सर्वे इत्यादि भी हो रहा है ।

गोरखपुर जिले में बांधों की मरम्मत तथा गांवों को ऊंचा करना

*१२--**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील डुमरियागंज (बस्ती) में कितने गांवों की सतह (level) १ जनवरी, १९५७ से ३० सितम्बर, १९५८ तक ऊंची की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री चरण सिंह)--बाढ़ विभाग बस्ती ने १ जनवरी, सन् १९५७ से ३० सितम्बर, सन् १९५८ तक डुमरियागंज तहसील में १८ गांवों का स्तर ऊंचा किया है ।

*१३--**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की राप्ती और रोहिन नदियों के बांधों को १९५८ के वर्षाकाल में जो क्षति पहुंची थी उसे दुरुस्त कराने में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री चरण सिंह--रोहिन नदी पर माधोपुर और बनरहा बांधों पर वर्षाकाल (१९५८) में मरम्मत कराने में निम्नलिखित धनराशि व्यय हुई है :

माधोपुर बांध	९० रुपया
बनरहा बांध	२३ रुपया

राप्ती नदी पर मलांव बांध पर वर्षाकाल १९५८ में निम्नलिखित धनराशि व्यय हुई है :

मलांव बांध	६९ रुपया

उन्नाव, शाहजहांपुर, एटा तथा मैनपुरी में प्रवेशालयों और शरणालयों पर व्यय

*१४--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव, शाहजहांपुर, एटा और मैनपुरी में पुरुषों के लिये शरणालय एवं प्रवेशालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो उनमें कितने पुरुषों को संरक्षण मिल रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, ३१ अगस्त, १९५८ को इन शरणालयों में आश्रितों की संख्या निम्न प्रकार थी :

	संख्या
१--उन्नाव	८
२--शाहजहांपुर	६
३--एटा	९
४--मैनपुरी	१

*१५--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--सरकार इन आलयों पर १९५७-५८ में कितना धन व्यय कर चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सन् १९५७-५८ में इन आलयों पर १०,३८९.९९ रुपया व्यय किया गया है । उपरोक्त धन शरणालय एवं प्रवेशालय के आश्रितों के वस्तु, भोजन, वर्तन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कार्यालय के लिये फर्नीचर तथा आश्रितों के लिये मनोरंजन की वस्तुओं के लिये व्यय किया गया ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो व्यय किया गया है, इसमें फरनीर पर कितना व्यय किया गया और उनके खाने पीने पर कितना व्यय किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस शरणालय में किस प्रकार के पुरुष रखे जाते हैं, अपंगु या निर्धन ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका समाज में उपेक्षा का स्थान है और यदि वह अपंगु भी है तो उसको रखा जा सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां जो व्यक्ति रखे जाते हैं, उनके कार्य के लिये भी कोई व्यवस्था की गयी है और क्या वहां पर उनको सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का प्रयत्न किया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो प्रवेशालय है, थोड़े समय के लिये कोई आदमी रहे और फिर उसे काम मिले तो बाहर चला जाय । लेकिन यह कि उनके लिये कोई अलग से काम सिखलाने की व्यवस्था हो, ऐसा इस प्रवेशालय में नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि समाज में उपेक्षित व्यक्ति बेकार हों तथा वे वयस्क और हृष्ट-पुष्ट हों, तो भी उनको इस प्रवेशालय में स्थान मिलेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बेकार व्यक्तियों के लिये इसमें स्थान मिले ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु यदि कोई समाज का शिकार हो और इस प्रकार की कठिनाई में हो कि उसके पास कुछ भी नहीं हो और उसके पास ऐसे भी साधन नहीं हों कि वह अपना भोजन भी पा सके तो उसे स्थान देने की चेष्टा की जाती है ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव में जो ६ शरणालय बनाये गये हैं वे किस-किस स्थान पर खोले गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, यह तो व्यक्तियों की संख्या है, शरणालयों की नहीं है । उन्नाव के शरणालय में आश्रितों की संख्या ८ है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बतलाया गया कि शाहजहांपुर के शरणालय में ६ पुरुष मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये शरणालय और प्रवेशालय शाहजहांपुर में किस जगह पर स्थित हैं और किसके प्रबन्ध में चल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुहल्ले का नाम तो मुझे नहीं मालूम है इस समय । जो वहां अधिकारी हैं, उनके कब्जे में है और उनके पास है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---यह ज्ञात हुआ है कि तन्दुरुस्त व्यक्ति भी उसमें रह सकते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे तन्दुरुस्त व्यक्तियों के लिये कोई अवधि है कि इतने दिन के बाद उनको वहां से जाना पड़ेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो इस पर निर्भर है कि कोई व्यक्ति समाज में बहुत दुरवस्था में है और यदि वह वहां एक दो दिन ठहरना चाहे तो इस बात की कोशिश की जाती है कि उसको कहीं काम मिल जाय और इस तरह का काम मिलने पर वह वहां से चला जाता है । इसके लिये कोई अवधि नहीं नियत है कि दो दिन के बाद उसको बाहर निकाल खड़ा कर दिया जायगा । यह कि एक दिन या एक महीना उसको रखा जाय, ऐसी कोई बात नहीं है ।

आगरे में महिलाओं व लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन कानून को लागू करने की प्रार्थना

*१६---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार को दमन करने वाले १९५६ के कानून के अन्दर प्रदेश में कहां-कहां स्पेशल पुलिस अफसरों की नियुक्ति हो गई है ? आगरा में यह नियुक्ति कब हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन एंड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956) की धारा १३ (१) के अन्तर्गत लखनऊ, अल्मोड़ा, वाराणसी, देहरादून, मेरठ तथा गोरखपुर जिलों में पन्द्रह स्पेशल पुलिस अफसरों की नियुक्ति की गई है । आगरा में अभी तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

*१७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या यह सही है कि आगरा में ऐसी महिलाओं और लड़कियों के आवास के लिये लगभग सौ रुपये माहवार तक का मकान लेने की स्वीकृति दी गई है ? अगर हां, तो वह स्वीकृति कब दी गई थी और मकान लिया गया या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---दिसम्बर, १९५७ में सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य रक्षा तथा उत्तर रक्षा सेवा योजना (Social and Moral Hygiene and After care Services Scheme) के अन्तर्गत आगरा में एक जिला शरणालय एवं अभ्यर्थना केन्द्र (District Shelter-cum Reception Centre) की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी तथा उसके भवन के किराये के लिये सौ रुपये प्रति महीने की दर से प्राविधान किया गया था । उपयुक्त मकान न मिलने से उपरोक्त जिला शरणालय एवं अभ्यर्थना केन्द्र न खोला जा सका । वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनाभाव से ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में स्पेशल पुलिस आफिसर की नियुक्ति अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आगरा में यह योजना अभी तक चालू नहीं की गयी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में अभी तक इसको चालू क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, इस योजना के चालू करने का प्रयास इस प्रकार से किया गया कि जहां से इस प्रकार के अनैतिक व्यापार के लिये केन्द्रों में कुछ बालिकायें आती हैं तो वे ज्यादातर जो इधर के बोर्डर के जिले हैं, उनमें लायी जाती हैं। और कोशिश यह की गयी कि पहले बोर्डर के जिलों को लिया जाय और फिर दूसरे जिलों को लिया जाय। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुए इन ६ जिलों में जिनका मैंने नाम लिया चालू की गयी और जैसे-जैसे समय आगे आयेगा और धन मिलने की संभावना होगी और भी जिलों में उसको चालू करने की संभावना है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार का इस योजना को प्रदेशीय रूप देने का विचार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रदेशीय रूप देने का ख्याल जरूर है लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है और ऐसा ख्याल है कि जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है कि आसपास के क्षेत्रों में जहां इस अनैतिक व्यापार को रोका जा रहा है वहां से अनैतिक व्यापार करने वाली महिलायें और उनके साथी भाग-भाग कर आगरे आ रहे हैं जिसके कारण आगरे में शीघ्र ही यह योजना चालू की जानी चाहिए?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---माननीय सदस्य की सूचना ठीक ही होगी। मैं भी उसको ठीक ही समझ कर उस पर विचार करने की चेष्टा करूंगा।

*१८---२०---कुंवर श्रीपाल सिंह---[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

भर्थना तथा लखना में बिजली की आवश्यकता

*२१---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के पड़ोसी व्यापारिक कस्बे भर्थना, लखना को कब तक बिजली प्राप्त हो सकेगी?

श्री चरण सिंह---ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में वर्क्स काउन्सिल न होना

*२२---श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आज्ञा दिनांक १५ जुलाई, १९५८ के अनुसार कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक वर्क्स काउन्सिल न बनने के क्या कारण हैं?

श्री धर्म सिंह---वर्क्स काउंसिल बनाने के लिये पर्याप्त कर्मचारियों और उनके लिये समुचित दफ्तर के स्थान के न होने के कारण वर्क्स काउंसिल अब तक नहीं बन पाई।

श्री बलवान सिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि स्थान तथा कर्मचारियों की व्यवस्था करके कब तक वर्क्स कौंसिल की स्थापना की जायगी?

श्री धर्म सिंह---स्थान के लिये प्रयत्न किया जा रहा है और कुछ कर्मचारी दिये जा चुके हैं और बाकी के लिये उचित कार्यवाही हो रही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को मालूम है कि वर्क्स कौंसिल बनाने का आश्वासन वहां पर कितने समय से दिया गया है?

श्री धर्म सिंह---कोई तिथि तो मैं निश्चयपूर्वक नहीं बतला सकता।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में केसा के मजदूरों ने जो अपने स्मृति-पत्र में मांग की थी उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने क्या विचार किया है ?

श्री धर्मसिंह---वे क्या-क्या मांगें थीं उनका पूर्ण विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---वर्क्स कौंसिल न बनने के कारण वहां के मजदूरों के जो औद्योगिक विवाद उठते ह उनको किस प्रकार निपटाया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो जो लेबर ऐक्ट में प्राविजन हं उस के मुताबिक ही किया जाता है।

श्री बलवान सिंह---एडहाक कमेटी ११ साल से केसा में चल रही है फिर भी काम ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस वक्त किस चीज से मजदूरों के हित का काम हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह---मैंने निवेदन किया जैसे प्राब्लम्स होते हैं उनके आधार पर कार्य किया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---केसा को १ अप्रैल से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलाया जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अलग वर्क्स कौंसिल होगी ?

श्री धर्मसिंह---यह भी प्रश्न विचाराधीन है।

मैनपुरी जिले में कुछ टाउन एरियाओं को बिजली न मिलना

*२३---**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की टाउन एरिया (१) बेवर, (२) करहिल, (३) भोगांव में बिजली लगाने का विचार है ?

*२४---यदि हां, तो उक्त टाउन एरियाओं में बिजली लगाने की निर्धारित तथा अन्तिम तिथि क्या है ?

श्री धर्मसिंह---धनाभाव के कारण यह कहना कठिन है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की बाकी अवधि में किन ग्रामों व नगरों में बिजली लग सकेगी ।

श्री रामदीन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी, टाउन एरिया बेवर एक ऐसी जगह है जहां से हो कर आगरा, कानपुर, ग्वालियर, बरेली रोड्स जाती हैं और इन सब का यह चौराहा है तो यहां बिजली लगाने की कृपा की जायगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं हो सकता है । और जहां तक बेवर का सम्बन्ध है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि वहां बिजली पहुंचायी जाय। उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो मैनपुरी में बड़ा बिजली घर बना है वहां से बिजली भिजवाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह---बिजली की कमी नहीं है लेकिन आगे लाइन ले जाने के लिये पैसा लगाना पड़ता है । लाइन खींचने के लिये बहुत से धन की आवश्यकता है । जितना हमारे पास धन था प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ खर्च हो गया है जो बाकी बचा है उसमें बेवर के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में बेवर, करहल और भोगांव में बिजली लगा दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---अभी से तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये नहीं कहा जा सकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दो साल बाकी हैं और जहां तक बेवर और करहल का प्रश्न है यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष---भोगांव के बारे में भी वह पूछना चाहते हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रताप सिंह---मंत्री जी ने अभी कहा कि इसमें पैसे की जरूरत है तो कितना एस्टीमेट बना है और कितने रुपये की जरूरत है ?

श्री धर्मसिंह---करहल के लिये ६४,००० रुपया खर्च होगा और दूसरे का जहां तक प्रश्न है उसकी इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

बलवन्त राय मेहता समिति की नलकूपों के लिये विद्युत दरों के संबंध में सिफारिश

*२५---**श्री मुक्ति नाथ राय** (जिला आजमगढ़)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सरकार से सिफारिश की है कि नलकूप को दी गई बिजली की दर वही होनी चाहिये जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली बिजली की है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। बलवन्त राय मेहता कमेटी ने सरकार से सिफारिश की है कि नलकूपों को दी गई बिजली की दर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली बिजली की दर से अधिक न होनी चाहिये।

*२६---**श्री मुक्ति नाथ राय**---यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---क्योंकि नलकूपों को दी गई बिजली की दर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली बिजली की दर से कम है अतः कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी दरें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक ट्यूबवेल्स और इंडस्ट्रियल परपजेज की रेट्स का प्रश्न है तो इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये ४ आना पर यूनिट और स्टेट ट्यूबवेल्स के लिये ३ आना पर यूनिट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस बात को देखते हुये कि ट्यूब वेल्स की जो वर्तमान रेट्स हैं उसमें काश्तकार पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है सरकार इसको और रेशनलाइज करने या कम करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--- यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*२७---**डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सीतापुर जिले को १९५८ के खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में स्केयरसिटी एरियाज के लिये ५ हजार रुपया अनुदान रूप में दिया गया था ? यदि हां, तो वह किन-किन तहसीलों में किस-किस मात्रा में वितरित हुआ ?

श्री धर्मसिंह--- जी हां, केवल सिधौली तहसील में ७६० रुपये वितरित किया गया।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया तो सारे जिले के लिये दिया गया होगा सिधौली ही में क्यों बांटा गया ?

श्री धर्मसिंह---वहां बांटने के लिये आवश्यकता थी इसलिये बांटा गया।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---मंत्री जी बतायेंगे कि क्या आधार था बांटने का ?

श्री धर्म सिंह---जो जिलाधीश ने निर्णय किया था, जहां-जहां आवश्यकता थी वहीं पर बांटा गया।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि जिले के और भी भाग हैं, खास कर के मिसरिख तहसील, जहां ६० गांव स्कैयरसिटी एरिया में आ गए हैं और बहुत पीड़ित हैं उनके बारे में भी कुछ विचार करेंगे ?

श्री धर्म सिंह---इस समय तो कोई विचार करने का प्रश्न नहीं है। कुछ आवश्यकता भी नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि जब सिधौली तहसील में ५ हजार का अनुदान बांटा गया था तो मिसरिख तहसील में.....

श्री अध्यक्ष---५ हजार में से ७६० बताया है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जिस समय सिधौली तहसील में रुपया बांटा गया उस समय मिसरिख तहसील में कुछ गांव स्कैयरसिटी एरिया के अन्दर थे या नहीं ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा तो नहीं है कि सिधौली तहसील के कोई सरकारी बैन्च के खास एम० एल० ए० की विशेष सिफारिश पर यह कार्य किया गया ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

रौनाही पम्प हाउस का मोजैक फर्श

*२८---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रौनाही, जिला फैजाबाद स्थित घाघरा के नहर के उद्गम स्थान पर सिंचाई विभाग के नव-निर्मित भवन की छतों में टाइल्स लगाई गई हैं ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री धर्म सिंह---रौनाही पम्प हाउस की छत पर ४,४४३ रुपये की लागत से मोजैक का फर्श बनाया गया है।

*२९---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या यह सही है कि टाइल्स लगाये जाने पर इंजीनियरों ने एतराज किया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, आरम्भ में इंजीनियरों में मतभेद था। परन्तु बाद में यह देख कर कि यह स्थान रौनाही यात्रियों के लिये आकर्षक है, मोजैक के फर्श बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंजीनियरों के एतराज के बावजूद भी टाइल्स की छत बनाई गई ? यदि हां, तो कितना खर्च हुआ ?

श्री धर्म सिंह---वह तो निवेदन कर दिया गया है कि ४,४४३ रुपये की लागत से बनी।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह टाइल्स छत जो बनाई गई थी, उसको खोद डालने के बाद मोजैक की छत बनाई गई ?

श्री धर्म सिंह---मोजैक का तो फर्श बनाया गया है जैसा कि मैंने उत्तर में निवेदन किया है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या पहले यह फर्श टाइल्स का बनाया गया और उसके खराब होने के बाद मोजैक का बनाया गया ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

मिर्जापुर के मेकेनिकल सब-डिवीजन में भ्रष्टाचार की जांच

*३०---**श्री भीखा लाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के बांध विभाग की मजदूर यूनियन, मिर्जापुर ने एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास १३-२-५८ को भेजा था जिसमें मिर्जापुर के मेकेनिकल सब-डिवीजन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधिकारी वर्ग द्वारा राष्ट्रीय धन के अपव्यय के कुछ उदाहरण दिये गये थे ? यदि हां, तो उस में मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री धर्म सिंह---जी हां। उक्त प्रार्थना पत्र में लगाये गये मुख्य आरोप इस प्रकार हैं :---

(१) ट्रैक्टरों पर मनमानी ढंग से व्यय किया जाना, तथा अविश्वसनीय कागजात तैयार किया जाना।

(२) वर्कशाप में दो ट्रैक्टरों का लापरवाही ढंग से मरम्मत किया जाना।

(३) इंजीनियर तथा मेकेनिक की अयोग्यता के कारण कुछ यन्त्रों का नुकसान होना।

(४) वर्कचार्ज स्टाफ की बेकायदा छंटनी होना, और उसके कारण उनके रिट पिटीशन (writ petition) पर बहाल होने पर सरकार द्वारा उन्हें घर बैठे रुपया दिये जाने की सम्भावना।

*३१---**श्री भीखा लाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र देने से पूर्व यूनियन ने चीफ इंजीनियर, उत्तर प्रदेश को एक प्रार्थना-पत्र द्वारा इन्हीं सब बातों की सूचना ९ जून, १९५७ को दी थी ?

श्री धर्म सिंह---जी नहीं।

*३२---**श्री भीखालाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई और उसका क्या फल निकला ?

श्री धर्म सिंह---इस विषय में अभी जांच की जा रही है।

श्री भीखा लाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है ?

श्री धर्म सिंह---हेडक्वार्टर पर एक डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं उनके द्वारा की जा रही है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह प्रार्थना-पत्र कब आया और इसके आने के कितने दिन बाद जांच शुरू की गई ?

श्री धर्म सिंह---यूनियन का प्रार्थना-पत्र १३-२-५८ को आया था और २९-३-५८ को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बुन्देलखंड को तहकीकात इत्यादि करने के लिये भेज दिया गया।

श्री भीखा लाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच में लगभग एक साल लग चुका है, अभी कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री धर्म सिंह-- यूनियन का जो प्रार्थना-पत्र आया था वह तो १३-२-५८ को आया था, एक साल लगने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्र जीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश जारी करेंगे कि जांच करने वाले आफिसर जब जांच करें तो वह यूनियन के प्रतिनिधियों को भी अपनी बात कहने का मौका दें ?

श्री धर्म सिंह--जांच करने वाले अधिकारी पर ऐसी पाबन्दी तो नहीं लगाई जा सकती कि वह किस तरह से जांच करें लेकिन उनको अधिकार है कि वह चाहें तो उन्हें भी बुला लें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि १३-२-५८ और ४-३-५९ के बीच में साल भर से भी अधिक का समय हो गया ?

श्री धर्म सिंह-- जैसे ही पत्र आया उस पर उसी समय से कार्यवाही की गई, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को भेजा, फिर थोड़ी सी रिपोर्ट आई, उस पर सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई तब उसके बाद दोबारा तहकीकात की जा रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके सामने मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी जाने की सुविधा प्रदान की जायगी ?

श्री धर्म सिंह--वह तो मैंने निवेदन किया कि कोई शर्त इस तरह की नहीं लगाई जा सकती, उनको अधिकार है वह चाहें तो उन को भी बुला लें।

परशुपुर-मझवारा सड़क के जन्हई बांध पर पुल की आवश्यकता

*३३--**श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)-- क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के १२ गांव सभाओं के प्रधानों की हस्ताक्षर से परशुपुर-मझवारा रोड पर जन्हई बांध पर पुल बनाने के लिये १३-२-५८ के मेरे पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं।

*३४--**श्री राम सुन्दर पांडेय**--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात के दिनों में यातायात की मुख्य मार्ग होते हुये पुल के अभाव में प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों को आने-जाने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिये कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह-- कठिनाई होती है। मगर पुल बनाने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय-- क्या सिंचाई मंत्री जी फिर अपने कार्यालय से जांच करायेंगे कि १३-२-५८ को जो पत्र भेजा गया है उस के सम्बन्ध में दफ्तर की पियुन बुक पर कार्यालय के कार्यकर्ता के दस्तखत हुये हैं और जवाब दिया गया है "जी नहीं" ऐसा क्यों हुआ ?

श्री धर्म सिंह-- जवाब तो बहुत छानबीन के बाद दिया गया था लेकिन जैसा माननीय सदस्य कहते हैं उसके अनुसार भी दिखला लिया जायगा।

श्री उग्रसेन-- क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि लोगों को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो इस प्रश्न को सूचना मान कर वह किसी पुल के बनाने की योजना स्वीकार करेंगे ?

श्री धर्म सिंह--- धन की कमी है, इसी कारण से यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाथरस के छात्रों की हड़ताल

*३५---**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाथरस के छात्र विगत कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है?

*३६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने छात्रों की मांग पर क्या विचार किया है?

श्री चरण सिंह--- मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, हाथरस, के छात्र १ दिसम्बर, १९५८ से ७ जनवरी, १९५९ तक हड़ताल पर थे। छात्रों की मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५८-४५९ पर)

*३७---**श्री हरदयाल सिंह पिपल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर सरकार ने क्या विचार किया है?

श्री चरणसिंह---मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में इन्स्टीट्यूट के छात्रों, जिला संयोजक युवक कांग्रेस, हाथरस, श्री प्रेम चन्द शर्मा एम० एल० सी०, तथा प्रिंसिपल मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, से छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए, और उन पर जो कार्यवाही हुई उसका विवरण प्रश्न ३५, ३६ के उत्तर में उल्लिखित सूची में दिया है।

गौरा बरहज नगरपालिकाओं में बिजली की मांग

*३८---**श्री उग्रसेन**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या देवरिया जनपद स्थित गौरा बरहज नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता पाने पर भी बिजली अभी नहीं लगाई गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह---इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है। परिस्थिति को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसका विद्युतीकरण कब हो सकेगा।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि पहले यहां बिजली लगाने के लिये खम्भे व तार गिरा दिये गये थे लेकिन बाद में न मालूम किस के आदेश से काम बन्द कर दिया गया?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब नगरपालिका ब्योरा और बरहज में और छोटे छोटे टाउन एरियाज तक में बिजली लग रही है तो यहां क्यों नहीं लगाई जाती?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अगले साल इस बात को देखा जायगा कि वहां पर बिजली लग सकेगी या नहीं।

मोहनलालगंज तहसील में जमींदारी बांड व पुनर्वास अनुदान के के लिये फार्म मिलने में असुविधा

*३९---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)---क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ की मोहनलालगंज या अन्य तहसीलों में जमींदारी बान्ड व पुनर्वास अनुदान लेने के निमित्त फार्मों की सरकार ने प्रति फार्म क्या फीस रखी है?

श्री धर्मसिंह—जमींदारी बांड व पुनर्वास अनुदान लेने के निमित्त फार्मों की कोई फीस नहीं ली जाती, न सरकार द्वारा कोई फीस निर्धारित की गई है।

*४०—**श्री रामशरण यादव**—क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के कुछ लेखपालों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत आई है कि इस वर्ष बान्ड के सिलसिले में उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है ?

श्री धर्म सिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मालूम होती है।

श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि तहसील मोहनलालगंज में मुआवजा बान्ड्स और पुनर्वास अनुदान के फार्म्स देने के लिये वहां के कार्यालय अधिकारियों ने कोई लाइसेन्स दे रखा है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामशरण यादव—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि बावजूद इसके कि तहसीलदार साहब ने हिदायत कर दी कि फार्म्स दिये जायं सरकारी अधिकारियों ने फार्म्स नहीं दिये और दो-दो रुपया लेकर फार्म्स दिये गये ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने उन फार्म्स को जनता को उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री धर्मसिंह—जहां-जहां से मांग आती है उसके आधार पर उसका प्रबन्ध किया जाता है।

श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि मोहनलालगंज तहसील से इन फार्मों की कमी की शिकायत सरकार के पास आयी है और सरकार ने कोई व्यवस्था अब तक उसकी की है ?

श्री धर्मसिंह—इसकी तो मेरे पास कोई इत्तला नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री रामशरण यादव—माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि कोई शिकायत मालूम नहीं होती है यह वह निश्चित बात कहते हैं जांच के बाद या यहां चूंकि उनकी फाइल पर ऐसी बात नहीं है इसलिए कहा है ?

श्री अध्यक्ष—उसका अर्थ तो स्पष्ट है, उनको यहां मालूम नहीं है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रश्नकर्त्ता ने तारीख २१-१-५९ को पहली बार नहीं तीन बार फार्मों के सिलसिले में जो रिपोर्ट दी है उसमें मस्तेमऊ, सूर्यामऊ और गौरैयां कलां के लेखपालों के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें की हैं ?

श्री धर्मसिंह—वह तो प्रार्थना पत्र दिये हैं माननीय सदस्य ने, वह डिटेल्स की चीज है, उसकी सूचना नहीं है। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरी इस सूचना को आधार मानते हुए इस बात की जांच करायेंगे और उन लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यदि इस प्रकार की कोई सूचना है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो उसको दिखवा लेंगे और जांच करा लेंगे।

*४१-४२—**श्री उग्रसेन**—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४--श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)--[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्मोड़ा जिले में लगान तथा तकावी वसूली में कथित सख्ती

*४५--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के मल्ला सालम डोलफाट पट्टी में लगान और तकावी के पिछले बकाया वसूली में होने वाली सख्ती के विरुद्ध किसान सभा की ओर से जिलाधीश के पास एक पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो सरकार ने वसूली में की जाने वाली सख्ती को रोकने के लिये अब तक क्या किया है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं । वसूली के सम्बन्ध में कोई सख्ती नहीं की गई है, लिहाजा उसे रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मल्ला सालम डोलाफाट पट्टी के पटवारी के विरुद्ध वहां की किसान सभा ने जिलाधीश को कई बार पत्र दिया, लेकिन उसकी अब तक कोई जांच नहीं की गयी ?

श्री धर्मसिंह--लगान इत्यादि के विषय में नहीं दिया और किसी विषय में होगा, उसकी सूचना मेरे पास में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मैंने खुद वहां लिखा था कि यहां इस साल भुखमरी है जिस पर टेस्ट वर्क खोला गया और यह भी लिखा था कि तकावी माफ कर दी जाय, वह नहीं की गयी और जबरदस्ती वसूल हो रही है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिए तो नोटिस की आवयकता है ।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सालम के किसानों के ऊपर तकावी का कितना रुपया बाकी है ?

श्री धर्मसिंह--इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

हरदोई जिले में कुर्क अमीन की बर्खास्तगी

*४६--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में जिला हरदोई में कितने लगान वसूल करने वाले कुरक अमीन तथा नायब तहसीलदार सरकारी रुपया गबन करने में पृथक् किये गये अथवा निकाले गये, उन पर अदालत में मुकदमा चला ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--केवल एक अमीन को गबन के आरोप में निकाला गया । सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४७--श्री मोहन लाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में कितने नये कुर्क अमीनों की नियुक्ति हुई और क्या उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एक बार सजा पाकर पृथक् किये जा चुके थे ?

श्री चरण सिंह--केवल ४ अमीनों की नियुक्ति की गई और इनमें से किसी को पहले सजा नहीं मिली ।

*४८-५०--श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा)--[गृह मन्त्री से सम्बन्धित ६ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५६-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में महिला कल्याण योजना न होना

*५१--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में महिला कल्याण योजना का केन्द्र किन-किन स्थानों पर है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--गाजीपुर जिले में सरकार की महिला मंगल योजना चालू नहीं है ।

*५२--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस योजना के अन्तर्गत गाजीपुर में कितनी महिला सेविकायें वर्तमान समय में कार्य कर रही हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह प्रश्न नहीं उठता ।

*५३--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार जिला गाजीपुर के पचोतर परगने के मरदह तथा बरेना ग्राम में केन्द्र खोलने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस वर्ष गाजीपुर जिले में महिला मंगल योजना चालू करना सम्भव नहीं है ।

श्री यमुना सिंह--क्या निकट भविष्य में गाजीपुर में महिला मंगल योजना खोलने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--धन जब मिल सकेगा तो इसके ऊपर विचार किया जायगा, वैसे गाजीपुर जिले में यह राज्य समाज-कल्याण सलाहकार बोर्ड के वहां ७ केन्द्र चलते हैं ।

इटावा जिले के नहर विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*५४--श्री भजन लाल (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के नहर विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनमें से क्रमशः कितने परिगणित जाति तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं:

(१) ओवरसियर,
(२) टंडैल,
(३) दफेदार,
(४) डिप्टी रेवेन्यू आफीसर,
(५) जिलेदार,
(६) अमीन,
(७) पतरौल,
(८) बरकन्दाज,
(९) सुपरिन्टेंडेंट दफ्तर के सभी क्लर्क,
(१०) एक्जीक्यूटिव आफिसर के क्लर्क,
(११) माली,
(१२) ड्राइवर

श्री धर्म सिंह--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६० पर)

श्री भजन लाल--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिला इटावा के नहर विभाग से संबंधित अधिकारियों के चुनाव का नियम क्या हैं ?

श्री धर्म सिंह--भिन्न भिन्न जगहों के लिए भिन्न भिन्न नियम होते हैं ।

श्री भजन लाल--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सूची के आधार पर परिगणित एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की अल्पसंख्या क्यों है ?

श्री धर्म सिंह--कोशिश तो इस बात की की जाती है। क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट्स टेक्निकल हैं और कुछ प्रोमोशन इत्यादि के द्वारा होते हैं, तो जहां तक परिगणित और पिछड़ी जातियों का सम्बन्ध है उनका कोटा पूरा किया जाय।

श्री भजन लाल--इस विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर में ११ क्लर्क हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में १६ क्लर्क हैं, लेकिन इनमें से एक भी परिगणित और पिछड़े वर्ग का नहीं है, ऐसा क्यों ?

श्री धर्म सिंह--जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, यह बात ठीक है कि ११ और १६ क्लर्कों में से एक भी परिगणित या पिछड़े वर्ग का नहीं है। इसके लिये प्रयत्न किया जाता है और यदि ठीक प्रकार के विद्यार्थी मिल जाते हैं तो उनको लेने की कोशिश की जाती है।

श्री गरीब दास (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में होने वाले चुनावों में सम्बन्धित अधिकारियों को यह आदेश जारी करेंगे कि जब तक परिगणित जातियों का कोटा पूरा न हो जाय तब तक किसी अन्य की नियुक्ति न की जाय ?

श्री धर्म सिंह--जी नहीं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी मालियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे कि और उनमें से कितने परिगणित या पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री धर्मसिंह--कुल ६ जगहें मालियों की हैं जिनमें से १ परिगणित जाति का है और ३ पिछड़े वर्ग के हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या राजस्व मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि मालियों में अनुपात पूरा क्यों नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं हिसाब की कुछ गड़बड़ी है। आपका यह प्रश्न जमता नहीं है। उन्होंने बताया कि १ परिगणित जाति का है और ३ पिछड़ी जातियों के हैं, तो ६ में ४ हो गये।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलेदार, अमीन, पतरौल, बरकन्दाज, माली ऐसी जगहों के लिये जबकि किसी खास टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है तो इन जगहों पर कितने परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने फेहरिस्त दे दी।

श्री राजनारायण--जिलेदार में बता दें।

श्री अध्यक्ष--सब में बता दिया।

श्री रामशरण यादव--जो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि योग्यता नहीं होगी, तो क्या जो निर्धारित योग्यता रखी गयी थी उस योग्यता के प्रार्थना-पत्र नहीं आये थे ?

श्री धर्मसिंह--प्रार्थना-पत्रों के डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। निवेदन यह करना है कि इटावा जिले में पूछा है तो वहां जैसे ओवरसियर हैं या और बहुत सी जगहें हैं उनमें जैसे जैसे वेकेन्सी होती है उसके आधार पर पुराने तरीके से लोग चले आते हैं। हो सकता है कि उस वक्त टेक्निकल आदमी न हों।

कलेक्शन नायब तहसीलदार

*५५--**श्री भजन लाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं तथा उनमें से कितने पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त हैं और कितने नहीं ?

श्री धर्म सिंह--इस समय प्रदेश में ४८२ कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं । इन में से ३७६ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त हुए व्यक्तियों में से हैं तथा शेष १०६ कलेक्शन नायब तहसीलदार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त नहीं हैं ।

*५६--**श्री भजन लाल**--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन कलेक्शन नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं हुई और वे पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उनके विषय में सरकार का क्या विचार है ?

श्री धर्म सिंह--ऐसे कलेक्शन नायब तहसीलदारों के नाम पब्लिक सर्विस कमीशन को उनकी स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं ।

श्री भजनलाल--क्या सरकार बतायेगी कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों के निर्वाचन का आधार क्या है ?

श्री धर्मसिंह--इसकी कुछ योग्यतायें निर्धारित हैं उनके आधार पर होता है ।

श्री प्रताप सिंह--क्या यह सही है कि राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं उनको तहसीलदार बनाया जायगा ?

श्री धर्म सिंह--यह सरकार के विचाराधीन है कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों के कुछ परसेंटेज को परमानेंट कर रहे हैं और यह बाद में निर्णय किया जायगा कि कितनों का प्रमोशन हो ।

श्री भजनलाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कलेक्शन नायब तहसीलदार के लिये योग्यता कितनी होनी चाहिये ?

श्री धर्म सिंह--इंटरमीडियेट पास ।

श्री भजनलाल--क्या सरकार बतायेगी कि ४८२ कलेक्शन नायब तहसीलदारों में से १०६ कलेक्शन नायब तहसीलदार पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नियुक्त नहीं हुये ?

श्री धर्म सिंह--प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में निवेदन किया गया है कि उनके केसेज पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के लिये भेज दिये गये हैं ।

श्री भजनलाल--क्या यह सही है कि सरकार से जब मैंने तारांकित प्रश्न द्वारा जबाव मांगा तो उस समय ये नाम स्वीकृति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजे गये हैं ?

श्री धर्म सिंह--यह तो मुझे देखना पड़ेगा । इसमें नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने ऐसे कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं जो ५ साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं और जिनके नाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजे गये हैं ?

श्री धर्म सिंह--उनकी संख्या बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी उन लोगों का परसेंटेज बताने की कृपा करेंगे जो कन्फर्म किये जायंगे ?

श्री धर्म सिंह--एक तिहाई का परसेंटेज सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामशरण यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह फैसला किया गया है कि १/३ कन्फर्म किये जायंगे तो इसका आधार क्या है ? कलेक्शन नायब तहसीलदारों ने मांग की है या सरकार ने फैसला किया है या पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग है ?

श्री धर्म सिंह--सरकार ने निर्णय किया है उसी आधार पर यह किया जा रहा है ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कलेक्शन नायब तहसील-दार अस्थाई हैं उनको स्थाई करने के लिये वे विचार कर रहे हैं।

श्री धर्म सिंह---मैंने निवेदन किया कि १/३ के लिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अरल नदी पर अतरछेड़ी के बांध की निर्माण योजना

*५७---श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बरेली, तहसील आऊंला, मौजा अतरछेड़ी के पश्चिम में अरल नदी का बांध बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, यह प्रश्न सन् १९५७ से विचाराधीन था कि अरल नदी पर अतरछेड़ी के पास एक बांध बनाया जाय। धन की कमी के कारण इस योजना पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई कार्य करना सम्भव नहीं है।

*५८---श्री नत्थू सिंह---क्या सरकार ने इसका सर्वे करा लिया है ? यदि हां, तो इससे कि ने गांवों की कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इसमें कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, लगभग ८० गांवों में लगभग ५,५८६ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके निर्माण में ७.६७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

*५९---श्री नत्थू सिंह---क्या यह सच है कि इस स्थान पर सरकार द्वारा कच्चा बांध हर साल बांधा जाता है ? यदि हां, तो इस साल यह बांध कब तक बन जावेगा ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, १९५३-५४ से हर साल कच्चा बांध बांधा जा रहा था और इस वर्ष भी काम शुरू कर दिया गया था, किन्तु काम पूरा होने के पहले ही उस क्षेत्र के इलाके की जनता ने इस बांध को काट डाला जिससे कि वह पूर्णतया बह गया। अब इस पर कार्य स्थगित कर दिया गया है।

श्री नत्थू सिंह---क्या यह सच है कि इस साल देर तक वर्षा होने के कारण दरिया में पानी ज्यादा था इसलिये बांध कट गया और जनता ने नहीं काटा ?

श्री धर्म सिंह---जी हमारे पास जो सूचना है उसी के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जनता ने ही काटा।

श्री नत्थू सिंह---मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ८० गांवों के काश्तकारों की रबी की सिंचाई नहीं हो सकी तो क्या मंत्री जी खरीफ से पहले बांध बनवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री धर्म सिंह---यह तो सरकार हमेशा से बनाती आ रही है और इस साल ऐसी बात इत्तफाक से हो गयी है। अगले साल इस बात के लिये पूर्णतया कोशिश की जायगी।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से जो हम को एक किताब मिली थी उसमें इस बांध का एस्टीमेट १ लाख ८० हजार था और यह जो इसमें दिया गया है वह ७ लाख ६७ हजार है ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बुलन्दशहर जिले का धूम नाला

*६०---श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नाला धूम जो ग्राम दुजाना, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर से निकलता है उसे बन्द कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

नोट :---तारांकित प्रश्न ५९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह---जी नहीं । यह एक महत्वपूर्ण नाला है और इसे बन्द करना उचित न होगा ।

*६१-६२---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिरगो बांध में ली गयी भूमि संबंधी मुआवजा के लिये सत्याग्रह

*६३---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिरगो बांध, जिला मिर्जापुर में कितने किसानों की भूमि ली गई है और कब ली गई है ?

श्री चरण सिंह---जिरगो बांध, जिला मिर्जापुर के निर्माणार्थ ८३ किसानों की ३४१.९ एकड़ भूमि अक्टूबर, १९५६ में, १०१ किसानों की ८० एकड़ भूमि अक्तूबर, १९५७ में तथा २८० किसानों की १२८ एकड़ भूमि दिसम्बर, १९५७ में ली गई ।

*६४---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---उसका मुआवजा किसानों को अब तक जो नहीं दिया गया उसके विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह---जितनी भूमि अब तक बांध के निर्माण के लिये अधिकृत की गई है उसका मुआवजा कृषकों को वितरित कर दिया गया है । विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६५---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या यह सही है कि मुआवजा न पाने के कारण तथा भूमिहीन हो जाने के कारण किसानों ने मुआवजा पाने के लिये सत्याग्रह शुरू किया ? यदि हां, तो कब तक सत्याग्रह शुरू हुआ और कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं । अधिकृत हुई भूमि के सम्बन्ध में कोई सत्याग्रह नहीं हुआ । कुछ किसानों ने उस भूमि के विषय में सत्याग्रह किया था जो कि बांध निर्मित होने पर जून, १९५९ के उपरान्त डूब में आयेगी । सत्याग्रह अक्टूबर, १९५८ में शुरू हुआ था और १७-११-५८ को समाप्त कर दिया गया । लगभग ३०० व्यक्ति इस आन्दोलन में पकड़े गये थे जो १७-११-५८ को मुक्त कर दिये गये ।

*६६-६७---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)---[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

तहसील करछना में टोन नदी के किनारे भूमि के सर्वेक्षण की आवश्यकता

*६८---**कुमारी कमल कुमारी गोईंदी** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार सर्वे करा कर यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील करछना में टोन नदी के किनारे कितनी भूमि reclaim की जा सकती है ?

*६९---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस भूमि पर छोटी-छोटी कितनी बन्धियों की कहां-कहां पर आवश्यकता है और कब तक वहां पर बन्धियां बनने का काम आरम्भ होगा ?

श्री चरण सिंह---इस प्रकार के सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा बनाये गये Soil Erosion Control Board द्वारा किया जाता है अतएव यह सर्वेक्षण कार्य उक्त बोर्ड को सौंपने के लिये उन की स्वीकृति आवश्यक है । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायगी । वांछित सूचना तभी दी जा सकती है जब Soil Erosion Control Board इस कार्य के करने को सहमत हो जाये और सर्वेक्षण पूर्ण हो जाय ।

सारदा पावर हाउस से बरेली को बिजली

*७०---श्री नत्थू सिंह (बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सारदा पावर हाउस से बरेली सिटी को बिजली कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री चरण सिंह---बरेली में बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सारदा पावर हाउस से बिजली मिलना ८-११-१९५८ से प्रारम्भ हो गया है ।

*७१-७२---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी नलकूपों के लिये केन्द्रीय सहायता

*७३---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई कार्य के लिये कुछ लाख रुपया सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये ट्यूबवेल को सरकार द्वारा लिये जाने के लिये दिया है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ७० लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से ३० लाख रुपया सहकारी समितियों द्वारा बनाये गये नलकूपों को सरकार द्वारा लिये जाने में व्यय होगा ।

*७४---श्री गौरी राम गुप्त---[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित १० मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

बदायूं जेल से गांधी जयन्ती पर छोड़े गये कैदी

*७५---श्री टीका राम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में २ अक्टूबर, १९५८ को गांधी जयन्ती के अवसर पर कितने कैदी छोड़े गये और उनकी रिहाई के समय कितनी-कितनी सजा बाकी थी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---२ अक्टूबर, १९५८ को गांधी जयन्ती के उपलक्ष में बदायूं जिला जेल से कुल ६३ कैदी छोड़े गये । रिहाई के समय प्रत्येक कैदी की जितनी सजा बाकी थी उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६१-४६२ पर)

*७६---श्री टीकाराम---क्या सरकार को इस बात का पता है कि बदायूं जेल की बहुत बैरकों की छतें टूट गई हैं जिससे बरसात में कैदियों को तकलीफ होती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बदायूं जेल की बैरकों की खपरैलें पुरानी हो जाने के कारण बदलने योग्य हो गई हैं और यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

*७७---श्री टीका राम---क्या सरकार बदायूं जेल में पानी के लिये ट्यूब वेल लगवाने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बदायूं जेल में पानी की सुविधायें ट्यूब वेल निर्माण द्वारा अथवा अन्य साधनों द्वारा बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

सुल्तान पुर जिले के नलकूप

*७८---श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने ट्यूब वेल अब तक बनाने का प्रयत्न किया गया उनमें से कितने सम्पूर्ण हुये ?

श्री चरण सिंह---सुल्तानपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १३५ नलकूप बनाने का प्रयत्न किया गया और उसमें से ७४ नलकूपों का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले में इस समय तक कोई नलकूप नहीं बनाया गया ।

*७९—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में ट्यूब वेल योजना के पहले इस बात की जांच कर ली गयी थी या नहीं कि उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक ट्यूबवेल बन सकते हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां, सुल्तानपुर जिले में भूतल के नीचे की परतों की जानकारी के हेतु ६ बोरिंग किये गये थे जिससे यह अनुभव हुआ कि किसी किसी क्षेत्र में बोरिंग सफल हो सकती है । अतएव जहां जहां पर सफलता मिली वहां पर नलकूपों का निर्माण किया गया ।

फर्रुखाबाद जिले में उमरन माइनर का न बन सकना

*८०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार विकास क्षेत्र उमर्दी, जिला फर्रुखाबाद में उमरन माइनर के निर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ?

श्री चरण सिंह—विकास क्षेत्र उमर्दी, जिला फर्रुखाबाद में उमरन माइनर के निर्माण के लिये सर्वे इत्यादि करने से यह ज्ञात हुआ कि माइनर के निर्माण की लागत तथा वार्षिक रख-रखाव का खर्च अधिक आता है, अतः इसके निर्माण का विचार छोड़ दिया गया है ।

पडरौना तहसील में इन्दराज के मामले

*८१—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में सन् १३६५ व ६६ फसली में खसरा के कैफियत के खाने में काबिज इन्दराज की संख्या कितनी है और इसके सम्बन्ध में कितने केस तहसील में विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—काबिज इन्दराज की कुल संख्या ४५,१४१ है और इसके सम्बन्ध में ७५५ केस तहसील में विचाराधीन हैं ।

*८२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

रिहन्द बांध में दरार

*८३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रिहन्द बांध में ब्लाक नं० १७ और ४८ में दरार दिखाई पड़ रही है जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों में बांध के मजबूती के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री चरण सिंह—जी हां । बाल जैसी बारीक कुछ दरारें ब्लाक नम्बर १७ व ४८ में दिखाई दी हैं । कांक्रीट से बने हर भारी बांध में ऐसी दरारों का पड़ना प्राकृतिक है । लेकिन ऐसी दरारें किसी भी प्रकार बांध की मजबूती और स्थायित्व में बाधक नहीं होती हैं ।

*८४-८५—श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)—[गृह मंत्री से सम्बन्धित २० मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ८८-८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रिहन्द बांध की मरम्मत पर व्यय

*८६—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जिलान्तर्गत जो रिहन्द बांध का निर्माण हो रहा है वह कितनी जगह से फटा तथा उसकी मरम्मत में कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह—बांध कहीं भी नहीं फटा है अतः मरम्मत पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता ।

रिहन्द बांध के निर्माण पर व्यय

*८७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध का original एस्टीमेट कितने रुपये का था और उसमें अभी तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ तथा अभी और कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री चरण सिंह—मई, १९५३ में तखमीना ३,५२१ लाख रुपये का था जो अब ४,६०५ लाख का हो गया है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक करीब १,६५१ लाख रुपया खर्च हो चुका है और करीब २,९५४ लाख और खर्च होने की संभावना है।

*८८—९०—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये]।

*९१—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[हटा दिया गया।]

चकबन्दी का प्रसार

*९२—श्री आत्माराम पांडेय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन जिलों में जहां चकबन्दी योजना नहीं चल रही है वहां वह इस योजना को कब से प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—अगले वित्तीय वर्ष में कुछ नये जिलों में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार है। भविष्य का कार्यक्रम अभी निश्चित रूप से तय नहीं किया गया है।

गोंडा जिले में चकबन्दी होने की जानकारी

*९३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी योजना गोंडा जिले में किस माह से चालू होने जा रही है ? प्रथम कौन-सी तहसील ली जायगी और कितने दिनों में यह योजना पूर्ण होगी ?

श्री चरण सिंह—अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोंडा जिले में चकबन्दी योजना कब से लागू होगी।

घोसी तहसील में लेखपालों के विरुद्ध शिकायत

*९४—श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंग कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के कितने लेखपालों के विरुद्ध सन् १९५७ व नवम्बर, ५८ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा जिलाधीश ने किन-किन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—१७ लेखपालों के विरुद्ध १७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की गयी जिसका विवरण प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६३–४६४ पर)

ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली

*९५—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के विद्युत गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में व्यय होता है ?

श्री चरण सिंह—सरकारी विद्युत ग्रहों द्वारा उत्पादित विद्युत का ४८ प्रतिशत अथवा निजी या अशासकीय (Private) विद्युत ग्रहों द्वारा उत्पादित विद्युत का ६ प्रतिशत।

बाढ़ और वर्षा से क्षति

*९६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा कर निम्नलिखित सूचनायें सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी :—

(क) किस-किस जिले में खरीफ की फसल को क्षति पहुंची ?

(ख) किस फसल की क्षति कितने एकड़ में तथा अनुमानित कितने अन्न की कमी जिलेवार होगी ?

(ग) जिलेवार पशु, मकान तथा आदमियों की मृत्यु संख्या तथा बरबादी का विवरण ?

(घ) प्रत्येक जिले को किस प्रकार की सहायता कितनी मात्रा में दी गई ?

श्री चरण सिंह—(क)—इस वर्ष खरीफ की फसल को कमोवेश करीबन सभी जिलों में—केवल देहरादून, जालौन, हमीरपुर, मिर्जापुर, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल को छोड़कर हानि पहुंची।

(ख)—विभिन्न फसलों को कितने एकड़ में क्षति पहुंची, इसका विवरण संलग्न सूची १ में दिखा दिया गया है। कितने अन्न की कमी जिलेवार होगी इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग)—अपेक्षित सूचना संलग्न‡ सूची २ में दिखा दी गई है।

(घ)—अपेक्षित सूचना संलग्न‡ सूची ३ में दिखा दी गई है ?

*९७—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल क्षति का अनुमान क्या है ?

श्री चरण सिंह—फसल तथा अन्य संपत्ति की कुल अनुमानित क्षति लगभग २६ करोड़ रुपये की है।

*९८—श्री गेंदा सिंह—किन कारणों से फसल, मकान तथा प्राणों की हानि तथा क्षति हुई है तथा उन्हें दूर करने के लिये भी सरकार कुछ सोच रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह—हानि मुख्यतः बाढ़ तथा अतिवृष्टि से हुई है। सरकार बाढ़ से होनेवाली हानि को दूर अथवा कम करने के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश कर रही है।

आजमगढ़ जिले में टोंस तथा घाघरा के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले की सगड़ा तहसील में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम तथा टोंस नदी के बाढ़-पीड़ित किन-किन ग्रामों में बीज तथा तकावी की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई ?

श्री चरण सिंह—तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में घाघरा और टोंस नदियों की बाढ़ से पीड़ित ग्रामों की जहां तकावी (बीज) के रूप में धन वितरण की व्यवस्था की गई, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। नगद तकावी के सिवाय इन बाढ़-ग्रस्त ग्रामों में ३,७९५ मन २७ सेर ४ छटांक बीज भी बांटा गया।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

‡ सूचियां छापी नहीं गयीं।

इटावा जिले में ग्राम समाजों के पास जंगलात की रिजर्व भूमि

*१००—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के ग्राम समाजों में तहसीलवार कितनी-कितनी भूमि जंगलात के लिये रिजर्व कर ली गई है ?

श्री चरण सिंह—इटावा जिले के ग्राम समाजों में निम्नलिखित तहसीलवार भूमि जंगलात के लिये रिजर्व कर ली गई है :

			एकड़
तहसील इटावा	..	..	१,०६७.००
तहसील भर्थना	..	..	४१४.००
तहसील विधूना	..	..	१,०३८.०३
तहसील औरैया	..	..	१,०६४.६०

*१०१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा रठगांव, तहसील विधूना, जिला इटावा की ग्राम समाज में सुरक्षित जंगलात की ४९५ एकड़ भूमि की वहां के भूमिहीन मजदूरों में बांटने के लिये वहां के प्रधान ने जिलाधीश इटावा को कोई पत्र ग्राम समाज की ओर से सितम्बर व शुरू अक्टूबर में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—प्रधान के द्वारा स्वरक्षित जंगलात की भूमि को वहां के भूमिहीनों में बांटने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज की ओर से सितम्बर व शुरू अक्टूबर, १९५८ में जिलाधीश, इटावा को नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

रामपुर गोहना में किसानों पर बकाया लगान

*१०२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—दिनांक १०-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१-१२२ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि गोहना ग्राम, तहसील हाटा, जिला देवरिया के सन् १३६० फसली से लेकर अब तक किन १५ व्यक्तियों पर कितने रुपये लगान की वसूली हो पायी है ?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

*१०३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इन व्यक्तियों पर वारंट गिरफ्तारी और वारन्ट कुर्की जारी किये गये थे ?

श्री चरण सिंह—६ व्यक्तियों पर वारन्ट कुर्की, ३ व्यक्तियों पर वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये गये। एक व्यक्ति का पता नहीं है। शेष ५ व्यक्तियों से अधिकांश वसूली हो गई है।

अतारांकित प्रश्न

बछरावां में बिजली घर के लिए आयोजन

१—श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बछरावां में बिजली घर के लिये कोई जमीन ली गई है ? यदि हां, तो उस जमीन पर बिजली घर कब तक बन जायगा ?

श्री चरण सिंह—जी हां, मई, १९५९ तक आउटडोर सब स्टेशन बन जाने की आशा है।

बिजनौर जिले में चकबन्दी संबंधी निगरानियां

२---श्री नरदेव सिंह दतियानवी (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना दारानगर व मडांवर, जिला बिजनौर की सन् १९५७ व ५८ में चकबन्दी की कितनी अपीलें जिलाधीश के यहां की गयीं और उनमें से कितनी स्वीकार हुई हैं और कितनी अस्वीकार हुई हैं ?

श्री चरण सिंह---इस अवधि के अन्त तक जिलाधीशों के न्यायालयों में चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें दायर करने का प्राविधान नहीं था। परन्तु उप संचालक चकबन्दी की हैसियत में इस अवधि में जिलाधीश, बिजनौर के न्यायालय में कुल २२१ निगरानियां (revising) दायर की गईं, जिनमें से ३६ स्वीकृत और १८४ अस्वीकृत हुईं तथा १ निगरानी निस्तारण के लिये शेष रही।

उन्नाव जिले में इन्दराज की दुरुस्ती के मामले

३---श्री भगवती सिंह विशारद---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कितने मुकदमें १३६५ फसली में कागज दुरुस्ती (सेहत इन्दराज) के दाखिल हुये हैं ?

श्री चरण सिंह---४९६।

झांसी जिले में ओलों व वर्षा से क्षति

४---श्री लक्ष्मण राव कदम तथा राजा यादवेंद्र दत्त दुबे---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में झांसी जिले की किस-किस तहसील के किन-किन ग्रामों में ओलों व वर्षा से फसल को कितनी-कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री चरण सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४६७-४६८ पर)

५-६---श्री मुक्ति नाथ राय---[अठारहवें बुधवार, १८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले की कलेक्टरी और तहसीलों में पिछड़ी तथा परिगणित जाति के कर्मचारी

७---श्री गरीब दास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में प्रत्येक तहसील कार्यालय में किन-किन पदों पर कितने कितने कर्मचारी हैं और उनमें कितने पदों पर कितने परिगणित जाति के हैं और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चरण सिंह---वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४६९ पर)

८---श्री गरीबदास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन कलेक्टरी में किन-किन पदों पर कितने-कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें कितने पदों पर कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री चरण सिंह---वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। किसी भी पद पर कोई भी परिगणित जाति का कर्मचारी नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४७० पर)

९—श्री गरीब दास—[२८ फरवरी, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

१०—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[हटा दिया गया।]

किरावली तहसील में बैलों के लिये तकावी

११—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ के वित्तीय वर्षों में आगरा जिले की तहसील किरावली में बैलों की तकावी के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने लोगों को अधिक से अधिक और कम से कम कितनी-कितनी तकावी दी गई तथा दोनों वर्षों में बैलों की तकावी के लिये कुल कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

तहसील जिला	वित्तीय वर्ष	बैलों की तकावी के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	उन प्रार्थियों की संख्या जिनको तकावी बांटी गई	अधिकतम तकावी जो बांटी गई	न्यूनतम तकावी जो बांटी गई	बांटी गई तकावी की कुल धनराशि
१	२	३	४	५	६	७
				रु०	रु०	रु०
किरावली	१९५६-५७	२८	२४	२५०	१००	४,८४५
आगरा	१९५७-५८	३१	६	५०	५०	३००

१२—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में खरीफ को हानि

१३—श्री ब्रज नारायण तिवारी—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में खरीफ १३६६ फसली के फसल में क्षति हुई है ? यदि हां, तो तहसीलवार क्षति का विवरण क्या है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, तहसीलवार क्षति का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४७१ पर)

१४-१५—श्री मुक्तिनाथ राय—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

१६—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)—[१८ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

१७—श्री उल्फतसिंह—[मुख्य मंत्री से संबंधित, १९ मार्च, १९५९ के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले के कलेक्शन अमीन

१८—श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि जिला इटावा में ऐसे व्यक्तियों को भी कलेक्शन अमीन के पद पर नियुक्त किया गया है जो हाई स्कूल पास नहीं हैं और वे कलेक्शन अमीन नियुक्त होने के पूर्व नायब तहसीलदार (पंचायत-कर) के पद से गबन के आरोप में पद स पृथक कर दिये गय थे ?

श्री चरण सिंह---चूंकि अमीन के पद पर नियुक्त होने के लिये हाई स्कूल पास होना राज्य आज्ञा के अनुसार अनिवार्य नहीं है, इस जिले में ऐसे व्यक्तियों को भी कलेक्शन अमीन के पद पर नियुक्त किया गया है जो हाई स्कूल पास नहीं हैं। परन्तु इन कलेक्शन अमीनों में कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले नायब तहसीलदार (पंचायत कर) के पद से गबन के आरोप में पद से पृथक कर दिया गया हो।

रायबरेली जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत केन्द्र

१९---**श्री चन्द्रिका प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में प्रत्येक तहसील में कहां-कहां महिला मंगल केंद्र हैं और वहां और अधिक केंद्र कब तक खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला मंगल योजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में १० केंद्र निम्नलिखित तहसीलों में संचालित हैं:---

केन्द्र का नाम		तहसील का नाम
१---चन्दौली	.. ..	रायबरेली
२---मनीरामपुर	.. ..	सलोन
३---निगोहां	.. ..	"
४---उदारी	.. ..	"
५---सांडवारा	.. ..	डलमऊ
६---अतरेहटा	.. ..	महराजगंज
७---घूरा	.. ..	"
८---समोहदा	.. ..	"
९---चितवनिया	.. ..	"
१०---बुलेहंदी	.. ..	"

इसके अतिरिक्त अन्य कोई केंद्र खोलने का इस समय विचार नहीं है।

२०---**श्री चन्द्रिका प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्दर प्रत्येक तहसील में अब तक क्या-क्या समाज कल्याण द्वारा कार्य किया गया ?

२१---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में जनवरी, १९५७ से नवम्बर सन् १९५८ तक कितना रुपया समाज कल्याण कार्यों पर खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत तीन चार सूचनाएं आयी हैं कि मैं इसके ऊपर सम्बन्धित मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिए कहूं। उसमें एक पालीवाल जी का महत्व का मालूम होता है लेकिन वह भी अविलम्बनीय नहीं है क्योंकि तीन-चार रोज पहले की खबर यह है और नियम के अनुसार जो आज नोटिस देनी चाहिए थी वह कल भेज दी गयी। जिस रोज वह प्रश्न उठाना चाहिए उसी रोज नोटिस आनी चाहिए लेकिन मैं उसकी परवाह न करता अगर दो तीन रोज पहले यह खबर न आ चुकी होती। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जिस वक्त बजट के अनुदान आयें इस सम्बन्ध में वह इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं या अल्पसूचित प्रश्न भेज कर प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वक्तव्य देने के लिए मैं समझता हूं कि मैं इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि नियम के अनुसार वह मेरे पास नहीं आया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मैं आपसे एक बात व्यवस्था की जानना चाहता हूं, वह यह कि आध घंटे पूर्व सूचना देने की जो बात है, क्या उसके मानी यह हैं कि ३१ मिनट पहले सूचना मिलेगी तो वह नहीं ली जायगी ?

श्री अध्यक्ष--उसी रोज होना चाहिए चाहे दो घंटे पहले हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस सम्बन्ध में एक निवेदन और है कि चूंकि यह खबर अखबार में कल सुबह आयी और मुझे किरावली से आये हुए व्यक्ति ने यह खबर दी शाम को..

श्री अध्यक्ष--दो रोज पहले नहीं आयी ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--नहीं आयी। व्यक्तिगत रूप से खबर मालूम होते ही, मैंने इसलिए कि सम्बन्धित मंत्री महोदय को एक दिन पहले इत्तला मिल जाय, इसको दे दिया और मुझसे करीब पौने ग्यारह बजे यह कहा गया कि ठीक आध घंटे पहले देना चाहिए। मैंने तुरन्त ही....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। अगर यह बात है कि कल का ही मामला है और मैंने यह पहले ही कहा था कि महत्व का है लेकिन मुझे यह सूचना मिली थी कि इसकी खबर दो तीन रोज पहले अखबार में आ चुकी है लेकिन अगर सूचना कल ही आयी है तो मैं इसको टेकनिकल कारण पर कि कल नोटिस नहीं दिया, रोकूंगा नहीं। अगर माननीय मंत्री के पास सूचना आ गयी हो तो वे दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--यह मामला अछनेरा से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष--इसमें यह है कि अछनेरा, जिला आगरा की टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिवप्रसाद अग्रवाल की हत्या तथा उससे उत्पन्न अछनेरा की जनता में आतंक। कल रामसिंह जी ने भी शायद इस विषय में सूचना दी थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा रिपोर्ट नहीं मिल सकी लेकिन जो थोड़ी सी है वह आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर देता हूं। कलेक्टर का तार मिला है जिससे मालूम हुआ कि श्री शिवप्रसाद अग्रवाल जी जिन पर कि परसों रात को कदाचित्...

श्री अध्यक्ष--अगर आप पूरी सूचना मंगाने के लिए समय चाहते हों तो मैं समझता हूं कि आप कल वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, कलेक्टर ने स्वयं लिखा है कि तफसील से इसकी सूचना बाद में भेजने की चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो मैं कल के लिए निश्चित करता हूं क्योंकि उसमें लोग प्रश्न भी पूछेंगे और यह उचित होगा कि अगर वह स्पष्टीकरण चाहें तो आप उत्तर दे सकें, इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो कल के लिए मैं निश्चित करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मेरा भी था एक नियम ५२ के अन्दर.....

श्री अध्यक्ष--नियम के अनुसार मैं एक ही स्वीकार कर सकता हूं आज।

एक सदस्य--मैंने भी एक भेजा था....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठिय।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, बड़े महत्व का है। मुझे आदेश हो तो मैं कल दे दूं।

श्री अध्यक्ष--आप उसके बारे में डिटेल तो देते नहीं हैं, एकाध तार आपके पास आ गया, वही आपने भेज दिया। अगर कल देते हैं तो पूरा डिटेल दीजिए। मुझे मालूम भी तो पड़े कि महत्व का विषय है या नहीं। यदि केवल एक तार आपके पास आया, वह आप मुझे भेज दें तो उससे मुझे मालूम नहीं हो सकता कि महत्व का विषय है या नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक मैंने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। आपका तो विषय नियम ५२ में आता ही नहीं है।

श्री राजनारायण के नाम आये हुए एक ट्रंककाल को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सुन लेने की शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे करीब १०-३५ पर मालूम हुआ इसलिए मैं लिखित दे नहीं सका। कल करीब साढ़े ११ बजे कानपुर से मेरे नाम एक ट्रंककाल आया और किसी सरकारी कर्मचारी ने यह कह कर कि मैं राजनारायण हूं उसको पूरा सुन लिया। फिर करीब साढ़े ११ बजे के हमारे पास दारुलशफा से चपरासी आया और उसने बताया कि आपके नाम कानपुर से ट्रंककाल आया था। उसके बाद हमने मिलाने की कोशिश की मगर मिला ही नहीं। आज वहां के विद्यार्थी मेरे पास आये करीब साढ़े दस बजे, १०-३५ मिनट पर। उन्होंने कहा कि हमने ट्रंक पर ये सब बातें आपको बतायीं और आपने नोट किया। हमने कहा कि हमारी तो तुमसे बात ही नहीं हुई। तो मैं यह कह रहा हूं कि इंगलैण्ड में एक बार आई० जी० ने केवल बीच में सुन लिया था उसके ऊपर पार्लियामेंट में कितना उधम मचा था। यह तो पूरा ट्रंककाल राजनारायण कह कर सुन लिया...

श्री अध्यक्ष---आप लिखित मेरे पास भेजिए।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २८-लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

***सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)**---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल गवर्नर की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८---सहकारिता के आधार पर ऋण-लेखा शीर्षक: ४२---सहकारिता (Cooperation) के अन्तर्गत १,५५,०६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मांग के पेश करने में बहुत खुशी है। इसलिए कि यह बहुत महत्व का विषय है। जब देश ने अपना ध्येय यह बना लिया हो और वह समाजवादी समाज की स्थापना करने का निश्चय कर चुका हो और जब कि इस ध्येय तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि देश का उत्पादन बढ़े और वह उत्पादन जो बढ़े वह इस प्रकार से न बढ़े कि वह कुछ हाथों में ही केन्द्रित हो जाय, बल्कि उसका बटवारा भी ठीक-ठीक हो और गरीब और अमीर का अन्तर कम हो, धन जो पैदा किया जाय वह सब तक पहुंच सके, जब यह ध्येय देश ने स्वीकार कर लिया तो इस ध्येय तक पहुंचने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और बढ़े हुये उत्पादन का ठीक-ठीक बटवारा करने के लिए सहकारिता ही सब से मुख्य चीज है। इसलिये आज मुझे यह मांग इस सदन के सामने पेश करने में खुशी होती है। मैं उस लम्बी बहस में नहीं जाऊंगा कि समाजवाद की क्या रूपरेखा होगी। जो समाजवाद इस समय हमने अपने देश में स्थापित करने का निश्चय किया है उसमें स्टेट के हाथ में शक्ति केन्द्रित नहीं होगी बल्कि उसका विकेन्द्री-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करण होगा। इसकी लम्बी बहस में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। इसलिये मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि इस ध्येय तक पहुंचने के लिये सहकारिता ही एक रास्ता है जिससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और देश की दौलत का बटवारा भी ठीक-ठीक कर सकते हैं।

उत्पादन बढ़ाने के अभी तक जो प्रयत्न हुये और उसमें जो जो सहूलियतें पहुंचाई गईं उनका थोड़ा सा जिक्र आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। सब से बड़ा सहकारिता का अंग ऋण देना है और वह भी विशेषकर नकद इस वक्त सब से बड़ा अंग रहा है। इसलिये हमने उस नई तस्वीर में जो तस्वीर हम अपने सामने रख कर चलना चाहते हैं उसमें उसका उतना बड़ा स्थान नहीं रखा है जितना कि अभी तक रहना चाहिये। इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा यह जिक्र कर दूं कि ऋण देने में अभी तक बहुत सी कठिनाइयां रही हैं। उनको हम दूर करना चाहते हैं। अभी तक हमारे प्रदेश में केवल एक ही प्रकार का ऋण रहा है। वह था शार्ट टर्म लोन जो कि एक साल में वसूल हो जाता था। उससे किसानों को तकलीफ होती है क्योंकि किसी ने अगर बैल खरीदने के लिये ३००, ४०० रुपये लिये और बैल खरीद लिया तो वह उस रुपये को एक साल के अन्दर अदा नहीं कर सकता। इसलिये इस देश में तीन प्रकार के ऋण की व्यवस्था हो रही है। एक तो अल्पकालीन ऋण है जो एक साल के लिये है। दूसरा मध्यकालीन जो १ साल से ५ साल तक होगा और तीसरा दीर्घकालीन ऋण है जो २० साल तक अदा हो सकता है। अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें अल्पकालीन ऋण की एक साल में अदा करने की रही। अब हमने दूसरा ऋण भी शुरू कर दिया है और उसके लिये करीब ६ लाख रुपया मध्यकालीन ऋण के लिये दिया जा चुका है। यह भी हमने थोड़े दिनों से शुरू किया है जिसकी मियाद ५ साल तक की होगी और इसी वित्तीय वर्ष में अर्थात् इसी महीने में, मैं यह पूरी आशा करता हूं कि हम लैंड मारगेज बैंक की स्थापना भी कर लेंगे। लैंड मारगेज बैंक के बनने पर इस प्रदेश में किसानों के लिये दीर्घकालीन ऋण के प्राप्त करने में सुविधा हो जायगी और उससे यह आशा है कि बहुत बड़ी सहूलियत होगी। दीर्घकालीन ऋण लैंड मारगेज बैंक की स्थापना करके हम शुरू कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा इसी मार्च के महीने में हम लैंड मारगेज बैंक की स्थापना कर लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मध्यकालीन ऋण भी दिया जाना शुरू हो गया है और उसको हम काफी बढ़ाना चाहते हैं। अल्पकालीन ऋण जो है १ साल वाला, वह रिजर्व बैंक से आता है और डिपाजिट से आता है, जो शेयरमनी होता है उससे। उसमें हम यह कह सकते हैं कि उसकी प्रदेश में हमारे ३ इकाईयां हैं—प्रान्तीय बैंक, जिला बैंक और प्राइमरी सोसाइटी। प्रान्तीय बैंक हमारा मजबूत हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट बैंक को मजबूत करने का हमने प्रयत्न किया है और मुझे खुशी है कि उसमें हमें काफी सफलता मिली है और प्राइमरी सोसाइटीज को भी मजबूत करने और बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है।

एक बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने है वह यह कि प्राइमरी सोसाइटियों की रूपरेखा क्या होगी। इस पर बहस है और इस पर काफी बात करने की जरूरत है और अभी एक कोआपरेटिव मिनिस्टर्स कान्फरेंस होने वाली थी, वह शायद कुछ दिन के लिये मुल्तवी हो जाय, लेकिन एक प्राइमरी सोसाइटी की क्या रूपरेखा हो, क्या उसका क्षेत्रफल हो और उसके क्या कार्य हों, यह एक बड़ा बहस का विषय बन गया है और उसकी रूपरेखा अब थोड़े दिन में तैयार हो जायगी। लेकिन अभी हमारा ध्येय यह है कि हम प्राइमरी सोसाइटीज को काफी बढ़ायें और इरादा यह है कि १५,२०० गांवों में अगले वर्ष प्राइमरी सोसाइटियां बना लें और ६,००,००० नये मेम्बर बनायें।

इस वक्त यू० पी० कोआपरेटिव बैंक काफी तरक्की कर रहा है और कर्जा देना उसका काफी बढ़ गया है। इस समय मैं आंकड़े ज्यादा नहीं दूंगा, अगर आवश्यक हुआ तो बाद में दे दूंगा और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि समय थोड़ा है। तो उसको मजबूत बनाने में एक काम यह हुआ है कि गवर्नमेंट ने भी इन बैंकों में, जिला बैंकों में और प्रान्तीय बैंक में अपने

[श्री मोहनलाल गौतम]

हिस्से खरीदे हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जिला बैंक में जो रुपया गवर्नमेंट ने दिया, मान लें कि एक लाख रुपया दिया तो उसके आधार पर उसको रिजर्व बैंक से रुपया मिल जाता है, उसको यह कर्ज लेने में सहूलियत हो जाती है और वह रुपया किसानों के पास चला जाता है इसलिये कि गवर्नमेंट तो कर्जा लेती नहीं है। उन किसानों के पास वह चला जाता है जिनके पास पैसा नहीं है। अगर किसानों ने १ लाख दिया तो उसको रिजर्व बैंक से ४ लाख मिलता, लेकिन अब उसको ८ लाख रुपया रिजर्व बैंक से मिलेगा और वह किसानों में बंट जायगा। इस तरह से चार और पांच गुना रुपया किसानों को अवेलेबिल हो गया और इससे उनको ज्यादा ऋण मिल सकेगा। दूसरे, सरकार के हिस्से खरीद लेने की वजह से बैंक भी मजबूत हो गया और उसमें डिपाजिट्स भी ज्यादा हो गये। इस तरह से किसानों को ज्यादा सहूलियत हो जायगी। अभी तक जो ऋण देने का तरीका रहा है उसमें हैसियत निकालने में काफी दिक्कत रही है और उसके कारण किसान ज्यादा ऋण नहीं ले पाये। मगर अब यह फैसला है कि हम क्राप लोन दें यानी जितनी उसको आवश्यकता है उतना कर्जा दें और उसमें उसकी हैसियत का खयाल तो होगा लेकिन उस तरह से जैसे अब तक हिसाब लगाया जाता था कि इतनी मालगुजारी देता है उसका इतना गुना और उसमें इस तरह से यह कट गया, वह कट गया, यह जुड़ गया, यह सब न होकर, अब यह इरादा है कि क्षेत्रवार किस-किस फसल के लिये कितनी लागत की जरूरत है, उसका अनुमान लगा कर कर्जा दिया जाय और फिलहाल अब १,००० रुपया तक तो शार्ट टर्म लोन बगैर जमीन के गिरवीं रखे हुए ही देने का फैसला है और यह किया जा रहा है। अर्थात् किसानों को अधिक रुपया मिल सके, उनकी जरूरतों के लिये काफी रुपया मिल सके और सहूलियत के साथ मिल सके, यह मुख्य बात है। जो नये ढांचे की प्राइमरी सोसायटीज बनने जा रही हैं उसमें हमारा काफी जोर है कि गांव के हर परिवार का उसमें एक सदस्य जरूर हो। अगर हर एक परिवार का एक सदस्य उसमें होगा तो आज तक जो ढर्रा चल रहा था वह बदल जायेगा। आज तक आम तौर से जिनके पास जमीन थी वे मेम्बर बनते थे और उनको कर्जा मिल जाता था और वे अपनी गुजर किसी तरह से कर लेते थे लेकिन अब आम तौर से सब को कर्जा मिल सकेगा, यह इसमें अन्तर है। दूसरी बात यह है कि जब इसमें हर एक परिवार का एक एक मेम्बर होगा तो जो पहले दो हिस्सों में बंटवारा था, क्रेडिट वालों का और नानक्रेडिट वालों का, वह खत्म हो जायेगा। हर एक परिवार का एक-एक मेम्बर हो जायगा और उसकी सुविधा के लिये ऋण मिल जायेगा, यह एक बहुत बड़ा अन्तर हो जायगा, प्राइमरी सोसायटीज की शक्ल में और जो सहूलियत अब तक गरीबों को नहीं मिलती थी, भूमिहीनों को नहीं मिलती थी वह सवाल हट जायगा। तो मैंने यह मोटी-मोटी बातें क्रेडिट की कहीं, बिना आंकड़ों में जाये हुये और मैं कह सकता हूं कि यह काफी अच्छी हैं और इनसे काफी सहूलियत होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह भी बता दीजिये कि जिनके पास जमीन नहीं होगी उनको क्या मिलेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। सहकारिता का आधार यही है कि गांव वाले मिलें और उनको अपनी पैदावार का उचित दाम मिले। सहकारी समिति बने और वह सामूहिक रूप से जिला बैंक से कर्जा ले आये और वह अपने हिसाब से जिस तरह चाहे बांट दे। हर एक को बांट दे और हर एक से वसूल करलें, इसमें हम कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। जिनके पास भूमि नहीं है, मेरा विश्वास है कि वे १००, ५० रुपये के लिये भागना नहीं चाहेंगे और न इतने रुपये के लिये अपने सामाजिक बन्धन तोड़ना चाहेंगे। यह कहना कि उनके पास जमीन नहीं है, वे रुपया अदा नहीं करेंगे, इसको मैं नहीं मानता, इसलिये हम उनको कर्जा देना चाहते हैं उनका इन्तजाम करने के लिये।

उसके बाद किसान पैदा कर लेता है, लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यह है कि उसको सस्ता बेचना पड़ता है। जेठ बैसाख में सब से सस्ता गेहूं होता है, लेकिन काश्तकारों को बेचना

पड़ता है, क्योंकि उनको मालगुजारी, आबपाशी और दूसरे डयूज अदा करने होते हैं और काश्तकार को मजबूरन, यह जानते हुये कि अगर महीने दो महीने गल्ला रख लें तो महंगा बिकेगा, सस्ता बेंचना ही पड़ता है। इसलिये जब तक इसकी व्यवस्था न हो तब तक सहकारी आन्दोलन अधूरा रह जाता है, क्योंकि पैदा करने वाले को क्या फायदा हुआ। इसके लिये मार्केटिंग सोसायटीज बनाई गई हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज को हमारे साहित्य में क्रय बिक्रय कहा गया है, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो उनको आढ़तिये की दुकान कहता हूं। इसमें कई फायदे हैं। किसान गल्ला लाता है उसमें कटौतियां नहीं होती हैं, ठीक ठीक तौल मिलती है, लेकिन सब से बड़ा फायदा यह है कि मार्केटिंग सोसायटीज में किसान जब गल्ला लाता है तो उसको बेंच भी सकता है और रख भी सकता है। अगर किसान बेंचना चाहे तो बेंच दे और कटौतियों से फायदा हो जायगा और तौल की कमी-बेशी का फायदा हो जायगा, लेकिन उसका सब से बड़ा फायदा यह है कि अगर किसान चाहे तो उसको वहां रख दे, उसको प्लेस कर दे और रुपया ले ले। अगर १०० रुपये का माल है तो उस पर उसको ७५ रुपये मिल सकते हैं और उससे वह अपना खर्चा वगैरह कर सकता है, मालगुजारी, आबपाशी आदि जो उसकी देनदारी है उसको वह उस रुपये में से दे सकता है। इस माल को जब चाहे वह बेच सकता है। मान लीजिये १२५ रुपये में वह बिका। इसमें से ७५ रुपये वह पहले ले चुका है, ५० रुपये अब उसके हुए। अब जो रुपया या आठ आना उसका खर्चा हुआ है वह काट कर उसको मिल जायगा। इससे किसान को यह सहूलियत हो जायगी कि मजबूरन जो सस्ता गल्ला उसको बेंचना पड़ता है, उससे वह बच जायगा और वह अपने गल्ले को रोक सकेगा। यह मार्केटिंग सोसाइटीज से किसानों को लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त एक संस्था वेयर हाउसेज कारपोरेशन की और है। इसका मुझे हर्ष है कि वह भी हमारे यहां बन गयी है। उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में हमारे यहां के लीडर आफ दि अपोजीशन भी हैं ताकि उसकी जो खराबियां हों वहीं मालूम हो कर दूर कर दी जायं और हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसमें उनका भी हिस्सा हो जाय। जहां तक दूसरी स्टेट्स का सवाल है वहां पर इसके प्रेसीडेंट्स आफीशियल्स हैं, लेकिन हमने नान-आफीशियल्स रखे हैं और वह पार्लियामेंट के मेंम्बर हैं। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में आफिशियल्स हैं और नान-आफीशियल्स हैं तथा अपोजीशन के लीडर हैं। अभी तक बहुत अच्छा काम चल रहा है। १२ वेयर हाउसेज अभी तक हमारे यहां बन चुके हैं और ९५ हजार मन गल्ला अभी तक रखा जा चुका है। इससे एक बड़ा फायदा यह है कि अगर गल्ला ठीक प्रकार से रखे जाने का भी हमारे यहां इन्तजाम हो जाय तो ५–१० फीसदी अन्न की बचत हो सकती है जो कि हर साल खराब हो जाता है, क्योंकि ये वेयर हाउसेज अच्छी प्रकार से बनाये जायेंगे, न इनमें नमी पहुंच पायेगी और न चूहे ही इनमें लगेंगे।

इसके अलावा एक फायदा इसका और है कि जो रसीद इसकी होगी वह निगोशियेबिल इन्स्ट्रूमेंट होगी और उस पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से ५ प्रतिशत पर कर्जा मिल सकेगा जब कि इस रेट आफ इन्टरस्ट पर किसी भी आदमी को कोई कर्जा नहीं मिल सकता है। कानपुर के एक मिल मालिक ने मुझसे पूछा कि क्या इन वेयर हाउसेज में कपड़ा भी रखा जा सकता है? जब मैंने उनसे उसका कारण पूछा तो कहा कि ५ फीसदी पर हमें कहीं से कर्जा नहीं मिलता है, कम से कम साढ़े ५ प्रतिशत पर मिलता है। जब मैंने कहा कि कपड़े की तो वहां गुंजाइश है नहीं, वह तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिये बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि क्या वहां चीनी रखी जा सकती है? इसका मतलब यह है कि जो फायदा वेयर हाउसेज से किसान को होगा, वह लखपतियों को भी नहीं मिल पाता है। इस तरह से किसान को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक कर्जे का सम्बन्ध है, मैंने आपको बताया कि पहले करीब ४ करोड़ कर्जा दिया जाता था, ३० जून, ५८ तक, वह ११ करोड़ हो गया, इस वक्त करीब १२ करोड़ है और

[श्री मोहनलाल गौतम]

३० जून तक १६ करोड़ के करीब हो जायगा। और मैं समझता हूं जिस वर्ष के लिये मैंने यह मांग पेश की है, उस वर्ष के अन्त तक २० करोड़ तक कर्जा हो जायगा, ऐसा हमारा प्रयत्न होगा। आप देखें कि ४ करोड़ से लेकर २० करोड़ इतनी छोटी अवधि में होना, यह कम नहीं है। उसकी और विस्तार की बातें डिस्ट्रिक्ट बैंक्स और प्राइमरी सोसाइटीज़ आदि की जो हैं, मैं इस वक्त निवेदन नहीं करूंगा।

सन् १९५८ के ३० जून तक २२.९५ यानी २३ लाख मेम्बर इस सूबे में थे। तो अब किसानों को जैसा कि मैंने कहा कि वे ज्यादा पैदा करें, इसके लिये कैश क्रेडिट की बातों का मैंने थोड़ा-सा जिक्र किया है और यह भी निवेदन किया कि किसानों को उसकी जरूरत के लिये—हैसियत लफ्ज अब नहीं रहेगा, अब उसकी डिक्शनरी में जरूरत हो जायगी— तो जरूरत के लिये सब को मिलेगा। सिर्फ खेती करने वालों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि सब को मिलेगा, गरीबों को भी मिलेगा, दस्तकारों को भी मिलेगा, यानी सब को मिलेगा, यह हमारी मुख्य नीति का फैसला है।

जहां तक दूसरी चीजों का सम्बन्ध है, उसमें खाद सिर्फ कोआपरेटिव की मार्फत बांटी जायेगी। बीज के बांटने का काम अब तक दो संस्थायें कर रही हैं— एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव। अब यह फैसला हुआ है कि इन दोनों को एक कर दिया जायगा। जहां तक बीज के बांटने और वसूल करने का सम्बन्ध है वह तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही दे दिया जायगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम होगा सीड की क्वालिटी को देखना और उस को ले आना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम हो गया है कि सीड की क्वालिटी न घटने पावे और जितने सीड की जरूरत हो उसके लिये वह फार्म बनावे, चाहे रजिस्टर्ड स्टोर से ले कर दे, चाहे जहां से प्राप्त करे। उसका बांटना और वसूल करना कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत होगा। खाद भी हम इसी की मार्फत बांट रहे हैं।

कुछ यह भी है कि किसानों की पैदावार जितनी होती है अगर उसकी कुछ ग्रेडिंग कर दी जाय, कुछ प्रोसेसिंग कर दी जाय तो उससे उस की आमदनी बढ़ जायगी। इसलिये ११ प्रोसेसिंग सोसाइटीज बनायी गयी हैं और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, वे सन् १९५७—५८ तक ८८ काम कर रही थीं और इस साल तो १० और बढ़ गयी हैं और वे सब काम कर रही हैं। इस वक्त मुनाफा जो था वह ३.३२ लाख का हुआ यानी यह रुपया उनका अपना है। इस मुनाफे में वह शामिल नहीं हैं जो बोनस के रूप में दिया गया है। जो बोनस दिया गया वह हाथरस में ४,८०० रुपया है, आंवला में ६०० रु० है, हापुड़ में ८८७ रु० है। यह जो बोनस दिया गया वह किसानों का फायदा है। अगर वे किसी आढ़तिये की मार्फत अपना गल्ले बेंचते तो उनको कितनी कटौती देनी पड़ती और उनको कितनी कीमत मिलती, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन यह रुपया जो दिया गया है वह अलग है जो किसानों को फायदा हुआ है और ३.३२ लाख रुपया उनका सामूहिक रूप से अपना हो गया और उनको आगे भी इससे सहूलियत पहुंचेगी।

११ जो प्रोसेसिंग सोसाइटीज हैं इनमें २ धान की हैं, एक मटर की है, एक मूंगफली की, एक खोआ की और ६ चीनी बनाने के जो छोटे-छोटे कारखाने हैं उनकी हैं। ६ चीनी बनाने के जो छोटे छोटे कारखाने हैं ये रिजर्व्ड एरिया में नहीं हैं, वे अलग हैं। वहां चीनी बनाने के लिये किसानों का गन्ना इस्तेमाल में आता है। कुछ खास चीजों का जिक्र इन्तजाम वगैरह का भी हो सकता है, लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि जो रिपोर्ट है उसे वे देख लेंगे।

अब कोआपरेटिव सोसाइटीज को कामयाब बनाने के लिये बहुत जरूरी चीज यह है कि उसकी शिक्षा हो। अर्थात् हम सब लोग समझें और अपने कर्मचारियों को भी और दूसरे लोग जो इसमें हिस्सा लेते हैं गैरसरकारी मेम्बर, उनको भी अच्छी तरह से समझाया जाय, उसका काफी प्रबन्ध हो रहा है और १३,००० नान आफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जा

रही है। ७ यूनिट्स इस वक्त काम कर रहे हैं और इनको बढ़ा कर २१ यूनिट करना चाहते हैं ताकि २५ हजार नान आफिशियल्स एक साल में ट्रेंड हो सकें। सुपरवाइजर की ट्रेनिंग की बात का मैं इस समय विस्तार से जिक्र नहीं करूंगा।

एक बड़ा भारीफैसला गवर्नमेंट ने जो लिया वह यह था कि अब तक कोआपरेटिव, केन कोआपरेटिव और इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव अलग-अलग थे लेकिन अब वे इकट्ठा होंगे, एक रजिस्ट्रार होगा और एक जगह से तीनों का संचालन होगा।

आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोआपरेटिव लॉ बहुत पुराना हो गया है। उसको बदलने की जरूरत है। पिछले वर्ष अप्रैल के शुरू में एक विशेष अधिकारी को––जिसको मैं अपने महकमे का सब से काबिल अधिकारी पढ़ने लिखने में समझता था––इसी काम पर लगा दिया था। हमारी खुशकिस्मती से सेंट्रल से एक माडल बिल आया हुआ है और बाईलाज की रूपरेखा आई हुई है, उस के सम्बन्ध में जो-जो विचार माननीय सदस्यों ने अपने बनाये हैं उनको बतला दें, ताकि कोआपरेटिव ला के बनाने में बड़ी आसानी हो सके।

एक बात और कही गयी है कि रजिस्ट्रेशन में देर होती है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमारे यहां रजिस्ट्रेशन में देर नहीं होती। १ महीने से ज्यादा रजिस्ट्रेशन में लगता हो, मुझे मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई केस नहीं है सिवा कुछ स्पेशल सोसाइटीज के जिनकी बाबत तय नहीं हो पाता कि ये कोआपरेटिव ला के अण्डर रजिस्टर्ड की जायं या नहीं, जैसे कि ट्रान्सपोर्ट सोसाइटी जिसमें २, ४ आदमी तो काफी पैसा मिला देते हैं और बाकी १०, १० रुपये दे देते हैं और जिसकी एक प्रकार से ज्वाइंट स्टाक कम्पनी की हैसियत हो जाती है और कोआपरेटिव ला के अन्डर रजिस्टर्ड करा कर लोग फायदा उठाना चाहते हैं। इस तरह की जो सोसाइटीज हैं, जिनके बारे में कुछ सन्देह होता है उनमें कुछ देर भले ही लग जाती हो, लेकिन साधारण सोसाइटीज जो हमारे यहां हैं उनमें देर नहीं लगती। एक बड़ा भारी नया कदम यह भी उठाया गया है कि लेबर कोआपरेटिव को ज्यादा मजबूत किया जाय और यह भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि ठेकेदारों के बजाय बगैर टेंडर लिये उनको ही काम दिया जाय।

एक बात कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में आमतौर से इस पर वाद विवाद भी हो रहा है, लेकिन मुझे वह सार्थक नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस वाद विवाद में जान नहीं है। हमारे सामने चीज यही है कि खेती की उन्नति हम कैसे करें, पैदावार कैसे बढ़ायें, और इम्प्रूव्ड टेक्निक गांवों में कैसे पहुंचायें। सब से पहला हमारे सामने काम यह है अगर हम खेती की उन्नति करना चाहते हैं, खेतों में ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो इस दस्तकारी में काम करने वालों को जितने रुपये की जरूरत हो हमको पहुंचाना होगा, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। उसके बाद काइंड की जितनी चीजें हैं, जिनकी जरूरत किसान को है वे भी सहकारी ढंग से उसके पास पहुंचायी जायं इसमें भी मुझे मतभेद नजर नहीं आता। यानी एक गांव के लोग अगर यह फैसला करें कि हमको इतने बीज की जरूरत है, हमको इतने खाद की जरूरत है, अगर यह वह कोआपरेटिव ढंग से गांव वाले लेना चाहें तो उसमें क्या मतभेद हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या कोई कहेगा कि उन्हें अलग-अलग बीज मिले? अगर ऐसा होगा तो कुछ को बीज मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, किसी को अच्छा बीज मिलेगा किसी को अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोआपरेटिव ढंग से गांव वाले एक सहकारी समिति बना कर कहें कि हमको इतने गेहूं के बीज की जरूरत है, इतने मटर के बीज की, जौ के बीज की, चने के बीज की, ऐसी उनकी मांग पहले ही आ जाय तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह सकता हूं कि दो तरीके अगर अपनाये जायं, एक तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिये गांव वाले कोआपरेटिव के जरिये तय करें और दूसरे हर आदमी अलग-अलग तय करें तो दोनों में बड़ा फर्क है। जो चीजें मिल कर लेना चाहेंगे उनको मिल जायंगी और अलग अलग लेने में मुमकिन है कि न भी मिले। और अगर मिल कर तय किया तो उनको प्राप्त करने में आसानी होगी। इसमें किसको मतभेद हो सकता है?

[श्री मोहनलाल गौतम]

फिर तीसरी चीज यह है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम शामिल में रखेंगे। अगर किसान देखते हैं कि डेढ़ या दो बीघे वाला किसान बैल नहीं रख सकता और बैल अगर सामूहिक रूप से रखें तो इसमें तो फ़ायदा ही है। आबपाशी का इंतजाम एक ट्यूबवेल लगा कर करें, या नए कुएं बना कर जिसके आसपास बिखरे हुए खेत हैं आबपाशी का इंतजाम करें। अगर वे सामूहिक रूप से रखना चाहें तो इसमें क्या किसी को एतराज है? कोई एतराज नहीं हो सकता है। अगर एतराज है तो मैं कहूंगा कि वे किसान का हित नहीं चाहते, देश के हित और प्रोडक्शन बढ़ाने के हित में नहीं हैं। तो अगर गांव वाले कैश लोन लेना चाहें सामूहिक रूप से कोआपरेटिव सोसाइयटी बना कर, खाद, बीज या कुछ चीजें वे आपस में अपने साथ रखना चाहें, ट्रैक्टर रखना चाहें, या बैल रखना चाहें या आबपाशी का इंतजाम करना चाहें, सामूहिक रूप से कुछ औजार रखना चाहें तो क्या एतराज है? क्या एतराज यह है कि कुछ लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी कमजोर लोगों के ऊपर? और अगर एतराज हो सकता है तो यह है कि बड़े लोगों को जो अभी सुविधायें आसानी से मिल जाती थीं, लेकिन हर आदमी को सुविधा नहीं मिलती थी, वह बन्द हो जायगी। इसलिये अगर सामूहिक रूप से वे लेना चाहें तो किसको एतराज है? यह तो मैंने सर्विस कोआपरेटिव्ज की मोटी-मोटी रूप रेखा रखी है। इन चीजों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपत्ति नहीं है तो फिर टेक्नोलाजी आयेगी, चीजें आयेंगी और वे किसानों को प्रेरित करेंगी कि वे मेंड़ रखें या न रखें, जैसे अगर बीज का फैसला करना है तो गांव वालों की मीटिंग होगी, सब लोग इकट्ठा होंगे और हर एक बतायेगा कि इतना उसे गेहूं, जौ, चना बोना है और किस-किस खेत में बोना है, उस वक्त फैसला करना पड़ेगा कि किस तरह से किया जाय तो गांव की सारी इकोनामी, फेमिली प्लान्स बनानी पड़ेंगी और गांव का सारा नक्शा बना कर एक यूनिट के तौर पर विचार करना पड़ेगा, और कुछ साधन ऐसे होंगे कि अकेले कोई नहीं ले सकता है। जैसे कुट्टी की मशीन है, क्या जरूरत है कि हर आदमी के घर में अलग-अलग कुट्टी काटने की मशीन हो, और सामूहिक रूप से कुछ औजार गांव में न आयें? तो लोगों ने अगर देखा कि मिल कर के काम करने में लाभ है तो सर्विस कोआपरेटिव्ज में मुझे विश्वास है किसी को मतभेद नहीं होगा। जब सर्विस कोआपरेटिव्ज में मतभेद नहीं है तो ज्वाइंट फ़ार्मिंग होगी या नहीं होगी इसका कोई हुक्म देने वाला तो नहीं है। मेरे दिमाग़ में ऐसा नहीं है कि मेंड़ तोड़ कर के खेत बना कर के जबर्दस्ती ज्वाइंट फ़ार्मिंग करायी जाय। अगर सब किसान मिलें गांव के और सब अपनी सुविधाएं सामूहिक रूप से प्राप्त करें और सामूहिक रूप से खेती में जितनी मदद हो सकती है करें और उसके बाद तय करें कि हम मेंड़ तोड़ कर ज्वाइंट फार्मिंग करेंगे तो मैं और आप कौन हैं यह कहने वाले कि नहीं करने देंगे। जबर्दस्ती हम करेंगे नहीं। मगर वह खुद फैसला करेगा तो हम रोकने वाले कौन हैं! इसलिये आज की जो कन्ट्रोवर्सी है, सर्विस कोआपरेटिव्ज को कोआपरेटिव फार्मिंग का पहला कदम हमने समझा है यह, और उसके बाद किसान तय करेगा कि ज्वाइंट फार्मिंग करे या नहीं, यह मैं नहीं समझ पाया। इसलिये इसका विरोध खत्म होना चाहिए और अगर उसके बारे में गलतफहमी है तो अपना दिमाग साफ कर लेने की हमें जरूरत है।

हमारे यहां २८० के करीब कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं। वह चार तरह की हैं। १ टीनेन्ट फार्मिंग है और ११ क्लेक्टिव फार्मिंग। जो टीनेन्ट फार्मिंग है वह एक्सेप्शन की तौर पर ले लीजिये और कलेक्टिव फार्मिंग, इन दोनों में जमीन सोसायटी की है। क्लेक्टिव फार्मिंग में सामूहिक रूप से खेती होती है। टीनेन्ट फार्मिंग में जमीन बांट दी गई है अलग अलग। इसलिये यह १२ सोसायटीज ऐसी हैं जिनमें जमीन सोसायटीज की है। बेटर फार्मिंग सोसायटीज जो आधार बनेंगी सर्विस कोआपरेटिव्ज की वह ९९ हैं। ज्वाइंट फार्मिंग सोसायटीज १६९ हैं। ज्वाइंट फार्मिंग सोसायटीज में ४५,६४९ एकड़ जमीन है, ४,११९ मेम्बर हैं, १४,९७,१५८ शेयर कैपिटल है, १,९६,६२२ रिजर्व फंड, ३९,९५,०८८ यानी ४० लाख के करीब वर्किंग कैपिटल है। १,९६,५६३ मुनाफा हुआ। इनमें से ९५ सोसायटीज मुनाफे में हैं और २९ घाटे में हैं। कलेक्टिव के सारे आंकड़े इस प्रकार हैं। एरिया

१,९३७, मेम्बरशिप २३८, शेयर कैपिटल ५९, २९७, रिजर्व १०,७३५, वर्किंग कैपिटल १,४५,४३१, प्राफिट २८,९८५। इनमें प्राफिट पर ७ और घाटे में १। बेटर फार्मिंग सोसायटीज में १२,६८० एकड़ जमीन, मेम्बरशिप १,९९५, शेयर कैपिटल १,०५,३२६, रिजर्व ५,४७६, वर्किंग कैपिटल ३,३०,८६७, प्राफिट १३,५३४। इनमें ६२ प्राफिट और ७ घाटे में हैं। टीनेन्ट फार्मिंग एक सोसायटी है वह फायदे में है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्राफिट है और राजा साहब मनकापुर अपना प्राफिट लगाते होंगे, उसमें फर्क है। फर्क यह है कि इसमें जो भी रुपया है उसका इंटरेस्ट देने के बाद प्राफिट है और मजदूरों की तनख्वाह देने के बाद है, जो तनख्वाह आमतौर से हम लोग नहीं देते हैं। इनका मुनाफा अगर इस तरह से देखा जाय कि मेरे पास खेती है, १० हजार रुपया लगा, तीन-चार भाई काम करते हैं, फिर कहते हैं कि १५ हजार का फायदा हो गया, तो न ब्याज लगता है, न मजदूरी लगती है और जो नकद मिल जाता है उसको बांट लेते हैं। १२ सोसाइटियां ऐसी हैं जिन का नेट प्राफिट ५,००० रु० से ज्यादा है, उन के शेयर होल्डर्स कितने हैं, एरिया कितना है, लागत कितनी है यह सब चीजें इसमें शामिल हैं जब नेट प्राफिट निकाला जाता है। उस में लगान भी शामिल होगा। एक सोसाइटी है मुजफ्फरनगर में बीरवाला, उसका ग्रास प्राफिट है १,२३,००० रु० और उसका नेट प्राफिट है १९,५७७ रुपया। इसी तरह से एक भाटिया फार्म की है बरेली की। उस का ग्रास प्राफिट है १,००,३८३ रुपया और नेट प्राफिट है ३१,६१८ रुपया। इस तरह से कुल १२ सोसाइटीज हैं, एक और है अनवारिस,रामपुर की। उसका भी नेट प्राफिट है २९,०१९ रुपया। इस तरह से १२ सोसाइटियों का नेट प्राफिट ५,००० रुपया से ज्यादा है। उनका एरिया और पैदावार मैं आप को सब बता दूंगा और जो भी बातें आप पूछेंगे उन सब का मैं उत्तर आप को दे दूंगा, लेकिन मैं केवल यह कह रहा हूं कि अब तक का जो तजुर्बा कोआपरेटिव फार्मिंग का हमारा है उस से हमें नाउम्मेद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह ज्यादा उत्साह-वर्द्धक है। उस में कमियां हो सकती हैं और कुछ अपनी कमजोरियां भी बता दूं। एक तो यह कि सरकार ने कोआपरेटिव फार्मिंग को कोई सहूलियतें नहीं दी हैं, जो औरों को सहूलियतें हैं वही उनको भी हैं, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कोई उनको पहले से कुएं की तकावी, बीज की सहूलियत या खाद की सहूलियत दी गई हो ऐसी कोई चीज सरकार की तरफ से उनके लिये नहीं की गई है। अगर इस तरह की सहूलियतें उनको दी जायं तो मेरा खयाल है कि यह मुनाफा और बढ़ जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो रेडरेग हो और हम उस से भागें, उस से तो देश का भला ही हो सकता है।

एक शब्द मैं और कहूंगा कि जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग या कोआपरेटिव मूवमेंट का सम्बन्ध है उससे देश की पैदावार बढ़ेगी, समानता आयेगी और हम उससे समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे। इसलिये चाहे मुझे और किसी चीज में वादविवाद हो, मैं सब लोगों से और खास तौर से सोशलिस्ट पार्टीज से बहुत जोरदार शब्दों में नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इसमें हमारी सहायता करें, सहयोग दें और इस मूवमेंट को सफल बनाने में सहायक हों, ताकि जो रिएक्शनरी शक्तियां देश में हैं उनका बोलबाला न हो और यदि हमारे समाजवादी तत्वों ने सहायता दी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस देश में पूर्ण समाजवाद स्थापित करने में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन में अपनी मांग पेश करता हूं।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य——नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सहकारी खेती नीति का अननुमोदन।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, अगर इच्छायें घोड़े होतीं, तो माननीय मंत्री जी उन पर चढ़ कर अवश्य ही बहुत दूर पहुंच गये होते, लेकिन जब हम तथ्यों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके बताये हुये इन तमाम साधनों के पीछे कौन सी रूपरेखा छिपी है, वह तथ्य क्या हैं जिनके आधार पर वह ऐसी बातें कह रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत से सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वह तथ्य नहीं हैं जो उन्होंने आपके सामने रखे। उन्होंने जिस बात को स्वीकार कर लिया अपनी बातचीत के दरमियान कि कोआपरेटिव ऐक्ट बहुत पुराना हो गया है और इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी उन तमाम घोषणाओं को जो इस सम्बन्ध में की थीं समाप्त कर दिया। अभी अभी जो अप्रैल, १९५८ में आल इंडिया कान्फरेंस में घोषणा हुई थी कि इस समय तक जो जिलाधीश काम करते हैं अध्यक्ष के रूप में कोआपरेटिव बैंकों के, तथा जो काम करते हैं अध्यक्ष के रूप में वहां के फेडरेशंस के, वह अब नहीं रहेंगे, लेकिन आप बराबर सरकार की एक बात देखते जाइयेगा कि जब उनको जनता को देना है तो उसमें बड़ी देर लगती है और जब जनता से लेना है तो उन बातों के होने में कोई देर नहीं लगती, वह तत्काल हो जाती है। अगर जनता यह मांग करती है कि हमें इसमें अधिकार दिया जाय, अगर किसी स्थान से यह मांग आती है——जो कि स्थान-स्थान से आज उठ रही है——कि हमारे जो संघ हैं, हमारे जो बैंक हैं, क्या कारण है कि उन पर अब भी सरकार के प्रतीक के रूप में जिलाधीश मौजूद हैं ?

श्री अध्यक्ष——मैं जानना चाहता हूं कि आपने दुबे जी का ही प्रस्ताव रखा है नम्बर ३ वाला, सहकारी खेती नीति का अननुमोदन ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद——जी हां।

तो जिस वक्त यह बात सरकार के सामने आती है उस समय अच्छे से अच्छा कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन जिसकी सदस्यता देश में, प्रदेश में चाहे जितनी बड़ी हो, वह असफल हो जाती है। आज तक क्रय-विक्रय के रूप में आपको अगर कोई सक्सेसफुल सोसाइटी मिलने वाली है तो वह केवल केन यूनियन है। जो आज तक अपने मूल्य की मांग सदन का प्रस्ताव होने के बाद भी मनवा नहीं सकी। केन कमिश्नर महोदय अब उसमें सर्वप्रकार से सर्वाधिकार रखते हैं। यह वह नक्शा है जो हमारे सामने समाजवादी समाज के ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके आधार पर हम से कहा जाता है कि आगे बनने वाली कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशंस, क्रय-विक्रय सब पर कृषकों का एकाधिकार होगा, जो कृषक चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा जी चाहेगा वैसे बेचेंगे, जब जी चाहेगा खरीदेंगे, ७५ फीसदी ले लेंगे, लेकिन इस तमाम सहूलियत के बावजूद, उनकी प्रकृति और सरकार की उस तमाम दौड़-धूप के बावजूद, आज जो कुछ हुआ है उसको आप इसी पुस्तिका में देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो आपको बड़ी सहूलियत होगी। उसमें एक स्थान पर लिखा रखा है, योजना की यद्यपि पूरी अवधि में वह लिखा है, लेकिन अब तक कुछ वर्ष तो बीत गये होंगे। उसमें लिखा है, "द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक एक चौथाई नकदी फसल और १० प्रतिशत गल्ले का क्रय-विक्रय सहकारी क्रय-विक्रय समिति की मार्फत करना।"

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मंत्री महोदय ने कभी यह एस्टीमेट न लगाया हो कि उनकी गल्ले की पैदावार प्रदेश में कितनी होती है, मैं उनकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि ९० लाख टन के लगभग है, जो कि हमारी जानकारी है और उसका २५ प्रतिशत और १० प्रतिशत वह निकाल लें तो शायद उनको पता चल जायगा कि कितने लाख टन तक उन्होंने अपनी योजना बना रखी है और आज मुश्किल से सब मिलाकर १९ लाख मन टन भी नहीं——१९ लाख मन उनकी सहकारी समितियों ने गल्ला हैंडिल किया है। मैं पूछता हूं कि इस थोड़ी-सी प्रगति को देखते हुए इनका वह ध्येय जिसमें कि सारा प्रदेश आ जायगा, जिसके आधार पर वह कल किसान को राजा बना देंगे, किस प्रकार पूरा होगा ? जिस लक्ष्य की बात आप करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं आपको बतला दूं कि आज का कृषक इन सब समितियों को एक ही

सोसाइटी सक्सेजफुल हो सकती है ? सोसाइटियों की ४४ लाख ९३ हजार कारोबारी पूंजी है। वह दृष्टिकोण यह है कि यह कोई सरकार का कारखाना है जो हमारे सिर पर बुरी तरह ठोंक दिया गया है। वह उनसे डरता है, वहां के व्यवहार से डरता है, वहां गल्ला रखने से डरता है। मैं आपको इसमें अगर कोई अपनी बात कह दूंगा तो मंत्री जी कहेंगे कि यह तो बहुत मामूली बात है। यह पुस्तक है आई० एल० ओ० की "कोआपरेटिव प्रैक्टिस" इसमें से कुछ अंग्रेजी के शब्द आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

"On the other hand, too much supervision and interference will devitalise the co-operative and lead the members to believe that the Government is to run it for them, instead of their doing this themselves."

तो वह जो आज निरन्तर इस प्रयत्न में रहते हैं कि यह तमाम सहकारी ढांचा किसी प्रकार उनके कब्जे में आ जाय, मैं बताना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष के किसान को कभी इस स्थिति में नहीं पायेंगे कि वह सरकार की इतनी गुलामी करे।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना, पीठासीन हुये।)

इसके बरक्स जो उनका आर्गेनाइजेशन है अगर उसको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वह कितना स्लैक है। इसी पुस्तक में जिसमें उन्होंने अपने आडिट का जिक्र करते हुये तमाम बातें लिखी हैं यह स्पष्ट हो जाता है कि जनता के लगे हुये पैसे की कितनी उपेक्षा की है, जिस गरीब जनता के लिये एक-एक पैसा उसके जीवन और मरण का प्रश्न है उसका किस प्रकार दुरुपयोग किया है। सरकार के पास आडिटर्स नहीं हैं कि वह जनता के पैसे की आडिटिंग करवा सके। सरकार ने उसमें दो आर्गेनाइजेशन्स कर रखे हैं। जब कुछ आडिट हो कर आता भी है तो आडिट विभाग दूसरे रजिस्ट्रार के अन्तर्गत है और ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग दूसरे के अन्तर्गत है। नतीजा यह है कि अगर आज किसी सोसायटी में कोई गबन कर रहा है तो वर्षों बाद दूसरे विभाग को सूचना पहुंचती है और तब तक गबन करने वाला उस हिसाब को मैनुपलेट करके बराबर करके चला भी जाता है।

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के तमाम केसेज आपको ज्ञात होंगे कि जिनमें अधिकारियों की अटर नेग्लिजेन्स से रुपया गबन हुआ है। हमारा जिला सीतापुर खुद इसका भुक्तभोगी है। सीतापुर में अभी अभी एक लाख रुपये के गबन की खबरें हैं और उस गबन के बाद भी उस फेडरेशन का वर्षों से आडिट नहीं हुआ था और इतना समय उस अधिकारी को मिल गया कि उसने सब पत्रक भी जला दिये और आफिस ही में जला दिये घर पर भी नहीं। तो इस प्रकार की नेग्लिजेन्स जब तक इस कोआपरेटिव विभाग में होती रहेगी तब तक यह विभाग उन्नति करने के बजाय अवनति ही करता रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक बात बता दूं। ताज्जुब है कि एक ऐसे विभाग में, मेरे खयाल में, इस वर्ष तीन रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज बदल चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिल सका जो २–४ वर्ष कम से कम कोआपरेटिव विभाग का काम चलाता। यह हालत है ऐडमिनिस्ट्रेशन की जिसके अन्तर्गत हम समाज की तमाम खेती को, समाज के तमाम रुपये को और समाज की तमाम शक्ति को केन्द्रित कर देना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा सदन के तमाम सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि इस पर वे विचार करें कि क्या इस प्रकार हम जो आज हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे किसी को समझा सकते हैं कि वह इनमें अपना तमाम पैसा इस आधार पर लगा दें ? यह जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जिनके नाम यहां लिये जाते हैं क्या इस तरह के ऐडमिनिस्ट्रेशन से वह सक्सैसफुल हो सकती हैं ? हमें यह देखना पड़ेगा, हमें यह सोचना पड़ेगा। यहां पर तमाम सोसाइटियों का जिक्र आया। हाउसिंग सोसायटी का जिक्र आया, क्रेडिट सोसाइटी का जिक्र आया। इसके संबंध में बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है वह उसी के आधार पर समाजवादी

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

समाज बनेगा। इस सोसाइटी से किसानों और भूमि-हीनों को कृषि और उचित उपयोग के लिये सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। मैं जानना चाहूंगा कि भूमिहीन मजदूरों के लिये जिनकी संख्या कई लाख की है उनको ऋण देने की कहां व्यवस्था हुई है। आज आपने घोषणा की कि सभी को सदस्य बना लेंगे। लेकिन जब किसी चीज की रूपरेखा का जिक्र आया जैसे कोआपरेटिव फार्मिंग की क्या रूपरेखा है तो कहा गया कि अभी तय नहीं हुआ है। किस आधार पर रुपया दिया जायगा इसके लिये आपने कहा कि ४०–५० रुपये देंगे तो कोई आदमी इतना रुपया लेकर भाग नहीं जायगा।

हमारे मंत्री जी को शायद मालूम नहीं है कि इस प्रदेश के ऊपर कई सौ करोड़ रुपये का कर्ज है उनको रूरल बैंकिंग इंक्वायरी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिये तो उन्हें ज्ञात हो जायगा कि आज-कल काश्तकार को इन सोसाइटियों के अलावा बहुत सा रुपया मारकेट से कर्ज लेना पड़ता है और यह रुपया जो रखा गया है उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। जिसने रुपया दिया है वह डंडा मारकर वसूल कर रहा है। कोई लेजिस्लेशन भी इस प्रकार का सदन में नहीं आया। ऐसी दशा में कुछ करोड़ रुपया रखकर आप समझते हैं कि प्रदेश की सारी समस्याओं का निराकरण हो जायगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कृषक आज भी इस रुपये को अपने उपयोग में उतना नहीं ला रहा है जितना कि आप सोचते हैं और जो भूमिहीन मजदूर बड़े कृषकों के हाथ कुछ सौ रुपयों में बिके हुये हैं उनका कोई सवाल नहीं है, लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटियों ने भी उनका कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि जब यह बनी थीं तो इनका स्लोगन था कि यह गरीबों के लिये हैं। आज भी मंत्री जी कहते हैं कि यह गरीबों के लिये हैं।

आप देखेंगे कि कोआपरेटिव फार्मिंग का बहुत जोरों के साथ जिक्र किया गया। उनके भाषण के बीच में लोगों ने पूछा कि इसका एरिया क्या है, लेकिन वह पुस्तक के अंत में लिखा था इसलिये उन्हें बताने में दिक्कत हुई। मैं कहता हूं कि ६,३५२ सदस्य कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के इस प्रदेश में हैं और ६१,०६१ एकड़ भूमि उनके पास थी। अगर मोटे तौर पर इसको तकसीम कर दिया जाय तो १० एकड़ भूमि प्रति काश्तकार पर इन सोसाइटियों में पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किस भाग में औसत भूमि कृषक के पास दस एकड़ है? अगर आप इतना ही कर दें तो यह समस्या ठीक हो जायगी। पूर्वी जिलों में मुश्किल से काश्तकार एक एकड़, डेढ़ एकड़ और दो एकड़ के पड़ते हैं। संयुक्त परिवार यदि टूट जायं तो जिनको आप बहुत कृषक समझते थे वह केवल ५–७ एकड़ के ही रह जायंगे। आज आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी किसी नार्मल गांव की नहीं है। कहीं भूमि थी आपने सोसाइटी बना दी और लैंड खरीद लिया और वह सोसाइटी चल रही है। क्या इस आधार पर आपकी सोसाइटी सक्सेजफुल हो सकती है? सोसाइटियों की ४४ लाख ९३ हजार कारोबारी पूंजी है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन से कृषक हैं, जब आपके सामने सबको सप्लाई करने की समस्या आयेगी तो उतनी पूंजी सप्लाई कर सकेंगे? इस प्रदेशीय सरकार की एक नीति है कि आयी हुई समस्या को, ऐसी समस्या में लगा देना जो सदा के लिये टल जाय। अगर प्रदेश में गल्ले की कमी है उन्होंने कहा कि सहकारी खेती से दूर हो सकेगी। यह नहीं कहते कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने से यह समस्या हल होगी। अधिष्ठाता महोदय, मेरे खयाल से २५ मिनट मिलेंगे?

श्री अधिष्ठाता—२० मिनट।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—अभी १२ ही मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—मुझे यह बताया गया है कि आज इस अनुदान के लिए १५ मिनट ही हैं। १३ मिनट आपके हो चुके हैं। २ मिनट बाकी हैं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—मुझे इसका पता नहीं था। इसलिए पांच मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---अच्छा पांच मिनट और बोलिए ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---सहकारी कृषि का एक एक्सपेरीमेंट झांसी में हुआ । हुआ यह कि बैल आठ बजे पहुंचे और कोई दो घंटे के बाद आया । नतीजा यह है कि वह असफल रही । अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को बताया नहीं होगा वह उनसे पूछ लें । माननीय मंत्री जी सरकारी आदमियों को ट्रेन करके यह योजना चलाना चाहते हैं । एक समय यही बात आपके सामने इस रूप में रखी गयी थी कि आज का पढ़ा-लिखा वर्ग जो अपने रूप में कृषक नहीं उसको भूमि दे कर किस प्रकार अच्छी खेती करवायी जा सकती है । यहां पर बहुत सी बातें रूस और चीन की हुईं । मेरे पास एक पुस्तिका है रूस के सूचना विभाग की । समय बहुत कम है वरना मैं पढ़ कर सुना देता । इसको मंत्री जी देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वहां कोआपरेटिव फार्मिंग है उससे उनको भोजन की सामग्री भी नहीं मिल पाती, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती । इसके बाद जो वहां कोआपरेटिव के कृषक हैं वह आराजी और जानवर अलग रहते हैं । (व्यवधान) पांच मिनट और दे दें तो पढ़ कर सुना दूं । अधिष्ठाता महोदय, इस स्थिति में जब कि रूस में कोआपरेटिव फार्मिग शुरू हुई जिसका बड़ा गायन गाया जाता है, लेकिन वहां इस समय का हल नहीं हुआ । वहां काश्तकारोंके पास उसके अलावा भूमि है । (व्यवधान) आज कहा जाता है कि हर बात नीचे से आनी चाहिए, लेकिन यह बात बिलकुल ऊपर से लादी जा रही है । आज किसी ग्राम सभा में, किसी जिला प्लानिंग कमेटी में, कहीं मांग नहीं आयी कि कोआपरेटिव फार्मिग होनी चाहिए । आज यह तरीका बन गया है कि हर बात ऊपर से तय हो जाती है और फिर उसको लादते हैं । भारत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर यह एक्सपेरीमेंट सक्सेसफुल हुआ हो । या मंत्री जी दिखलवा देंगे तो मान जाऊंगा । हमने देखा, उन्हें पढ़ा है । पढ़ाई के आधार पर कहता हूं कि उनका यह आधार नहीं है जो कि आप बता रहे हैं । मैंने आपको बताया कि आज भी इस प्रदेश में आप कोई ऐसी कोआपरेटिव फार्मिंग दिखा देंगे जो कि नार्मल गांव में बनी हो, जिसका कि सम्बन्ध उस गांव से हो जिसमें कृषक रहते हों, और उसमें वह सफल हुई हो तो मैं मान जाऊंगा । ऐसा कोई फार्म नहीं, जो कि आपने डोनेट किया हो या जो कोई लैंड टूटा हो उसको कल्टीवेट कर लिया हो और उस आधार पर यह कोआपरेटिव फार्मिंग कर रहे हों, वैसा नहीं, नार्मल गांव में आप दिखा दें । इसलिए मैं उन कृषकों की ओर से और जिसमें कि आज सरकार इन्टरेस्टेड है और आज सरकार कहती है कि उनको हम मजदूर के रूप में रख लेंगे, किसी गांव की जनसंख्या जिसके पास १५ हजार एकड़ आराजी होगी, उस गांव की जनसंख्या हजारों होगी, उसमें सैकड़ों आदमी बेकार हो जायंगे । इसमें लिखा हुआ है कि उनको इंडस्ट्रीज में लगा दिया जायगा । अगर आप कोआपरेटिव उद्योग की हालत देखें जो कि वह खुद ही रन करेंगे, प्रान्त में जो सहकारी उद्योग हैं उनकी क्या स्थिति है, उसे देखें तो उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं है और इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव जो हैं उनका प्रोडक्शन ५८१ लाख रुपये का कुल है । अब आप कहिए कि इससे कितने लोगों को लेबर मिल सकेगा ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरप्लस लेबर हो जायगा माननीय मन्त्री महोदय उसको कहां लगायेंगे, उसका क्या करेंगे ? भारतवर्ष में एक भी पालिसी कोई भी कार्यक्रम जिसके आधार पर कि श्रमिक बढ़ने वाले हों, कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई दूसरा रोजगार मन्त्री महोदय के पास नहीं है सिवाय इसके कि हमारी योजना, हमारा आधार मान लिया जाय और उनका सर्विस कोआपरेटिव या इस तरह का अच्छा नाम दे दिया जाय ।

[श्री मथुरा प्रसाद पांडेय---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रस्तुत किये गये मान लिये गये ।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। विभाग मे फैले भ्रष्टाचार पर विवाद करना।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। सीतापुर जिले में सहकारिता विभाग में हुये गबन मुख्यतया कुंवरपुर मंड़िया, ईट के भठ्ठों में हुये गबन पर चर्चा।]

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि इस सहकारिता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम अपने सहकारी मंत्री के इस अनुदान का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं सहकारी विभाग के उन कार्यों की प्रशंसा करता हूं जो कि सहकारी विभाग ने जनहित में किये हैं। इससे पहले सहकारी विभाग का कार्य-क्षेत्र इतना कभी नहीं था जितना कि हमारी वर्तमान राज्य-पद्धति के द्वारा उसका विस्तार हुआ है। जनता को इस सहकारिता से जो लाभ हुआ है उनको हमें सामने रखना चाहिये। सहकारिता विभाग में कमी और बुराई ही बुराई बताने की एक धारणा विरोधियों की हो गई है, लेकिन मैं अपने विरोधी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जरूर कमियां होती हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। मैं अपने मित्रों की तरफ से कभी यह नहीं सुनता कि अगर वह दस बुराई बतलायें तो दो चार भलाई की बात भी बतला दें, कभी भलाई की बात भी तो कह दिया करें कि इस गवर्नमेंट ने दो चार काम अच्छे भी किये हैं। जहां तक आप लोगों का संबंध है आप लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि अगर कोई भला काम किया जाय तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। आप लोगों ने अपना यह कर्त्तव्य बना लिया है कि जो भी काम हो उसका विरोध किया जाय। आप सहकारिता के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया है। मैं अपने जनसंघ के साथियों से पूछना चाहता हूं कि वे इस सहकारिता के बारे में क्या समझते हैं। उनका काम तो यही है कि शोषण किया जाय और जमींदारी की स्थापना करें। कुछ दोस्त हमारे उनके इधर बैठे हैं वे अवसरवादी हैं। सिवाय सहकारिता के बुराई करने के और कुछ काम नहीं है।

आपने कोआपरेटिव फार्म की बात कही। सहकारिता का अर्थ क्या है? मैं आपके द्वारा अपने माननीय मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के आधार पर जो खेती हो उसका अर्थ यह है कि जो छोटी-छोटी जमीन के टुकड़े हैं उनके मालिक सब मिलकर अपनी-अपनी जमीन पर एक दूसरे के सहयोग से खेती करें, ताकि अधिक अन्न उपजाया जाय। यदि उसमें हमको सफलता प्राप्त होती है तो फिर आगे नये ढंग हो जायेंगे जिससे हम अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा। सहकारी फार्म के बारे में एक माननीय सदस्य ने रूस का उदाहरण दिया। यहां पर रूस का सवाल नहीं है। यहां पर हिन्दुस्तान का सवाल है। हिन्दुस्तान में नये ढंग की सहकारिता को लाना है। दूसरे देशों में वे चीजें नहीं हुई हैं बल्कि हमको हिन्दुस्तान के अन्दर उन नई नई चीजों का निर्माण करना है और नये नये आविष्कार करना है। उसी ढंग से हमारी सरकार चल रही है। आप यह कह सकते हैं कि सहकारिता किस ढंग पर हो, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि दुकान भी सहकारिता के ढंग पर हो सकती है। वह व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिये। कारखाना भी सहकारिता के ढंग पर हो उस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा हो जाय तब आपको पता चलेगा कि सहकारिता के आधार पर जो काम किया जाता है उससे कितना लाभ हो सकता है। आपको अभी सहकारिता के बारे में कम मालूम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री जी से भी यह निवेदन करूंगा कि जो कर्जे के लिये सोसाइटियां बनती हैं उनसे गरीबों को लाभ नहीं होता है और विशेषकर खेतिहर मजदूर और हरिजनों को कोई लाभ उससे नहीं होता है। उनके पास जब तक कोई वैल्यू नहीं है तो उनको १०० रुपये का लोन भी नहीं मिलता है। इस तरह से सरकार उस रुपये का दुरुपयोग करती है और उससे जनता का अहित होता है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि सहकारिता का अर्थ यही है कि गरीब मजदूरों और हरिजनों को उससे कुछ लाभ हो और उनको भी कर्जा वहां से मिल जाय। यदि इस तरह से उनके लिये ये सोसाइटीज स्थापित नहीं की गईं तो उन निर्धन लोगों को, जिनके पास रहने के लिये झोपड़ी भी नहीं है, जो बाढ़ पीड़ित होकर, छप्पर डालकर रहते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा और न अब भी हो रहा है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन मंत्री जी से यह है कि इसके लिये वह अपने विधेयक में इस प्रकार का परिवर्तन करें जिससे गरीब मजदूर और हरिजनों को भी उससे लाभ मिले। अब जहां तक अधिकार का सवाल है---आपने श्रीमन्, लाल बत्ती जला दी, मुझे तो कुछ अधिक टाइम देने की मेहरबानी करें।

श्री अधिष्ठाता---आप ३ मिनट और बोल लीजियेगा।

श्री हरी सिंह---मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीबों में इंडस्ट्री फैलायें और इन अधिकारियों से हम को राहत दिलवायें। हमारे यहां आज ५०० सोसाइटियां मौजूद हैं, ७,८ लाख का कैपिटल मौजूद है, अगर यह सरकारी अधिकारियों के हाथ में होतीं तो उनका विध्वंस हो गया होता। जहां जमीन पड़ी हुई है वहां छोटे-छोटे किसानों के फार्म बनवाइये और इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा छोटे वर्ग में बांटी जाय, फैलायी जाय, ताकि हम विरोधियों का मुंह बन्द कर सकें। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सहकारिता मंत्री इस ओर ध्यान दें।

जहां तक विभाग की बात है, उसने काफी अच्छा काम किया है और हमारे मंत्री जी बराबर इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसी बात आप कहते हैं वैसा नहीं है। आप लोग अध्ययन करें और समझें और यह सोचें कि सहकारिता के बिना देश चल नहीं सकता। सहकारिता से ही शासन चल रहा है और सहकारिता से ही व्यापार, खेती और इंडस्ट्री चलेगी। जैसी कि लोगों की भावना है, वह रुक नहीं सकेगी और इसलिये आपका कर्त्तव्य है कि आप ऐसे सुझाव दें कि सरकार उन पर अमल कर सके।

***श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह** (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती के साथ सहकारिता की जो भावी रूपरेखा है उसको सदन में प्रस्तुत किया। शायद मेरे बारे में उनको कुछ भ्रम हुआ। यह हरगिज नहीं है कि मैं सहकारिता के विरुद्ध हूं।

श्री मोहन लाल गौतम---पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैंने तो मिसाल के तौर पर एक बड़े खेतिहर की बात कही थी कि वह कितनी मजदूरी देते हैं। मेरी कोई आक्षेप करने की नीयत नहीं थी। आप चूंकि सामने थे तो इसलिये नाम जल्दी आ गया कि जितनी आप मजदूरी देते हैं उससे ज्यादा वह देते हैं।

श्री अधिष्ठाता---मेरा खयाल है कि वे अपने भाषण की भूमिका बांध रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह---सहकारिता में कुछ विशेषतायें हैं, लाभ की चीजें हैं, लेकिन उसमें एक दो चीजें बहुत हानिकारक हैं और उनको अपनाने से देश की प्रगति रुकेगी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवर्नीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

और उसकी हानि होगी।

जहांतक प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है, अपने देश का कोई नागरिक यह नहीं कह सकता कि प्रोडक्शन न बढ़ाया जाय। जहां तक समाजवाद और उसमें धन के वितरण की चर्चा हुई, उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर मैं आप के द्वारा सदन में यह कहना चाहता हूं कि कहांतक सरकार की नीयत वास्तव में धन के वितरण करने की है इसको देखा जाय। जिस रूपरेखा की ओर हम चल रहे हैं उसमें देहात के अन्दर एक हद बांधी गयी है कि कोई व्यक्ति ३०० रुपये महीने से अधिक नहीं कमा सकता जब कि शहरों में रहकर वही व्यक्ति चाहे कितना ही कमा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब एक स्थान पर उस के लिये सीमा है और वह खेती कर के इससे अधिक धन नहीं कमा सकता है तो उसके साथ जो समाजवाद और धन वितरण की बात कही गयी उसमें कहाँ तक सत्यता है इस पर सदन स्वयं विचार करे।

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कुछ इस बात को भी बयान किया कि ऋणों के संबंध में वह नियमों में परिवर्तन करने जा रहे हैं ताकि उस व्यक्ति को जिसकी हैसियत अब तक नहीं आंकी जा सकती थी उसको भी धन प्राप्त हो सके। मैं आपके द्वारा इस बात का स्वागत करता हूं। आज यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि वास्तव में जिसकी कोई भूमि नहीं थी उसको कोई सहायता और धन नहीं प्राप्त हो सकता था, मगर जो योजना बनाई गई है उस पर वास्तव में अगर अमल किया जाय तो उससे लाभ हो सकता है। मंत्री महोदय ने कहा कि जो प्राइमरी सोसायटीज़ हैं उनको अधिकार मिल जायगा कि सामूहिकरूप से बैंक से कर्जा ले सकें और उसे मनमाने ढंग से बांट लें। मगर आज ऐसा आभास होता है कि वह सरकारी आन्दोलन है, सहकारी आन्दोलन नहीं क्योंकि सरकारी छाप ऐसी लगी हुई है सुपरवाइजर से लेकर रजिस्ट्रार तक जिनके इशारे, हुक्म और मंशा पर यह आन्दोलन चलता है। मिसाल के तौर पर मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि अभी तक जो कहा जाता है उसमें कहां तक सरकारी दबाव नहीं पड़ेगा और जैसा वे चाहेंगे उसी के अनुसार प्रोग्राम होगा। आगरा जिले में पड़ौना में एक सोसायटी है जिसका वार्षिक चुनाव ५-७ वर्षों से नहीं हो पाया। उसको मजबूर किया जाता है कि तुम अपना संबंध डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से रखो नहीं तो तुम्हारा जलसा नहीं होने दिया जायगा। हमारे मंत्री जी यहां से चले गये हैं लेकिन मैं आशा करता हूं कि उपमंत्री जी हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा देंगे। जो कुछ अभी कहा गया है वह बड़ी खूबसूरती के साथ जहर की पुड़िया खिलाने की कोशिश की गई है। मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से बयान किया कि सर्विस कोआपरेटिव्ज कर देने से सब ठीक हो जायगा लेकिन काश्तकार उससे घबड़ाता है। मुझे उनकी नीयत पर शक है। सर्विस कोआपरेटिव्ज का जहांतक सवाल है उसके संबंध में यह कोई नहीं कह सकता कि लाभ नहीं है लेकिन उसको बनाने के बाद जो अगला कदम सरकार का उठाने का इरादा है, मंत्री महोदय ने जैसा कहा कि संयुक्त खेत करके मेड़ तोड़ने का इरादा है इसके लिये काश्तकार कभी तैयार नहीं हो सकता। वह नहीं चाहेगा कि हमारी मेड़ तोड़कर हमारी मिल्कियत और हमारी रुचि तोड़ दी जाय। मुझे भय है कि जैसा पड़रौना में किया गया, उनको मजबूर किया गया कि तुम को ऐसा करना पड़ेगा उसी तरह से जब सर्विस कोआपरेटिव्ज में लोग शामिल हो जायेंगे तो उनको भी मजबूर किया जायगा कि आगे चलकर तुम कलेक्टिव फार्मिंग में शरीक हो।

सब से बड़े भय की बात यह है कि हाल ही में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट बदला गया था उसमें रजिस्ट्रार को सर्वशक्तिमान बना दिया गया है कि वे जो चाहें करें और जो नियम वे बना देंगे वे लागू होंगे। आज तो यह कहा जाता है कि हम सदस्यों को अधिकार देते हैं, १० आदमी जिस तरह चाहें काम करें, लाभ उठायें और दूसरी तरफ हमारे सर पर एक अंकुश लटका दिया जाता है कि तुमको जो रजिस्ट्रार आर्डर दे उसे पालन करो। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि सहकारी आन्दोलन जनता का आन्दोलन है, यह कहां तक सत्य है ?

जहांतक कोआपरेटिव फार्मिग का सवाल है उसके संबंध में मंत्री महोदय ने बड़े सुन्दर आंकड़े बताये मगर यह नहीं बताया गया कि पर एकड़ आमदनी क्या है। वह मैं आपकी आज्ञा से, मंत्री जी जो थोड़ा काम छोड़ गये हैं, सुनाना चाहता हूं। सन् १९५४-५५ से ५६-५७ तक सहकारी फार्म के तमाम आंकड़े मंत्री जी ने इसी सदन में मेरे सवाल के उत्तर में दिये थे जिसके अनुसार नेट एरिया अन्डर कोआपरेटिव फार्मिंग ५३,७७१ एकड़ था और वर्किंग कैपिटल ३७,४०,७५२ रुपये था। ग्रास इनकम पर ईयर ड्यूरिंग थ्री ईयर्स २४,०२,७०३ रुपये थी और एवरेज ग्रास इनकम पर एकड़ पर ईयर ४४ रुपये ७ आने थी। श्रीमन्, यह ग्रास इनकम थी। एवरेज प्राफिट पर एकड़ आया १ रुपया २ आना। अब जरा गौर करिये, ४४ रुपये ७ आने पर एकड़ ग्रास इनकम हुई और यह गल्ला पैदा होने पर उसकी कीमत से ही है। यह माना जाता है कि सारा देश इसका अनुकरण करे और किसान को इसके लिये फुसलाया जाय। आज उत्तर प्रदेश में १ करोड़ एकड़ बंजर खेत पड़ा हुआ है। वह काबिले जराअत है। १ करोड़ २० लाख एकड़ जर्मीन पंचवर्षीय योजना के शुरू में थी। हमारे देश के नेताओं के कहने से खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये हमारे नौजवान जुट गये और पंचवर्षीय योजना के अनुसार सन् ५०-५१ से ५४-५५ तक करीब १५ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी। मगर १९५५-५६ में सहकारिता की चर्चा हो गई और सिर्फ ९८,००० एकड़ जमीन टूटी। सन् १९५७-५८ में १ लाख ८० हजार एकड़ और कम हो गई। जिस तरह आपने लाल बत्ती जला दी और मैं घबरा गया उसी तरह किसान के दिल में सहकारी खेती के एलान ने घबराहट पैदा कर दी। मैं कहता हूं कि अभी भी करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। आप सीलिंग करके ५ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं पाइयेगा। पहले आप उस पर खेती करें।

अभी हमारे भाई हरी जी छोटे किसानों की दुहाई दे रहे थे। मैं यह कहूंगा कि एलान हो चुका है कि छोटा किसान जमीन नहीं पायेगा जो कि बड़े काश्तकारों से ली जायगी। वह जायगी कोआपरेटिव को। सहकारी खेती का तजुरबा सारे देश और प्रदेश को हो चुका है कि इस तरफ कदम बढ़ाना बहुत खतरनाक है। सहकारिता को सफल बनाने के लिये इसमें जो हुकूमत का माद्दा भरा हुआ है कि रजिस्ट्रार साहब जो चाहें वही होगा, उसे दूर करिये।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---अधिष्ठाता महोदय, इस देश में अभी तक सहकारिता का आन्दोलन बहुत ही मन्द गति से चलता रहा था। उसमें बहुत सारी खामियां होते हुये भी हमारे देश की दृष्टि उस ओर लगी हुई थी। पिछली नागपुर कांग्रेस ने जो सहकारिता की कृषि का प्रस्ताव पास किया उससे इसे बहुत बल मिला और पिछली पंचवर्षीय योजना में भी इस ओर विशेष तौर से ध्यान आकृष्ट किया गया था। कांग्रेस का उद्देश्य ही इस देश में कोआपरेटिव कामनवैल्थ की स्थापना है और इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस जनता के सामने गई थी और जनता ने सारे प्रदेशों में कांग्रेस की हुकूमतें स्थापित करके यह जाहिर किया कि हिन्दुस्तान के भीतर कोआपरेटिव कामनवैल्थ ही सबसे सुन्दर उद्देश्य हो सकता है और सहकारिता की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। इसका भी स्पष्टीकरण वहां से हुआ। जब से हमारे यहां कृषि और सहकारिता का कार्य एक मंत्री को दिया गया है तब से इस आन्दोलन में काफी प्रगति आई है और आज भी हम प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सहकारिता के अन्दर बहुत सारी खतरे की बातें छिपी हुई थीं, इसमें शक नहीं है। कोआपरेटिव के चलाने वाले लोगों में बहुत बड़ी ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। अगर इसकी कमी है तो उस सहकारिता का चलना मुश्किल हो जाया करता है। यही कारण है कि जनता द्वारा नियंत्रित होने के बावजूद भी सहकारी संस्थाओं को पूरा पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

अधिकार छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। जनता को जब हम सहकारिता की ओर आकृष्ट करते हैं तो हमारा नियंत्रण उस पर इतना ही रहना चाहिये कि जनता का जो धन कोआपरेटिव में जमा हुआ है उसका दुरुपयोग न हो।

एक वक्ता महोदय ने कहा था कि कोआपरेटिव संस्थायें जितनी चल रही हैं उनकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही है। हो सकता है कि यह बात सही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि शायद वह कोआपरेटिव के विरोधी हैं। जो लोग भी इस देश में बसते हैं, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे पक्ष के हों, सहकारिता आन्दोलन के करीब-करीब सभी समर्थक हैं। हां, उसकी खामियों के सभी लोग विरोधी हैं। लेकिन चूंकि किसी अच्छे काम में खराबियां होंगी इसलिये उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाय, यह बात बिल्कुल निकम्मी सी है और यह चीज किसी भी देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधक होती है। आज स्वभावतः यह बात सभी लोगों के दिमाग पर नाच रही है कि हमें सहकारिता-आन्दोलन को बढ़ाना चाहिये। इसके द्वारा जनता की समस्याओं को हल करने का हमें पूरा भरोसा दिखलाई देता है और इसीलिये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन का जितना भी कार्य है सभी सहकारिता के अन्दर आबद्ध हो जाय और हम केवल ला ऐंड आर्डर के लिये, शांति व्यवस्था के लिये, राज्य की अपेक्षा करें। जिस दिन यह हो जायगा उस दिन हम समाजवाद के बहुत निकट पहुंचते हुये दिखलाई देंगे। इसी ओर हमारे क़दम बढ़ने चाहिये।

साथ ही साथ, जितना भी हमारा उत्पादन है उसे मध्यवर्ती लोग लेकर जिस तरीके से हमारा विनाश करना चाहें वे करते रहें, यह बहुत ही खतरनाक चीज है। खास तौर से यह कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि के उत्पादन की वृद्धि न हो और कृषि की चीजों के भाव मनमाने तरीके से व्यापारी के हाथ में रहें, जब वे चाहें मन्दा कर दें और जब चाहें मंहगा कर दें। किसान बेबस होकर रह जाता है। यह सब चीजें गलत साबित हो जाती हैं। इसी कारण से जो विरोधी पक्ष के सज्जन बोले थे उन्होंने बतलाया था कि जब तक भावों में स्थिरता नहीं लायी जायगी तब तक किसान हमेशा परेशान ही रहेगा। अगर वह परेशान होगा तो उसका मन गल्ला उत्पादन करने में नहीं लगेगा। इसको देखते हुए कोआपरेटिव्ज को, आवश्यकता है। वहीं के लोग उनको खरीदें और वहीं के लोग उसको बेचें, और बीच का मुनाफा खाने वाले लोग न हों। उत्पादन में जिस प्रकार से इस चीज की जरूरत है उसी प्रकार से वितरण को भी नियोजित और नियमित करने की आवश्यकता है जिससे हर आदमी के पास उसकी जरूरत की चीजें मुनासिब दामों में आवश्यकतानुसार पहुंच जाया करें। हमारे देश में ही क्या दुनिया भर में यही समाजवाद का लक्ष्य रहता है कि हर आदमी से उसकी शक्ति भर काम लिया जाय, और उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजें उसको मुहैया की जायं। जितनी भी समाजवादी विचारधारायें हैं, उन सभी का लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य को सामने रख कर जब हम इस चीज को देखते हैं कि हम कहां जा रहे हैं तो हमें रुक कर यह सोचना पड़ता है कि हम कौन सा उपाय करें जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और लोगों की सारी आवश्यकताओं की चीजों को मुहैया कर सकें। इसी चीज को सामने रख कर हमारे देश में हमारे शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

कुछ लोगों का कहना है कि देहात की आमदनी को नियंत्रित किया जा रहा है और शहरों की आमदनी पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत भ्रमात्मक बात मालूम पड़ती है। देहात की आमदनी में ही वृद्धि करने के लिये हम इन कोआपरेटिव्ज का निर्माण कर रहे हैं और शहरों की आमदनी पर टैक्सेज के द्वारा नियंत्रण लगाया जा रहा है। जिन लोगों पर यह टैक्सेज लगे हुए हैं उन्हें पता होगा कि वे कितने पानी में हैं। विरोध करना और किसी बात की आलोचना करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी काम को ठीक ढंग से करके जनता को उससे लाभान्वित करना कठिन होता है। विरोधी पक्ष को यह

सुविधा रहती है कि वह आलोचना आसानी से कर सकता है, लेकिन उसका कर्तव्य तो यह है कि वह यह बताये कि फलां योजना के स्थान पर फलां योजना किस प्रकार से चलायी जाय। सत्तारूढ़ दल का उत्तरदायित्व होता है अपने हिसाब से देश की उन्नति करना लेकिन उससे कम उत्तरदायित्व विरोधी पक्ष का नहीं होता है। जब सरकारी पक्ष किसी योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न कर पाये तो विरोधी पक्ष को कोई समानान्तर योजना रखनी चाहिये। विरोधीपक्ष जब किसी योजना का विरोध करता है तो उसके सामने कोई समानान्तर चित्र उपस्थित होना चाहिये और बताना चाहिये कि उस चित्र को पूरा करने के लिये यह प्रयास करना उचित है, और यह प्रयास करना अनुचित है। इन्हीं चीजों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। इन शब्दों के साथ, जो सहकारी अनुदान उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटमोशन उपस्थित किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सहकारिता के सिद्धांतों का सवाल है मुझे उनसे कोई विरोध नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने अनुदान को पेश करते वक्त यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी को इसमें सहयोग देना चाहिये और समाजवादी समाज का जो उन्होंने चित्रण किया, उसमें सहकारिता का सिद्धांत है, यह बात उन्होंने कही। लेकिन इस तरह से कोई समाजवादी खास करके जो सत्ता के विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करता है, वह इन्कार नहीं करता और सभी लोग इस सहकारिता के आन्दोलन को कामयाब बनाने में सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो अब तक सहकारिता का काम हुआ है उसी पर आगे का भविष्य निर्भर करता है और लोग समझते हैं कि सरकार सहकारिता की स्कीम को ही लागू करना नहीं चाहती है। चाहे सहकारी खेती की बात हो या सहकारिता के और जो पहलू हैं उनमें हम कैसे कामयाब होंगे, इसी बात को चाहे वह किसान हो या और कोई मंत्री जी हों, सब को सोचना है। सारे हिन्दुस्तान के लोगों में सहकारिता के विषय में चर्चा चल रही है। नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव की बात मंत्री जी ने कही कि इस कार्य में सब को सहयोग देना चाहिये। लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है उससे लोग सशंक हो जाते हैं और देहातों के आदमी सहकारी खेती के बारे में हम लोगों से तरह-तरह के सवाल पूछते हैं कि वाकई सहकारी खेती का भविष्य क्या होगा। बहुत-सी पार्टियों के कई भाई सहकारी खेती का विरोध कर रहे हैं लेकिन पी० एस० पी० ने तो अपने इलाहाबाद के अधिवेशन में इस प्रस्ताव का स्वागत किया और राज्य व्यापार योजना का भी स्वागत किया है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिये। सहकारिता के बारे में प्रस्ताव पास करके नागपुर कांग्रेस ने कोई भी नयी बात नहीं कर दी है जिसके लिये मंत्री जी ने कहा कि यह कम्पलसरी नहीं है कि किसान सहकारी खेती करें ही। सही बात है कि इसमें कोई रुकावट नहीं है। आज तक कई सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं लेकिन उनका नतीजा क्या रहा, वह हमारे सामने है। इतना ही नहीं अगर सहकारिता को हम सचमुच प्रजातांत्रिक समझते हैं और सहकारिता की नीति के पक्ष में हैं तो इसको काफी तेज होना चाहिये। तीव्र गति से इस आन्दोलन को चलाना चाहिये और उसकी जो खामियां हैं उनकी ओर जब तक ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक यह आन्दोलन कामयाब नहीं होगा। अबतक जो काम हुआ है वह तो है ही लेकिन उसके लिये सबसे आवश्यक यह है कि एक कानून लाया जाय। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून बना हुआ है उसी को लेकर अब तक इस राज्य में काम होता रहा है। इसके पहले जब माननीय मंगला प्रसाद जी इस विभाग के मंत्री थे और उसके पहले जब माननीय पंत जी थे तब से बराबर इस तरह का आश्वासन इस सदन को दिया जाता रहा है कि हम एक नया कानून लावेंगे लेकिन अब तक वह कानून नहीं आया। पता नहीं वह कहां पड़ा हुआ है। एक छोटी-सी पुस्तिका जो हम लोगों को मिली है उसमें उसका थोड़ा-सा जिक्र है लेकिन उससे मैं समझता हूं कि कोई काम होने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि जैसे इवैलुएशन कमेटी प्लानिंग के कामों के लिये बनी हुई है, उसी तरह से ऐसी कोई कमेटी

[श्री विश्राम राय]

बननी चाहिये कि सहकारिता के जरिये कितना काम हुआ है । अब तक जो काम हुआ है उसके बारे में इस तरह की शिकायतें हैं कि इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है और भी तरह-तरह की शिकायतें हैं । जैसा माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह जी ने कहा, शासकों, अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना है और देखना है कि किस तरह से जनता अधिक से अधिक भाग ले सके, इसके लिये एक कमेटी बननी चाहिये और अब तक जो अनुभव हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये कानून बनाया जाय तभी यह काम हो सकता है ।

जहां तक मार्केटिंग सोसाइटी का सम्बन्ध है, यह कहा गया कि लैंड मार्गेज बैंक कायम होंगे जहां लोग अपनी जायदाद तथा और चीजों को बन्धक रख सकेंगे लेकिन जब मैंने इस बजट को पढ़ा तो उसका कहीं कोई प्राविजन मुझे देखने को नही मिला । पारसाल कहा गया था कि कोआपरेटिव क्रेडिट फंड बनाया जायगा, और इसी तरह से स्टेट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड कोआपरेटिव का बनेगा लेकिन ये दोनों चीजें मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली । इन चीजों का कहीं भी कोई प्राविजन नहीं है । तो यह सरकार बातें तो बहुत लम्बी-लम्बी कहती है लेकिन वर्किंग बिल्कुल खराब है ।

नैनीताल के एक साहब ने कहा था कि बहुत-सी सोसाइटीज , कंज्यूमर्स सोसाइटीज आदि कायम हैं लेकिन ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो उनके हिसाब-किताब की जांच करे । अगर आडिटर के द्वारा उनकी जांच होती तो जनता का तथा कर्मचारियों का भी काफी सुधार होता लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । सब से जरूरी यह है कि अब तक जो काम सोसाइटीज द्वारा हुआ है उनकी तरफ ध्यान दिया जाय लेकिन उसका कोई विवरण नहीं है । देखा गया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर्स आदि हैं वे नाजायज दबाव डालते हैं । मुझे अपने जिले का खास अनुभव वहां के दो इंस्पेक्टरों के बारे में है । यहां तरह-तरह की अफवाहें होती हैं । बराबर कहा गया कि उनको हटा दिया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । कभी कुछ किया गया तो लोग पैरवी करने यहां आ जाते हैं । इसको सुधारने की जरूरत है । जनता अधिक से अधिक सहयोग तब करेगी जब सरकार का नियंत्रण कम हो । माननीय रामलक्षण तिवारी ने कहा कि देख-रेख होनी चाहिये । मैं भी समझता हूं कि देख-रेख होनी चाहिये लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिये कि जनता किसी तरह से इनिशियेटिव न ले सके । ईमानदार लोग डी० सी० एफ० में भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसमें जहां देखिये गबन व भ्रष्टाचार है । ये संस्थायें ऐसी हैं जिनके द्वारा पैसा इकट्ठा करना तथा कर्जा देना यह कार्य हो सकता है, लेकिन अब जब यह नारा लगने लगा है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है, यह जनता का मूवमेंट बने, यह अगर आप चाहते हैं तो आमूल परिवर्तन करना होगा कोआपरेटिव सोसाइटीज के ढांचे में, तब जनता इसमें सहयोग करेगी । जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनका कम से कम हाथ इसमें हो । हां, मैं यह मानता हूं कि हिसाब-किताब की जांच कड़ी होनी चाहिये ।

दूसरे जो सूद लिया जाता है ऋण पर उसका रेट कुछ कम होना चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि ५, १/२ परसेंट और जगह मिलता है हम ५ परसेंट रखे हैं, मैं समझता हूं कि और भी कम होना चाहिये ताकि जनता इसमें अधिक से अधिक सहयोग कर सके ।

तीसरे जब कोआपरेटिव का मूवमेंट होता है तो मिडिलमैन और पूंजीवादी लोग तथा प्रतिक्रियावादी लोग इस आन्दोलन का विरोध करते हैं । इस चीज को रोकने के लिये तथा उसका सामना करने के लिये इसमें अधिक एफिशियेंसी तथा कार्यक्षमता आनी चाहिये लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ कम है । लेकिन इसका तल्ख तजुर्बा हुआ गन्ना कोआपरेटिब्स को देख कर । गन्ना कोआपरेटिब्स बनी हुई हैं लेकिन सरकार का कैसा व्यवहार है गन्ना कोआपरेटिब्स की ओर । यह आपने देखा कि १ रुपया १२ आना मन तय हुआ था विधान सभा से लेकिन गन्ना फेडरेशन की बात नही मानी गयी । सरकार कहती है कि हम कुछ नयी नीति अख्तियार करने जा रहे हैं । लेकिन मुझे कुछ होता दिखाई नहीं देता । गन्ना

कोआपरेटिव्स क्या हैं ? मिलों की एजेंसीज हैं और मिलों के लिये गन्ना खरीदते हैं । सर्विस कोआपरेटिव्ज बनी हुई हैं । लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी जाती । मंत्री जी ने कहा कि जो कोआपरेटिव समितियां है वे यह कर दें, वह कर दें, सब कुछ हो सकता है लेकिन मेहनत करनी होगी तभी खेती अच्छी होगी । हम तो कहते हैं कि पहले मूल्य निर्धारण होना चाहिये । वह असल चीज है । जो कारखाने की चीजें हैं उनका मूल्य निर्धारण होना चाहिये । इसमें देहात की समितियों का हाथ होना चाहिये । लेकिन गन्ने की समितियों को देख कर तो ऐसा मालूम होता है, सरकारी रवैये को देख कर ऐसा मालूम होता है कि भविष्य में जो सुनहरा स्वप्न दिखाई दे रहा है इस प्रकार के कार्य को देख कर, भ्रष्टाचार तथा सरकारीकरण के रहते हुये, वह पूरा होने वाला नहीं है । इसलिये जरूरत इस बात की है कि इस आन्दोलन में अगर सचमुच सरकार जनता का सहयोग चाहती है, इसमें सुधार चाहती है और वाकई इसको जनता का मूवमेंट बनाना चाहती है तो इसको और एफिशियेंट बनाइये, इसमें सरकारी कर्मचारियों का हाथ मत रखिये और ऐसा कानून जल्दी से जल्दी लाना चाहिये जिसमें जनता के ज्यादा से ज्यादा अधिकार हों ।

*श्री उबैदुर्रहमान (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से सहकारिता की मांग की ताईद करता हूं और जो इस पर कटौतियां आई हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आज इस सदन में सहकारिता के सब्जेक्ट को मुख्तलिफ ऐंगिल से पेश करना चाहता हूं । काश मैं इसमें कामयाब हो जाता ! इसके दो ऐस्पेक्टस् हैं । एक तो एकनामिक ऐस्पेक्ट है, आर्थिक । एक एकड़ में सहकारिता न होने की हालत में क्या पैदावार हो सकती है और उसी एक एकड़ में सहकारिता हो जाने के बाद उसकी पैदावार में कितना इजाफा हो सकता है इसी पर वादविवाद और बहस होती रही, हो रही है और होगी । मैं जिस ऐस्पेक्ट को सदन के सामने रखना चाहता हूं वह इसका साइकोलाजिकल ऐस्पेक्ट है । और जहां तक मैंने गौर किया है सहकारिता के सब्जेक्ट पर अपनी जगह पर मेरा जेहन बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मुसलमानों में एक मंत्र होता है दरू-द शरीफ और मुसलमानों में यह अकीदा है कि दरूद शरीफ पढ़ दिया जाय तो हर मर्ज अच्छा हो सकता है, हर मुश्किल रफा हो सकती है, हर लड़ाई जीती जा सकती है, हर कठिनाई दूर हो सकती है और यह ताल्लुक रखता है उसके जेहन और दिमाग से । उसी के साथ मेरा यह अकीदा है कि सहकारिता वह मंत्र है जिससे हिन्दुस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं, हिन्दुस्तान की जबान का मसला हल हो सकता है, यहां की सेक्रेटरियनिज्म, कम्युनलिज्म दूर हो सकती है, खेती की उपज बढ़ सकती है, हमारे स्कूल्स और कालेजेज दुरुस्त हो सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स में जो इंडिसिप्लिन है वह दूर हो सकता है । मैं इस साइकोलाजीकल ऐस्पेक्ट को रखने की जुर्रत कर रहा हूं और काश कि मैं उसमें कामयाब हो जाता !

आजादी आयी उसके पहले हम जैसे थे आज ११ साल आजादी आये हुये हो गये फिर भी वैसे ही हम अब भी नजर आते हैं । वही बैलगाड़ी अब भी चल रही है जो पहले चल रही थी । १ एकड़ लिये हुये किसान बैठा हुआ है हम अपनी छोटी-सी पूंजी लिये हुये बैठे हैं उसको अपनी समझ रहे हैं, यह मेरी चीज है इसमें कोई दूसरा शरीक न हो यह आई ऐमनैस जो है, उस पर किसी की नजर न पड़े, यह ऐटीट्यूड कब तक हमारा रहेगा ? हम यह कब सीखेंगे कि अपनी पूंजी को डाल दें और उससे अगर किसी भाई का काम चल जाय उसके काम में आ जाय उससे हमें खुशी हो ? यह सहकारिता ही हमें बतायेगी । आज स्पुटनिक का जमाना है । किसी शायर ने कहा है "उठो वगरना हश्र होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया ।" आज जमाना कयामत की चाल चल रहा है, चांद का सफर किया जा रहा है, वहां पर मिल्कियतें हासिल की जा रही हैं, हमारा हिन्दुस्तान लढ़िया पर ही रेंग रहा है । हम यह नहीं कहते कि अपनी ३, ४ हजार साल पहले की सभ्यता से नाता तोड़ दें, लेकिन जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उबैदुर्रहमान]

जहन में उजागर करना है । कैसे देश को बना सकते हैं इस पर हमें विचार करना है और संजीदगी से सोचना है । पुलिस का महकमा आजादी के पहले था आज भी चल रहा है, कलेक्टरेट आज भी है, गरजे कि जो महकमा पहले चल रहा था आज भी चल रहा है । अगर आप टेस्ट करना चाहें दिमागी तौर पर कि हमने आजादी प्राप्त की या नहीं की तो वह महज सहकारिता की कामयाबी और नाकामयाबी पर ही मुनहसिर है । कोई दूसरी चीज नहीं है जिसको छू करके यह महसूस कर सकें कि हम आजाद हुए और उस सहकारिता के मुतल्लिक यह बहस करना कि प्राइमरी सोसाइटीज की रूप-रेखा क्या होगी, आनरेबिल मिनिस्टर के जहन में रूप-रेखा साफ नहीं है, तो साहब अनुदान ग्रान्ट न हो और कटौती की जाय, और अब तक भ्रष्टाचार रहा है । मैं अर्ज करूंगा कि कौमों के बनने बिगड़ने में ११ साल की मुद्दत कोई मुद्दत नहीं होती है । मैं तो यह अर्ज करूंगा कि हमारे हैरानी के तरीके यहां सोसाइटीज के पेट में छिपे हुये थे और यह बच्चा पैदा हुआ आठ-दस वर्ष के बाद । वह हमारे हिस्से में रक्खा जा रहा है हालांकि उसकी बुनियाद अंग्रेजों के जमाने में पड़ चुकी थी ।

हमें आजादी प्राप्त हुई । हमारा हिन्दुस्तान अपने काबू में रफ्ता-रफ्ता इस चीज को ले रहा है और अब पता चल रहा है कि कितना करप्शन इसके अन्दर था । बहरहाल, उसमें हम तरक्की कर रहे हैं । मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके साइकोलाजिकल ऐस्पैक्ट को भी आप देखें और जितना ही आप इस पर ध्यान देंगे उतने ही आप वाजे होंगे कि यह बहुत जरूरी चीज है । हम इसके लिये हर सैकरीफाइस करने के लिये तैयार हैं । म्युचुअल ट्रस्ट और आपस की रवादारी यह हमें सिखायेगी । हजारों वर्ष से लेकर आज तक हमारे किसानों में सहकारिता जिन्दगी के दो-एक टैन्जेन्ट्स पर आज भी मौजूद है और टच कर रही है । आज आप हिन्दुस्तान के किसी देहात में जांय और दरयाफ्त करें कि तुम्हारी सिंचाई का क्या तरीका है । वहां नजर आयेगा । बारी बंधी हुई हैं । पुरवे हैं तो उनकी बारी बनी हैं कि फलां शनीचर को और फलां जुमेरात को । अपनी शादियों के काम में सहकारिता मौजूद है, रोजाना के काम धंधों में मौजूद है, लेकिन वह असरन्दाज नहीं हो रही है क्योंकि हजारों वर्ष की गुलामी के दिनों में जिन टैन्जेन्ट्स के ऊपर असरन्दाज हो सकती थी वह हमारी जिन्दगी से खत्म हो चुके हैं ।

जैसा मैंने परसों भी कहा था, हिन्दुस्तान ९५ परसेंट ऐग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है । हम इस झगड़े में पड़े हुये हैं कि मेड़ टूट जायेगी तो क्या होगा । इन छोटी-छोटी बातों में हम लोग घूमते हैं कि साहब जागीरदारी खत्म हो जायेगी, वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो जायेगा । दिल में कुछ है, जबान कुछ और कह रही है । मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि आप कुछ इस मसले को इस ऐस्पैक्ट से देखें । यह जो एक एकड़ को लेकर आप चलाना चाहते हैं कि चलते रहो, चलते रहो तो उसमें मुझे एक शेर याद आता है जिसे कह कर मैं खत्म करता हूं "कहां से लाऊं सब्रे हजरते अय्यूब ऐ साकी । सुराही आयेगी, खुम आयेगा, तब जाम आयेगा ।"

*श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मंत्री जी ने सहकारिता के सम्बन्ध में लगभग १ करोड़ ४५ लाख का अनुदान मांगा है । पिछले साल भी लगभग डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया गया और उससे पहले १९५७-५८ में १ करोड़ रुपये के लगभग खर्च किया गया । सहकारिता बड़ी अच्छी चीज है कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता और मेरा खयाल है कि सहकारिता हमारे समाज के अन्दर, गांव के अन्दर पहले से ही मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद और सारी शक्ति को इस्तेमाल करने के बाद इस सहकारिता से प्रदेश के अन्दर परिणाम क्या ला रही है । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटियां, केन सोसाइटियां और क्रय-विक्रय सोसाइटियां स्थापित की हैं और जो सबसे बड़ा काम सरकार बताती है वह है जनता को ऋण देने का, यही सब से बड़ी चीज मंत्री जी ने बतायी है और इसी को सबसे बड़ा स्थान मंत्री जी ने अपने अनुदान में दिया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने बताया है कि सन् १९५८ तक उन्होंने ११ करोड़ रुपया नकद और ४ करोड़ रुपया का समान बांटा है ऋण के रूप में। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने जो ऋण देने का तरीका अपनाया है इस से जो साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं वही लाभ उठाते ह लेकिन गरीब जनता जिसके पास साधन नहीं हैं उस को ऋण नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने पास से विकास के साधन जुटा सकते हैं उन्हीं को सरकारी ऋण मिलता है और गरीब वैसे ही रह जाते हैं। अब की मंत्री जी ने अवश्य एलान किया है कि जिन लोगों की हैसियत कम है उन के लिये भी ऋण की व्यवस्था की जायगी, पता नहीं यह चीज भविष्य में कार्यान्वित होगी या नहीं लेकिन अब तक तो यही देखने में आया है कि साधन सम्पन्न लोगों को ऋण मिलता है और गरीब जनता को नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह है कि क्रय-विक्रय सोसाइटीज का यह हाल है कि जब बाजार में होड़ लगती है तो वह फेल हो जाती है। बाकी कंट्रोल के जमाने में अलबत्ता यह सोसाइटियां अपना रंग दिखाती हैं। जैसे आजकल गल्ला उन को मिलता है और उसे वह बेच देती हैं और इस के लिये उनका बड़ा गुणगान होता है लेकिन कंट्रोल टूट जाने पर कोई व्यापार उन का नहीं रह पाता और वह बाजार के कम्पटीशन में फेल हो जाती हैं और मक्खियां मारा करती हैं। कर्मचारी बैठे रहते हैं, उनको जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वेतन के रूप में दिया जाता रहता है और बरबाद होता है।

गन्ना सोसाइटियों का हाल यह है कि सरकार उनको अपना दबाव डालकर कानून के द्वारा चलवाती है वर्ना अगर सरकार इन सोसाइटियों की पाबन्दी को हटा ले तो किसान मजबूर हो गया है कि वह मिलों से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित करे। आज हालत यह है कि जो गन्ने के मालदार काश्तकार हैं और जिनके पास गन्ने की हजारों एकड़ खेती है उन्हींको पहले पर्चियां मिलती हैं और गरीब रह जाते हैं। मालदार किसान रिश्वत देकर पर्चियाँ हासिल करते हैं और भ्रष्टाचार जोर पकड़ रहा है। मैं कहूंगा कि सरकार की योग्यता से और उस के अफसरों की योग्यता से जो करोड़ों रुपया जनता से टैक्स के रूप में वसूल हो कर आता है वह बरबाद हो रहा है। इसलिये इस में सुधार की जरूरत है, कम से कम जनता के हाथ में यानी कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के हाथ में सारी शक्ति दी जाय ताकि अच्छी तरह से वह समिति के कार्य को चला सकें, ऐसा न हो कि एस० डी० ओ०, सी० डी०ओ० और सुपरवाइजर ही वहां के सर्वेसर्वा बने रहें और गरीब पर्चियों से वंचित रहें और उनकी पर्चियां मालदार लोग लेते रहें। आज यह सोसाइटियां एक तरह से बीमार-सी बन गई हैं और उन को किसान छोड़ना चाहता है। अगर माननीय मंत्री जी को सूबे में सहकारिता को पनपाना है तो वह सोसाइटी के सदस्यों को अधिकार दें ताकि वह इन अफसरों पर और कर्मचारियों पर निगाह रख सकें और डिक्टेटर-शाही करने से रोक सकें।

इसी तरह से बीज गोदामों को ले लीजिये। हमारे यहां बीज गोदामों में कितनी धांधली होती है, जब काश्तकार को बीज दिया जाता है तो उस में तमाम गर्दा और कंकड़ मिला होता है और आप को और सदन के माननीय सदस्यों को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि सुपरवाइजर लोग रात में तोल लगाते हैं। पूरे दिन लिखा-पढ़ी करते हैं काश्तकार बीज लेने के लिये, सुबह पहुंचते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं और जब शाम होने पर रोशनी के चिराग जले, उस वक्त बीज की तौल हुई। मजबूर है काश्तकार बीज के लिये। उस के पास खुद अपना बीज है नहीं, चुनांचे जैसा मन में चाहा सुपरवाइजर ने बोरा रख दिया। उसमें खराब, सड़ा, कंकड़ मिला हुआ बीज होता है, कम तोला जाता है। विवश होकर ले लिया और खेत में डाला। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज आप ऐसी तरक्की चाहते हैं और इससे ही उत्पादन बढ़ेगा? उससे कैसे पैदावार बढ़ेगी, वह तो सारी की सारी नष्ट हो जायगी। इसलिये रात में तोल बन्द हो।

आज मैं देखता हूं कि अफसरान को अधिकार क्या दे रखे हैं? सारी शक्ति तो आपने रजिस्ट्रार को दे रखी है। अगर कोई समिति कर्जा लेना चाहती है और सारी लिखा-पढ़ी करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद अगर उसकी लिखा-पढ़ी रजिस्ट्रार के पास पहुंचती है

[श्री रूमसिंह]

तो वहां वह फेल हो जाती है । उसके सामने आज जो सदस्य हैं उनकी कोई ताकत और आवाज नहीं है । इसी तरीके से सहकारी नल-कूप चल रहे हैं । उनकी क्या व्यवस्था है ? सरकारी नलकूप पर जो बिजली का दाम देना पड़ता है साल भर में १२ हार्स पावर पर उसका तो १ हजार पड़ता है और सहकारी नलकूप को कई हजार रुपया देने पड़ते हैं । आज दोनों प्रकार के नलकूपों में दो तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है । अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि सहकारी नलकूपों को सरकार के लिये वापस कर दिया जाय । कैसी सहकारिता ? आप मंत्री हैं सहकारिता के, बड़े-बड़े अफसरान हैं जिनको आप हजारों रुपया तनख्वाह देते हैं । वह सहकारी नलकूपों का संचालन भी न कर पायें और ऐसी बात सोचने के लिये मजबूर हो जायं कि वह सरकार को वापस कर दिये जायं । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की सरकार पूंजीपतियों की लाड़ली सरकार है, उनको ही फायदा पहुंचाना चाहती है ।

श्री मोहनलाल गौतम--गांव के पूंजीपतियों को ?

श्री रूम सिंह--गांव के पूंजीपतियों को नहीं, शहर के करोड़पतियों को । बिड़ला, टाटा, डालमिया, जुग्गीलाल कमलापति को ।

श्री मोहनलाल गौतम--सहकारिता का कोई ताल्लुक नहीं है शहर से । गांव में जिन पूंजीपतियों को जो फायदा होता हो उनका जरा वर्णन कीजिये ।

श्री रूम सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज सहकारिता बहुत अच्छी चीज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और सारे देश में लागू हो जाय तो आज पूंजीपति की इमारत एक दम से ढह सकती है, लेकिन आज सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिये दूसरी अच्छी चीजों को बदनाम कर रही है उसी तरीके से सहकारिता को बदनाम करके प्रदेश की और देश की जनता के दिमाग से सहकारिता के प्रति अश्रद्धा पैदा करके बिल्कुल उसको पंगु बनाने जा रही है । तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आज सहकारिता को फेल करती है, इसलिये कि अगर वह सफल हो गयी तो इसका नतीजा यह होगा कि जितने व्यक्तिगत धंधे हैं, कारखाने और मिलें हैं ये सहकारिता के आधार पर चलाये जा सकते हैं और जब ये चल जायेंगे तो पूंजीपति जिन्दा नहीं रह सकते हैं । पूंजीपति खत्म होगा और सच्चा और साफ नक्शा सहकारिता का प्रदेश और देश में स्थापित हो जायगा, इसलिये सहकारिता के प्रति अरुचि पैदा करने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद, बड़े बड़े अफसरान को हजारों रुपया देने के बाद सरकार आज सहकारिता को पूरे तरीके से फेल कर रही है ।

कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय विषय है अतः मैं सहकारिता की हृदय से प्रशंसा करती हूं । अभी दोनों पक्ष के कुछ सम्मानित सदस्यों के भाषणों से भी सहकारिता के सिद्धान्त की हार्दिक पुष्टि मैंने सुनी है । श्रीमन्, पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सहयोग ही जीवन-दर्शन है, यही विश्व का नियम है । सभ्यता और संस्कृत का इतिहास मनुष्य के उत्तरोत्तर सहयोग और संगठनों का इतिहास है । श्रीमन्, आज औद्योगिक क्रान्ति, टेक्नोलाजिकल प्रगति ने हमारे भारतीय विश्व-बन्धुत्व और सहयोगी भावना को चुनौती दी है । औद्योगिक क्रान्ति ने संसार के अन्दर ऐसी सामाजिक परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिनके कारण हिंसात्मक विस्फोट, यानी कई देशों में भंयकर युद्ध हुये । आज भी दो प्रवृत्तियां संसार के अन्दर काम कर रही हैं, एक (एक्युजिटिव) पूंजीवादी यानी संग्रहात्मक और दूसरी सहयोगात्मक ।

(इस समय २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

आज पूंजीवादी प्रवृत्ति मानव के लिये एक अभिशाप बन गयी है । इससे बचने के लिये हमारे पास केवल दो ही मार्ग हैं, एक कम्युनिस्टों का मार्ग, हिन्सात्मक मार्ग, विध्वंसात्मक मार्ग और दूसरा मार्ग है सहयोग का, कोआपरेशन का, सहकारिता का ।

मान्यवर, हमने अपने आर्थिक संगठन का तरीका कोआपरेटिव के आधार पर माना है। खेती, व्यापार, उत्पादन सभी में हम सहकारिता चाहते हैं। अभी नागपुर अधिवेशन में होने वाले प्रस्तावों की चर्चा इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों ने की। वास्तव में हम सहकारिता की व्यवस्था का प्रसार और प्रचार करना चाहते हैं। इसलिये मैं इस सहकारिता की किन शब्दों में प्रशंसा करूं मेरे पास शब्दों की गुरबत है। परन्तु यह एक आन्दोलन का रूप धारण करना चाहती है। वास्तव में यदि आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति हमको लानी है तो जो विषय मैंने कहे उन सब में, जीवन के हर क्षेत्र में हमको सहकारिता लानी पड़ेगी। और यह कोई नई चीज नहीं है जैसा कि अभी उधर के एक समाजवादी भाई ने कहा कि सहकारिता हमारे जीवन में है और होनी चाहिये। यह एक आन्दोलन हमें चलाना है। आज पंचशील के पुजारी पंडित नेहरू रात दिन सहकारिता आन्दोलन, बाल-वृद्ध के हृदय से सहकारिता की ही आवाज निकले और वह जनता के हृदयंगम हो, इसका वह प्रचार कर रहे हैं।

मान्यवर, सहकारिता को विश्ववंदनीय बापू जी तथा बिनोवा जी ने भी माना है और जीवन भर इस पर बल दिया है। गीता का समत्वं योग है जो हिन्दुओं के भगवान श्रीकृष्ण का एक दर्शन है। "समत्वं योग उच्यते" अर्थात् गीता में सहकारिता को एक योग कहा है। अब हमें देखना यह है कि वास्तव में यह कुछ रुपये-पैसे के वितरण की मशीन बन गयी है या यह एक आन्दोलन के रूप में है। मंत्री जी और सदस्य मुझे क्षमा करेंगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक वितरण का विभाग है, मैं उसका शुद्ध नाम नहीं रख पाई। इसमें जितनी भी खामियां बताई जायं मेरा खयाल है कि वह कम हैं। मुझे भी इन कोआपरेटिव सोसाइटियों से गहरा संबंध रखना पड़ा है और है, लेकिन समयाभाव के कारण मैं नहीं कह सकती। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में ट्यूबवेल्स, होल्डिंग्स और केन कोआपरेटिव सोसाइटीज वगैरह इस तरह के विभाग छा गये हैं कि ये सब अधिकारी वर्ग के जाल में फंस गया है। उन पर भी विधानतः अधिकारियों का कब्जा-सा है और जो डायरेक्टर तथा डेलीगेट हैं उनके अधिकार इन पर अंकुश रखने के होने चाहिए।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सहकारिता के विधान में आमूल परिवर्तन होना चाहिये जिससे जो इसके डायरेक्टर वगैरह हैं उनको पूर्ण अधिकार हों और उनका स्वामित्व सुपरवाइजर, इंसपेक्टरों वगैरह पर रहे, लेकिन ऐसा न हो कि वह स्वयं स्वामी बन जायं जैसे कि आज बने हुये हैं। मैं नहीं बता सकती कि जो उनकी बर्बरता मेरे क्षेत्र में है और अमानुषिक व्यवहार किया है। ४–५ वर्षों से मेरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है और वहां पर जितनी सख्ती और बेईमानी की गई है, मैं नहीं कह सकती।

अंत में मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सहकारिता आन्दोलन चलाने के लिये अधिक से अधिक ट्रेनिंग कैम्पों पर खर्च किया जाय ताकि ग्रामीण जनता अपने अधिकारों को समझ सके और सहकारिता के सिद्धान्तों की ओर अपना कदम बढ़ा सके। कोआपरेटिव डेरी के द्वारा दूध सप्लाई किया जाता है। उनमें काफी हानि है फिर भी चलाई जा रही हैं। क्या इससे गरीबों को लाभ है इसको समाप्त किया जाय। मंत्री जी क्षमा करेंगे किन शब्दों में मैं अपनी तकलीफ पेश करूं, मुझमें इतनी योग्यता नहीं है, ऐसा मैं समझती हूं। सहकारिता का सिद्धान्त प्रेम-सर्वसम्मति का है लेकिन हमारे बुलन्दशहर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के मंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से श्री भगन स्वरूप जी का नाम आया लेकिन आज तक नहीं हुआ, मैं उनकी जांच मुख्य मंत्री जी से चाहूंगी। क्या मैं यह कह दूं कि यह सहकारिता विभाग पक्षपातपूर्ण नीति बरतता है? मैं माननीय मंत्री जी से क्षमा मांगते हुए अपने तजुरबे के आधार पर क्या यह कह दूं कि उनकी पूर्ण योग्यता होते हुए भी पक्षपात बरता गया? यदि सहकारिता के लिए जीवन भी देने की जरूरत होगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं लेकिन इसमें शुद्धिकरण मैं मंत्री जी से चाहती हूं। आशा है कि वह बुरा न मानेंगे और इसके ऊपर पूर्ण ध्यान देंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनुदान को प्रस्तुत करते समय इस बात की घोषणा की कि सरकार अपने समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहकारिता को माध्यम बनाना चाहती है। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। आज इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि सहकारिता का सम्बन्ध आज हमारे जीवन से कितना जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें अपने इस माध्यम को अपनाने के लिए यह भी जरूरी है कि पूंजीवादी अपवाद या प्रतिक्रियावादी बाधाएं या गैरजनवादी रुकावटें, जो हमारे रास्ते में आती हैं उनका भी मुकाबला करें, उनको भी खत्म करने का कोई रास्ता निकालें।

अभी तक हमारी सोसाइटियां देहातों में अधिकतर कर्जा देने का काम करती थीं लेकिन अब उनमें विस्तार होने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां तक गरीब का सवाल है, एक करोड़ किसान परिवारों को १०० करोड़ रुपये की जरूरत है जिसमें से जून १९५८ तक समितियों द्वारा ११ करोड़ रुपये की पूर्ति की गयी है। जून, १९५९ तक यह धन बढ़ कर २० करोड़ हो जायगा। इस तरह से कम से कम ९ या १० साल लगेंगे जब कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पायेंगे। इसमें ८० फीसदी किसानों को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए दूसरे महाजनों के पास जाना पड़ेगा। आज महाजनों की हालत यह है कि वह दो पैसे रुपया प्रति मास जो करीब साढ़े ३७ प्रतिशत पड़ता है, किसानों से ब्याज वसूल करता है। फर्जी रुक्का लिखवा लेता है और अगर कोई किसान एक बार उसके चंगुल में फंस जाता है तो जिन्दगी भर उसके चंगुल से नहीं निकल सकता इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। इन महाजनों पर रोक लगाने के लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम में इनको बांध दिया जाय। उनको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाय। जब तक वे लाइसेंस प्राप्त न कर लें तब तक उनके रुक्कों को अदालतों में मान्यता न दी जाय वरना इस तरह से जो मनमाना सूद लेते हैं वह कम नहीं होगा। इस तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम करने के बाद उनको हम चाहते हैं कि काम करें। हम यह नहीं चाहते हैं कि उनके धन से किसान फायदा न उठाये। जरूर जब तक कि हमारी सहकारी समितियां इस काबिल नहीं हो जातीं हमें उनके धन से फायदा उठाना चाहिए और हम चाहते हैं कि उनको इस तरह से समितियों से जोड़ने का प्रयत्न किया जाय। उसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम हम ईजाद करें और उसके बाद सहकारी समितियों से उन्हें जोड़ने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम समितियों की भी बात कही गई। रिपोर्ट में दिखाया गया है, पंजाब का उदाहरण दिया गया है कि वहां पर श्रम समितियां हैं। उन्होंने अच्छे खासे तरीके से विकास किया है और सरकार की तरफ से उनको काफी सहायता दी गई और यह उम्मीद की गई है सरकार की ओर से कि अगर यहां भी दूसरे विभाग सहयोग देते रहे और सरकार अच्छी तरह सहायता करती रही तो श्रम समितियां ठीक तौर से अपने यहां भी काम कर सकती हैं और श्रमिकों को उनसे फायदा पहुंच सकता है। मुझे यह भ्रम होता है कि क्यों दूसरे विभाग इसमें सहयोग न करें। एक ही सरकार के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है, सिंचाई विभाग भी है, वन विभाग भी है, क्यों नहीं उनसे सहयोग प्राप्त हो सकता है? कमी उसमें यह है कि इन श्रम समितियों को बनाने के लिए अब तक कोई खास नियम, कायदे कानून नहीं बनाये गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग को या अन्य विभागों को यह आदेश तो जरूर दिया जा चुका था कि दो हजार तक के काम इन श्रम समितियों को दे दिये जाया करें, लेकिन इसके लिए इसके मुताबिक कोई नियम आदि नहीं बनाये गए जिससे इनकी पाबन्दी नहीं हुई और इनका विकास नहीं हुआ। इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि जब यह सहकारिता का कानून माननीय मन्त्री जी पेश करें तो उसमें इसका लिहाज होना चाहिए और श्रम समितियों के लिए भी कोई उस नये कानून में संशोधन होने चाहिए।

जहां तक समितियों के ऊपर देख-रेख और उनके चलाने का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी समितियां नौकरशाही के पंजे में बुरी तरह से फंसी हुई हैं। जिस प्रकार उनको जनवादी तरीके से, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए उस प्रकार वह काम नहीं

कर पातीं। हमने बीज भंडारों को देखा है। वहां नाम के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आज बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की वहां कोई वायस नहीं है। वहां का सुपरवाइजर जिसको चाहे गल्ला दे जिसको चाहे न दे। हम चाहते हैं और हमारी यह राय है कि गल्ले के वितरण में, उसकी वसूली में, उसका कोटा निर्धारित करनेमें बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का ही ज्यादा हाथ होना चाहिए। सब बातों में उसको उनका मशविरा लेना चाहिए। सुपरवाइजर को महज उनकी गाइडेंस के लिए, देखरेख के लिए, रास्ता बताने के लिए होना चाहिए न कि सुपर-वाइजर बिलकुल अपनी मनमानी करे। आज हमारे यहां ऐसी मिसाल मौजूद है कि जहां सुपरवाइजरों की मनमानी की वजह से गल्ले के वितरण में बड़ी कठिनाई पड़ती है। उन्नाव जिले के बांगर गांव की मिसाल मौजूद है। वहां पर सुपरवाइजर की मनमानी की वजह से १५, १६ हजार का गबन हुआ। किसान के नाम फर्जी गल्ला दर्ज है। जिसने वापस कर दिया उसके नाम भी दर्ज है। किसान के यहां कुर्की जाती है, वह कहता है कि हमने तो गल्ला लिया ही नहीं, कोई कहता है कि हमने तो वापस कर दिया। चूंकि वहां बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की कोई वायस नहीं थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी इसलिए ऐसी हालत हुई। उस क्षेत्र के सदस्य मुल्ला प्रसाद जी ने माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए एक पत्र भी लिखा था और मैं समझता हूं कि शायद उसी के असर से वहां पर कुछ दिनों के लिए कुर्की रुक गई थी। लेकिन इस दरमियान में क्या हुआ, कोई जांच-पड़ताल तो हुई नहीं लेकिन अब फिर से कुर्की हो रही है। ऐसी बातें इसीलिए हो रही हैं कि नौकरशाही उन पर हावी है। हमारे यहां कुछ कस्बों में बुनकरों की समितियां हैं। लेकिन वहां पर कुछ चन्द आदमियों को उन समितियों पर कब्जा देकर अधिकारियों ने अपना जेबी संगठन बना रखा है और वही चन्द आदमी सहायता पाते हैं। उन समितियों को जनवादी तरीके से विकास का मौका नहीं दिया जाता। हमारी यह निश्चित मांग है कि जिस समय इस कानून में परिवर्तन किया जाय, उस समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि उनको स्वतंत्र रूप से, जनवादी तरीके से विकास करने का मौका दिया जाय, और इसके ऊपर जो नौकरशाही पूरी तरह से हावी है उसके पंजे से छुड़ाया जाय। ताकि वह स्वतंत्र रूप से विकास कर सकें और किसानों को, श्रमिकों को और कुटीर उद्योगों को जो लाभ पहुंचना चाहिए वह पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। हमारे देश में इस समय उत्पादन की कमी है। हम अरबों रुपये का गल्ला और बहुत-सी चीजें बाहर से मंगा रहे हैं और लक्ष्य तो हमारा निर्धारित ही है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये जो सब से ज्यादा चीज की जरूरत है वह गल्ले का उत्पादन बढ़ाना है। इस उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमको ४ चीजों की मुख्य जरूरत पड़ती है---भूमि, श्रम, पूंजी और विनियम एक्सचेन्ज। इन चार चीजों के लिये एक गरीब देश में सहकारिता की जरूरत है और इनका एक मुख्य स्थान है। हमारे यहां पहले यह बात कही जाती थी और अब भी वह बात दोहराई जा सकती है कि इस उत्पादन की कमी के जिम्मेदार दो ही आदमी हैं। एक तो वह जो भूमि-व्यवस्था को बनने नहीं देते, जिसमें खास तौर से जमींदार का नाम लिया जाया करता था और दूसरे वह कि जो हम उत्पादन करते हैं उसका फल वे लोग उठाते हैं जो पूंजी वाले हैं। जहां तक मैंने सोचा है और इसको समझने की कोशिश की है वह यह समझा है कि जिन जमींदारों को दोष दिया जाता था, मैं उनको इतना दोष देने के लिये तैयार नहीं हूं। जो भी किसी तरह का जमींदारों को दिया जाता था या वे छीनते थे वह फिर समाज को वापस कर दिया करते थे किसी न किसी रूप में और उनकी अन्तिम व्यवस्था यह रही कि हमेशा मकरूज रहे, लेकिन दूसरा जो पूंजीवादी समाज है वह लेता है और अधिकतर वापस नहीं करता। उसका बैंक बैलेन्स बढ़ता चला जाता है।

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

मैं माननीय मंत्री जी को जिस चीज से आगाह करना चाहता हूं वह यह है कि कहीं ऐसा न हो कि यह सहकारिता का रुपया जो भी आप वितरण करते हैं वह उन पूंजीवालों के हाथ में पहुंच जाय। मुझे इस बात का ध्यान पैदा होता है और वह वास्तविक स्थिति को देखते हुये पैदा होता है कि यह रुपया उत्पादन के लिये गांव वालों के पास पहुंचने की जरूरत है। असल उत्पादक काश्तकार है। इसीलिये महात्मा गांधी ने यह मोटो लिया था कि गांवों को हमें वापस जाना है। हमें अपने गांवों की ओर, जो कि तमाम श्रम और तमाम उत्पादन के जरिये दे सकते हैं, उन गांवों के लिये अपनी तमाम सहायता को हमें ले जाना चाहिये। इस समय से आप देखेंगे कि जितनी सहकारी समितियां बनती जा रही हैं, जितने बड़े-बड़े कारखानों के लिये रुपया मिल रहा है वह सब रुपया शहर वाले या वे लोग जो उन चीजों से वाकिफ हैं, अपनी फर्जी सहकारी समितियां बनाकर चला रहे हैं, रुपया ले रहे हैं और गांव में जो वास्तविक अन्न के उत्पादक हैं उनके पास रुपया नहीं पहुंच रहा है। गुड़ की एक स्कीम चली। उसके बढ़ाने के लिये स्कीम्स बनीं और उसके लिये रुपया दिया गया। आप तहकीकात करा कर देखें कि वह रुपया ज्यादातर शहर के आदमी ले गये और छोटे-छोटे कारखाने खोल कर, ओपेन पैन फैक्ट्रीज खोल कर वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार गरीबों को मूड़ा जाय और किस तरह और रुपया लिया जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज जो सहकारी समितियां बनें उनको ध्यान से देखा जाय कि वे गांव की ओर पहुंच रही हैं या नहीं और जब तक वे गांव की तरफ नहीं जायंगी तब तक आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा और वह रुपया शहर के लोग ही खा जायेंगे।

एक चीज माननीय मंत्री जी ने गोदाम के बारे में रखी। मैंने ८ महीने पहले एक प्रस्ताव रखा था और वह इस रूप में था कि सरकार को गल्ले का व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है कि वह चीज अब सामने आ रही है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो गल्ला जमा करने के बाद उनको ७५ फीसदी रुपया मिल सकेगा वह काश्तकारों के लिये ही होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि शहर वाले या गल्ले के व्यापारी गल्ला खरीद कर, रुपये पर ५ फीसदी का सूद देकर इस तरह गल्ला न जमा करने लगें। ऐसा न हो कि भड़साल जो रखी जाय वह व्यापारी वर्ग की हो, वह काश्तकार की होनी चाहिये और ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि व्यापारी अपने को काश्तकार के रूप में रख कर काश्तकारों का गल्ला खुद खरीद कर उसे जमा करें और उससे वही फायदा उठायें।

एक चीज और मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि इस सहकारिता के इंतजाम को जरा कड़ाई के साथ होने की जरूरत है। मैंने देखा है कि भट्ठे लग रहे हैं और इन भट्ठों की अगर आप जांच करायें तो मेरा अपना अनुमान यह है कि ५० फीसदी से ज्यादा रुपया इन भट्ठों का गबन हो चुका है। इसके लिये बड़ी तहकीकात की जरूरत है। इन भट्ठों के लिये, जैसा मैंने कहा, तमाम व्यापारी वर्ग के आदमी हैं जो रुपये को अपने पास खींच रहे हैं और खा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अंत में प्रार्थना करूंगा कि वह स्टेट ट्रेडिंग को जल्द से जल्द और जितने अच्छे रूप में हो सके, करें। काश्तकार हर्गिज गल्ला पैदा नहीं करेगा जब तक कि जो कुछ वह पैदा करना चाहता है उसका जो मुनाफा है उसको वह वापस नहीं मिलेगा। उसका मुनाफा खाने वाले और लोग हैं। १३ और १५ रुपये मन गल्ला खरीद कर ३० रुपये मन बेचा जाता है। इसलिये काश्तकार उतना ही गल्ला पैदा करना चाहेगा जितना कि उसके लिये काफी है। जब तक उसके एक्सचेंज का पूरा इंतजाम नहीं होगा, काश्तकार अधिक गल्ला नहीं पैदा करेगा।

मैं अंत में मंत्री जी से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो रूपरेखा हम लोगों को दिखलायी है वह बड़ी सुन्दर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन उसकी ऐक्चुअल वर्किंग

(actual working) उसका वास्तविक कार्य किस तरकीब से होता है इस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना है और इसके साथ में बजट के इस अनुदान का स्वागत करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अवसर पर एक विचारक ने यह कहा था कि "I do not propose anything nor do I oppose anything, I simply expose." इस वाक्य में एक्सपोज़ के माने एक्सपोजीशन करने के हैं। मैं भी सहकारी खेती के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संघर्ष और सहयोग जीवन और जगत् में दो सनातन सिद्धान्त हैं। संघर्ष का सिद्धान्त डारविन ने अपने ग्रन्थ में प्रचुर प्रमाणों से : "Natural selection, struggle for circumstances, survival of the fittest." के नाम से प्रतिपादित किया था (प्राकृतिक जीवन, जीवन संघर्ष इत्यादि के नाम से प्रतिपादित किया था)। लेकिन दूसरी ओर उतने ही प्रचुर प्रमाणों से प्रिन्स क्रोपटिकिन ने "म्युचुअल एड" नामक ग्रन्थ में सहयोग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मैं सहयोग के सिद्धांत को संजीवन सिद्धांत समझता हूं और इसीलिये सहयोग का पक्षपाती हूं। इसके अलावा इस सिद्धान्त का समर्थन करने के अलावा खेती के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि हमारे देश और प्रदेश को खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये केवल एकड़ों की वृद्धि के लिये ही नहीं बल्कि उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि के लिये भी यह आवश्यक है कि सर्विस कोआपरेटिब्ज, सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाय और उसमें सब दल मिल कर अपना सहयोग दें जिससे गांव-गांव में उनकी स्थापना हो सके।

जहां तक सहकारी खेती का सम्बन्ध है वहां पर मैं सर्वोदय के मार्ग से ग्रामदान और हृदय परिवर्तन द्वारा सहकारी खेती का पक्षपाती हूं लेकिन यह साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि सरकारी शासन यन्त्र का सहकारी खेती में प्रयोग करने को मैं सन्देह की दृष्टि से देखता हूं। मुझे इस बात में बहुत सन्देह है कि वर्तमान नौकरशाही प्रणाली द्वारा सहकारी खेती के सिद्धान्त को जिस रूप में चलाये जाने का विचार किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है वह कहां तक उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में साथी जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार प्रकट करते हुये एक बात कही थी वह मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं वही विचार मेरे भी हैं। आपस के वाद-विवाद में एक दूसरे पर गरमागरमी में आक्षेप प्रत्याक्षेप किये जाते हैं और जो लोग सहकारी खेती का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं उनके सम्बन्ध में देश के एक बहुत बड़े नेता ने यह कह दिया गरमी में कि केवल स्थापित स्वार्थ वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिये मैंने सन्त विनोबा और साथी जयप्रकाश नारायण का नाम लिया क्योंकि उनके सम्बन्ध में वह नेता भी यह नहीं कह सकेंगे और न कहेंगे कि वे भी स्थापित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ मतभेद है, विचारों में मतभेद है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सन्त विनोबा किसी स्थापित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके उद्देश्यों की अच्छाई और सच्चाई में सन्देह किया जा सकता है और अगर कोई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं तो उनके ऊपर उन दोनों के मुकाबले में अधिक आक्षेप किया जा सकता है लेकिन मैं तो दोनों में से किसी के ऊपर भी सन्देह करना उचित नहीं समझता। साथी जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि--

"सहयोगी खेती यदि कार्यान्वित की गयी तो सफल न होगी जब तक जनता की निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सच्चे सेवकों की सेवा न हो"। इन्हीं के जरिये लोकमत संगठित हो सकता है, सर्वसाधारण में जागृति हो सकती है। कांग्रेस का प्रस्ताव जन साधारण में चेतनता के अभाव में सफल न होगा। कांग्रेस ने प्रारम्भ भी किया कानून से तो सहयोग समितियां अधिकारियों के हाथ की कठपुतली हो जायंगी, जिनमें से अधिकांश लोग जनता के प्रति कर्तव्य पालन में सच्चे नहीं हैं। अतः यह सहकारी खेती किसानों को नौकरशाही के जबड़ों

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

में डाल देगी। जिसे मैं अपने शब्दों में कहूं जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस नौकरशाही के जबड़ों में, विकराल दांतों में किसान फंस जायंगे। अगर नौकरशाही के हाथों के जरिये सहयोगी खेती करने का प्रयत्न किया गया तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कह दूं कि नौकरशाही के सम्बन्ध में मेरा यह सन्देह आज का नहीं है, सदैव का है, जब से मैंने होश संभाला है तब का है, राजनीति में जब से प्रवेश किया है, तब का है। सन् १९३७ में जब मैं इस प्रदेश में ग्राम सुधार विभाग का विशेष अधिकारी था तब भी मैं इस सिद्धान्त को मानता था कि नौकरशाही मशीन के जरिये से ग्राम सुधार का कार्य नहीं होना चाहिये। मैंने अपने समय में इस बात का विरोध किया था। उसको कार्यान्वित करने के लिये मैंने यह शर्त लगायी थी कि इस विभाग में केवल वही लोग लिये जायं जिनमें पब्लिक स्पिरिटेड लोग हों, सेवा की भावना हो। उस समय इस प्रान्त के मुख्य मंत्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त थे। उन्होंने मुझसे आकर कहा कि गवर्नर ने यह बात मान ली है कि उसमें कांग्रेसी भी लिये जायंगे। तब मैंने उनसे कह दिया था कि आप जा कर उनसे यह साफ कर लें कि 'कांग्रेसी भी लिये जायंगे' नहीं, बल्कि 'कांग्रेसी ही लिये जायंगे'। जब गवर्नर महोदय ने मेरी इस बात को मान लिया तभी मैंने उस पद को स्वीकार किया। मैंने उस समय यह बात भी मनवायी कि जिलों में गांवों के जो डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं उनका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न रहे। अतः मेरा यह विरोध सदा से रहा है, पहले भी था और आज भी है। क्योंकि नौकरशाही शासन की मशीन में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो अंग्रेजों से हमें विरासत में मिली है वह जैसी की तैसी है, उसका रंग बदल गया है लेकिन उसके प्रकार में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये मैं कह सकता हूं कि इस तरह की मशीनरी द्वारा सहकारी खेती का प्रयोग अधिक अच्छा नहीं होगा। मुझे खुशी है कि अभी प्रस्ताव यह है कि दो तीन साल तक सर्विस कोआपरेटिव्स ही कायम रहें, उसके बाद उनको कायम किया जाय। प्रचार सहकारी खेती का किया जाय, इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन सहकारी खेती को कार्यान्वित करने का काम इस नौकरशाही के जरिये से बिना जबरदस्ती के नहीं हो सकता। इस बात की कल्पना माननीय सहकारी मंत्री भी कदाचित नहीं कर सकेंगे।

प्रादेशिक पैमाने पर अर्थात् सिद्धान्त से अलग आकर मैं कह देना चाहता हूं कि इस मामले में मेरे विचार चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं, राजस्व मंत्री चरण सिंह हैं नहीं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जब से राजस्व में विद्युत से सिंचाई हुई है तब से उनके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो गांवों की समस्या के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, विचारक हैं, उनका अध्ययन और मनन करने वाले हैं, उनके विचारों से मैं सहमत हूं और किसी भी तरह इस बात से सहमत नहीं हूं कि सहकारी खेती से लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। सरकारी मशीनरी के जरिये से सहकारी खेती में वास्तव में लाभ उतना नहीं होगा जितनी कि हानि होगी और अगर लाभ भी होता होगा तो बहुत ही कम होगा और हानि निश्चय होगी और बहुत अधिक होगी। लाभ हानि का लेखा अगर लगाया जाय तो सरकारी मशीनरी के जरिये से जो खेती का प्रयोग होगा वह हितकर न होगा, हानिकर होगा। दूसरे देश और दूसरे देश के विशेषज्ञों के उदाहरण दिये जाते हैं। मैं समय की कमी की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम--अगर किसान स्वयं फैसला करे और उसको ऐसा विश्वास हो कि दबाव की कोई चीज इसमें नहीं है, उसके विरोधी तो आप नहीं हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--उसके विरोध में नहीं बल्कि उसके समर्थन में हूं और म उसका सच्चे हृदय से समर्थक हूं बशर्ते कि किसान की खुद की उसमें सहमति हो। लेकिन यह बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकारी मशीन के जरिये इसमें सफलता नहीं मिलेगी,

हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी के कहने के बावजूद भी मुझे गहरा सन्देह है। इसका कारण यह है कि सन् १९४० में आगरा में मेरे ही सभापतित्व में एक सभा हुई थी जिसमें नेहरू जी ने यह कहा था कि जब हमारे हाथ में सत्ता आवेगी तो हम झाड़ू लेकर शासन की मशीनरी को साफ कर देंगे लेकिन आज तक वे ऐसा नहीं कर पाये। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन शासन मशीन की सफाई कांग्रेस द्वारा पूर्ण सत्ता शासन की प्राप्त करने और देश के सर्वेसर्वा होने के बावजूद भी नेहरू जी नहीं कर पाये हैं। मैं यह नहीं मान सकता हूं कि जैसे बाइबिल में कहा गया है: "God said, let here be 'light' and there was light" यानी परमात्मा ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसी प्रकार से नेहरू जी और हमारे सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि नौकरशाही बड़ी अच्छी है और वह अच्छी हो गयी मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये मुझे इस बात में सन्देह है कि उसके जरिये इस प्रयोग को सफल किया जा सकता है। जो आज वहां की शासन प्रणाली है उसके विषय में अधिक नहीं कहना चाहता, जब सामान्य प्रशासन का बजट आयेगा तब उस पर अपने विचार प्रकट करूंगा, लेकिन आज जो शिकायत सहकारिता के बारे में है, उस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। सर मालकम डार्लिंग जो सहकारिता के बड़े भारी विशेषज्ञ हैं और जो भारत सरकार के भी इन बातों के लिये विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने कई पुस्तकें इस विषय पर लिखी हैं। उनका कहना यह है कि "हिस्ट्री आफ कोआपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इज स्टून विद रुइन्स"। यानी भारत में सहकारिता आन्दोलन का इतिहास ध्वंसावशेषों से भरा पड़ा है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार पुराने कोआपरेटिव ऐक्ट में भी कुछ संशोधन करने जा रही है लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं कि संशोधन होते हुए भी सरकारी मशीनें उसे कार्यान्वित कर लेंगी, यह बात बहुत मुश्किल है। यह बात सब को मालूम है कि गंगाजल समुद्र में आकर खारा हो जाता है और अपेय हो जाता है। चाहे जितना भी अच्छा से अच्छा कानून बने, चाहे जितना भी अधिक से अधिक समाजवादी कानून बने लेकिन नौकरशाही के हाथ में आकर वह पूंजीवादी कानून जनता के शोषण का साधन हो जाता है। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये कभी भी तैयार नहीं हूं कि आज की नौकरशाही के हाथ में यह प्रयोग दिया गया तो उससे किसानों का भला होगा। आज भी किसान माननीय मंत्री जी को अपनी सरकार नहीं मानता है, अपनी सरकार वह थानेदार को मानता है, वह पतरौल को अपनी सरकार मानता है, लेखपाल को अपनी सरकार मानता है। ऐसी हालत में अगर आप नौकरशाही के हाथ में सहकारी खेती करने के प्रयोग को देंगे तो मुझे उसकी सफलता में सन्देह है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलैण्ड और यूगोस्लोवाकिया में भी सहकारी खेती का प्रयोग किया गया लेकिन कुछ दिन के प्रयोग के बाद वह स्कीम वहां भी असफल रही। इसके लिये मेरी समझ से तो एक ही रास्ता है कि या तो आप जबरदस्ती कलेक्टिव फार्मिंग की स्कीम चलायें या सर्वोदय के अनुसार ही जैसा बताया गया है वही करें, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, जिस अनुदान पर आज बहस हो रही है उस पर कितना रुपया खर्च होने वाला है इस पर उस दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि उसके जरिये क्या नतीजा निकलने वाला है, किस तरह से हमारे समूचे समाज का गठन होने वाला है इस दृष्टि से विचार करना चाहता हूं। कोआपरेशन के सम्बन्ध में जो अब तक दलीलें दी गयीं वे तीन किस्म की हैं---एक तो यह अव्यावहारिक है, मनुष्य की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। जिन दोस्तों का ऐसा खयाल है उनका यह विश्वास है कि इस प्रणाली से न समाजवाद का गठन हो सकता है, न हमारी समस्याओं का हल होने वाला है।

दूसरा दृष्टिकोण है उसूल। उसूल अच्छा है लेकिन मशीनरी खराब है, मशीनरी में कमी है और तब्दीली की जरूरत है, और तीसरा दृष्टिकोण यह है कि उसूल अच्छा है लेकिन आपकी नीयत खराब है। तीन तरीके की बातें इस पर कही गयी हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक

[श्री गोविन्द सहाय]

कोआपरेशन का ताल्लुक है आप चाहें या न चाहें हमें इसे अपनाना होगा क्योंकि आज इतिहास की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है और समय का प्रवाह हमें उधर ले जा रहा है।

अभी जैसा पालीवाल जी ने कहा मैं भी यही समझता हूं कि हमारे सामने दो ही रास्ते एक सोशलिस्ट समाज को लाने के हैं। एक तो प्रोसेस आफ क्लास कन्फिलिक्ट और दूसरा प्रोसेस आफ क्लास रिकंसीलियेशन। हमने दूसरा रास्ता अपनाया है और दूसरे रास्ते को अपनाने के लिये कोआपरेशन को सिद्धान्त मान कर हमें चलना होगा और जब सिद्धान्त मान कर चलना होगा तो देखना यह होगा कि इस सिद्धान्त को कैसे व्यावहारिक बनाया जाय ताकि लोगों की आस्था को हासिल किया जाय, क्योंकि अगर कोई सिद्धान्त अच्छा भी हो और उसके बारे में लोगों की राय अच्छी न हो तो अच्छा सिद्धान्त भी मुरझा जाता है। तो कोआपरेशन मेरा ऐसा विश्वास है कि अच्छा सिद्धान्त भी है, व्यावहारिक भी है।

जिन दोस्तों ने यह दलील दी है कि कोआपरेशन कहीं कामयाब नहीं हुआ है उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोआपरेशन का एक्सपेरीमेंट कामयाब नहीं हुआ तो पुराने आश्रमों का एक्सपेरीमेंट कामयाब नहीं हो रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि पुराने आश्रमों की प्रथा बुरी है। कोई चीज सफल नहीं हो रही है उसके कारण हैं। हमने कोआपरेशन एप्लाई तो कर दिया लेकिन उसके अनुकूल वातावरण पैदा नहीं किया। बगैर कोआपरेशन पर आस्था रखे हुए कोआपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। कोआपरेशन का जो रजिस्ट्रार है, जो मशीनरी का बड़ा पुर्जा होता है उनका खुद का कोआपरेशन में फेथ है या नहीं, जो डायरेक्टर हैं कोआपरेशन विभाग का उसका खुद का फेथ है या नहीं, यह हमें देखना होगा। जो कोआपरेशन को चलायेगा उसका खुद का फेथ होना जरूरी है। आप लाख कानून बनायें, कानूनों से इन्सान नही बदला जाता, जितना कि फेथ से बदला जा सकता है।

इस बारे में कुछ नौकरशाही की चर्चा की गयी। नौकरशाही की बात कोई नई बात नहीं है और मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए कि नौकरशाही की चर्चा जब हम करते हैं तो यह समझा जाता है कि हम सरकार के या सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कह रहे हैं। किसी का ऐसा मतलब नहीं है। नौकरशाही एक प्रथा है जो हमको मिली है। उस प्रथा का खास तौर से एक गठन है। एक खास उसका दिमाग है। जब नौकरशाही में आदमी घुसता है तो २४ घंटे के अन्दर उसका एक्सेंट, पोशाक, टोन सब कुछ बदल जाता है। उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। नौकरशाही प्रथा की सब से बड़ी जीत यह है कि उसे प्रभावित न करके उसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। वह इस काम के लिये नहीं बनी थी कि इससे क्लास डिवीजन मिटे, क्लास डिवीजन उसमें पैदा किया गया---छोटा साहब, बड़ा साहब, छोटा बाबू, बड़ा बाबू और चपरासी यह ५ क्लासेज इसमें हैं। जिस सिस्टम के अन्दर क्लास रेजिमेंटेशन हो, क्लास पर्पिचुएशन हो उसमें क्लासलेस सोसाइटी नहीं बन सकती, यह गलतफहमी अगर आपको नहीं है तो हमको भी नहीं है। सिर्फ बहस इस बात की है कि आनरेबिल मिनिस्टर और उनका महकमा इसमें क्या कर सकता है और इस बारे में मैं समझता हूं कि हमारा कोई ज्यादा बेनीवोलेंट रवैया नहीं है। जब हम यह समझते हैं कि जो काम पंडित नेहरू नहीं कर सकते हैं वह माननीय मोहनलाल गौतम कर देंगे, मोहनलाल गौतम भी अपनी पाबन्दियों को जानते हैं, मगर इतना जरूर चाहता हूं कि सदन के अन्दर जो बातें कही जाती हैं उनसे एक ट्रांसफारमेशन का प्रोसेस शुरू होता है। आफिसर्स आते हैं उनका नजरिया मालूम होता है, हमारा नजरिया उनको मालूम होता है। तो कोआपरेशन, मैं इतना चाहूंगा कोआपरेशन का महकमा आर्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेशन का महकमा नहीं है। अगर यह महकमा इस तरह के काम करेगा जिससे लोगों को सहूलियतें मिलेंगी काम करने की तो लोग उस चीज को फौरन पकड़ लेंगे। आज जैसा कोआपरेशन का गठन है, उसकी कार्य-प्रणाली

है वह कोआपरेशन के मूवमेंट के लिये बड़ी घातक है। एक तो कोआपरेशन का विभाग और एक कोआपरेशन जीवन के आन्दोलन में यह दो आसपेक्ट हैं। तो विभाग का फैलाव तो हुआ है मगर उसने कोआपरेशन का आन्दोलन, उसके दर्शन को नहीं पकड़ा है और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर ज्यादा जोर दें कि कोआपरेशन में लोगों की ज्यादा आस्था हो। जिन बातों से आस्था नहीं पैदा हो रही है उन्हें दूर किया जाय। मान लिया जाय मिनिस्टर की नोटिस में यह बात आये कि फलां-फलां कोआपरेटिव सोसायटी गबन कर रही हैं तो ५०-१०० सोसायटीज पर आप ड्रास्टिक ऐक्शन ले डालिये चाहे कोई भी हो, तो उससे लोगों में आस्था बढ़ेगी कि जो पैसे का दुरुपयोग करेंगे उनको उचित दंड दिया जायगा।

दूसरे जो रूल्स, बाई लाज हैं उनमें इतना सेन्ट्रेलाइजेशन कर लिया गया है कि चाहे हम यहां डीसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करें एक आदमी को आप हटा नहीं सकते क्योंकि हर चीज में लिखा हुआ है रजिस्ट्रार की स्वीकृति और रजिस्ट्रार के माने सुपरवाइजर, क्योंकि सब काम नीचे के लोगों द्वारा ही होता है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मेरे ख़याल से मुझ से ज्यादा मजबूत शब्दों में इस देश के प्राइम मिनिस्टर इस आवाज को उठा रहे हैं और उनका यह कहना है कि मेरी यह ख्वाहिश है कि कोआपरेशन के विभाग से सरकारी जो मशीनरी है वह उससे हटायी जाय। कोआपरेशन की सफलता इस बात में है। तो उस दिशा में भी यू० पी० को श्रीगणेश करना चाहिए।

दूसरे जो कोआपरेटिव के इंस्ट्रुमेंट्स हैं उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में, जैसे मान लिया जाय कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है तो उस दफ्तर वालों ने कोई अपनी कोआपरेटिव सोसायटी, कोई चीज ऐसी कर रखी है जिससे पता चले कि वह स्वयं भी उसको व्यवहार में लाते हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसा होता है या नहीं। तो इनकी आस्था स्वयं कोआपरेशन में पैदा करने के लिये, बुरा कहने से तो काम नहीं चलेगा, इनका मेंटल रीओरियनटेशन होना चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, मेरा खुद जाती अनुभव है, सर्विसेज की खुद यह राय है कि रोज-रोज हमको कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं है, हमको जिस किस्म की पालिसी मिलेगी सर्विसेज के बारे में मैं स्थिति जानता हूं यह घोड़े हैं इनकी पालिसी उनके सवार के ऊपर है। जैसा सवार चढ़ता है चूंकि मिनिस्टर हमारे इस महकमे के हैं उनका स्वयं कोआपरेशन में फेथ है, यह मुझे मालूम है, इसलिये मैं यह कह रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में वे २, ४ चीजें ऐसी इन्ट्रोडयूस कर सकते हैं जिससे आम आदमी की कोआपरेशन में आस्था पैदा हो। जो पैसा खर्च होता है . . . . .

एक सदस्य—सवार ही खराब हो।

श्री गोविन्द सहाय—जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सवार खराब है, तो जनाब की यह राय बहुत पहले से है और इतना कहने से सवार उतरने वाला नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस मुहकमें के जो सवार हैं उनकी आस्था नहीं है। उनकी आस्था है और विश्वास भी है। वे कुछ नतीजा दिखा सकते हैं। इसलिये जितनी कोआपरेशन की मशीनरी है, इंस्ट्रक्टर्स, सुपरवाइजर्स वगैरह इनकी एलेमेन्ट्री ट्रेनिंग में सुधार की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि एक चीज को कामयाब करने के दो तरीके होते हैं—एक तो यह कि जल्दी से मंजूर कर लो और उसके अनुकूल वातावरण पैदा करो। दूसरे यह कि जल्दी से मंजूर कर लिया और वातावरण उसके खिलाफ हो जाय और कह दिया कि नहीं चल सकता है। आज हमने उसूलों को मंजूर किया है और उन उसूलों को अंजाम देने के लिये जिस तरह के वातावरण की जरूरत है वह कदम अभी उठा नहीं है। अब वह कदम उठने का समय आ गया है।

मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो हमें मिला है, उसका इतिहास है, उसकी जड़े हैं। जड़ें दो मुहकमों में—एक कम्युनिटी प्राजेक्ट और दूसरे कोआपरेशन। कम्युनिटी प्राजेक्ट में मुझे कहने में हिचक नहीं है कि कुछ बदल हुई है। कोआपरेशन को जोड़ कर इसमें जो कोर्सेस वगैरह होते हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे तो ब्यूरोक्रेसी के दोष दूर होंगे।

[श्री गोविन्द सहाय]

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिग का ताल्लुक है, मेरा खयाल है कि कोआपरेटिव फार्मिग कामयाब की जा सकती है, यह नामुमकिन बात नहीं है। लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है और उनको समझाया भी जा सकता है। अभी कोई कोशिश समझाने की, यकीन दिलाने की हुई नहीं है और चूंकि हुई नहीं है इसलिये यह राय कायम करना कि सफल नहीं होगी, यह अच्छी बात नहीं है। यही बातें रूस के बारे में कही जाती थीं कि सोशलिज्म नहीं आ सकता, फिर कहा कि चीन में नहीं आ सकता, फिर कहा कि हिन्दुस्तान में नहीं आ सकता। अब कहते है कि अरेबिया में नहीं आ सकता। दुनिया के विचारक इस बात पर पहुंचे हैं कि डेवलपमेंट नामुमकिन है जब तक कि मार्डनो टैक्नालाजी को अपनी व्यावहारिक जिन्दगी में प्रवेश न करायें, और वह व्यक्तिगत तरीके से किसान नहीं कर सकता है। उसका प्रयोग अच्छे पैमाने पर हो सकता है अगर कोआपरेटिव सोसायटी इन बातों को लें। जहां तक मिनिस्टर महोदय ने कहा कि किसी किस्म का बोझा नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, मेरे दिल और दिमाग में यह बात नहीं है। लोग हर अच्छी बात की मुखालफत करते हैं। कन्सालीडेशन की भी मुखालफत की गई लेकिन हमने इसलिये उनको रोक नहीं दिया था। कोआपरेशन को समझाने के लिये प्रेशर भी एक एलीमेंट है। मेरा यह कन्विक्शन है कि लोगों को समझाने के लिये इस तरीके का फायदा भी दिखा दें जिससे आदमियों को, मुट्ठी भर आदमियों को गति रोकने का मौका न हो। किसी न किसी फार्म में डेमाक्रेसी में भी जाना पड़ेगा, इसे मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह अनुदान मंजूर किया जाय और इससे पूरा पूरा फायदा उठाया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि मंत्री महोदय यहां बैठते। कुछ हम लोगों की बात सुनते, कुछ विनियम होता। वादे वादे जायते तथ्य बोधः। मालूम होता है कि हमारे गोविन्द सहाय जी ने उनका माइंड रिओरियन्टेड कर दिया। श्रीमन्, मैं तो बड़ी उत्सुकतापूर्वक माननीय गोविन्द सहाय जी और माननीय सहकारिता मंत्री की बात सुन रहा था और दोनों की बातों में मुझे विशेष विरोधाभास मिला। एक ओर तो पूर्ण आश्वासन कि किसी प्रकार का प्रेशर इस्तेमाल नहीं किया जायगा और पालीवाल जी से कहा गया कि लोग स्वीकार करें तो आप लोगों की स्वीकृति को स्वीकार करेंगे और श्री गोविन्द सहाय जी कहते हैं कि मैं यदि सहकारिता मंत्री होता (जैसे कि वान्टेड कालम में कोई जगह खाली थी) तो मैं कहता कि बिना प्रेशर के काम नहीं हो सकता।

श्री गोविन्द सहाय---मैंने उपाध्यक्ष महोदय, कोई खुशी से ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हो, मैंने अपनी ओपीनियन बतायी कि यह स्टेज भी आ सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---इसमें, श्रीमन, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं तो उनकी ही बात को दोहरा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है, उन्होंने केवल पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---उनकी ओपीनियन तो मैंने मान ली कि उन्होंने यह कहा कि प्रेशर यूज होगा लेकिन मैं यह मानता हूं कि १५ तारीख तक वह फ्री थिन्कर रहें या न रहें, यह तो बाद में ही मालूम होगा। एक साहब कहते हैं कुछ, दूसरे कहते हैं कुछ। प्रेशर तो कोआपरेटिव फार्मिग के लिये जरूर ही प्रयोग में लाना होगा। यह कहना गलत बात है कि हम लोगों की स्वीट विल या फ्री विल पर छोड़ेंगे गलत बात है। मेन्टल प्रेशर की बात पूछें तो उन्हें मैं बता सकता हूं, वहीं जा कर अगर अपने को ठीक करा लें तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्पष्ट कहें कि यह जो सहकारी खेती की बात हो रही है उस में किसी प्रकार के प्रेशर का प्रयोग न होगा तो बात समझ में आ सकती है। डायरेक्ट न सही तो

इनडायरेक्ट सही लेकिन यह साफ किया जाय कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। पहले माननीय मंत्री जी ऐसा एश्योरेन्स दें।

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)---पारल प्रेशर, सोशल प्रेशर या फिजिकल प्रेशर भी हो सकता है, वह तो बहुत तरह का होता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे आश्चर्य हुआ देखकर कि सन् १९३६ में और प्रेशर था और अब दूसरा प्रेशर हो गया, तो इस तरह से प्रेशर की बात वे न करें, उसे छोड़ें। कहा जाता है कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग चाहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये। मेरी समझ में नहीं आता कि आजतक जिन देशों को कोआपरेटिव फार्मिंग का अनुभव हुआ है चाहे वह कलेक्टिव फार्मिंग हो हो, उन सब का स्पष्ट अनुभव है कि पैदावार में वास्तविक बढ़ोत्तरी "पर एकड़" नहीं हुई है। ख्रुश्चेव का भी यही कहना है और मेलेन्कोव के पतन में भी यही चीज है। चीन की बात कही गयी लेकिन चाउएनलाई ने भी जो डेपुटेशन गया था उसने इस चीज को स्वीकार किया है कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन से पर एकड़ ईल्ड नहीं बढ़ी है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बीच बीच में न बोलें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---वह टांग उठावे तो मैं नाल ठोकने को तैयार हूं। "How the agrarion problem has been solved in the U. S. S. R." पुस्तक के पेज ३५ पर लिखा है और उसमें स्वीकार किया है कि :

"In addition to his income from work on the collective farm, the collective farmer has an additional source of income in his personal household to which the family devotes its spare time. The household provides additional meat and dairy products, vegetables, fruit and berries for the family table, inasmuch as these products are not yet provided by the co-operative in adequate amounts."

यह स्पष्ट है, श्रीमन्, कि ४० वर्ष की प्रगति के बाद भी कोआपरेटिव्ज ने ऐडिक्वेट अमाउन्ट में सफलता प्राप्त नहीं की। जहां यह दुर्दशा हो गयी तो ४ वर्ष के बाद जो भीषणता खड़ी होगी कोआपरेटिव्स की उसकी क्या दशा होगी? तो यह चीज ऐसी नहीं है जिस पर भावना से विचार किया जाय और प्रतिक्रियावादी और प्रगतिवादी जैसे शब्दों का प्रयोग सदन में किया जाय। इस तरह से काम नहीं हो सकता। संशोधन जरूर करना पड़ेगा, व्यावहारिक दृष्टि से करना पड़ेगा और वास्तविकता की दृष्टि से करना पड़ेगा। वास्तविकता इस बात की है कि हमारा ईल्ड पर एकड़ बढ़े वह तो तभी बढ़ेगा जब इंटेंसिव कल्टीवेशन हो।

अभी टेक्नालाजी की बात लायी गयी कि जब तक यहां मार्डन टेक्नालाजी का प्रवेश नहीं लाया जायगा ईल्ड पर एकड़ नहीं बढ़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जापान में तो बहुत छोटे छोटे होल्डिंग्स हैं, वहां कौन-सी मार्डन टेक्नालाजी लायी गयी जब कि वहां की ईल्ड पर एकड़ दुनिया में सब से ज्यादा है? वह इंटेंसिव कल्टीवेशन के आधार पर है और उसको सफल करने के लिए सर्विस कोआपरेटिव्स की जो आवश्यकता है उस की पूर्ति होनी चाहिए। जनसंघ स्पष्ट कहता है कि सर्विस कोआपरेटिव्स होनी चाहिए (व्यवधान)। मैं क्या करूं? मैं अपने मित्रों को तर्क दे सकता हूं बुद्धि नहीं दे सकता हूं और भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह अगले जन्म में उनको बुद्धि दे।

तो मैं कह रहा था कि अगर वास्तविकता की उपेक्षा की गयी तो वह प्रतिक्रियावादी होगा। फ़ैक्ट्स की उपेक्षा करना यदि प्रतिक्रियावाद नहीं है तो उसका और क्या अर्थ हो सकता है? जो फ़ैक्ट्स को छोड़ कर, मानवता को छोड़ कर के एक विशिष्ट प्रकार की विचार-धारा को ले कर सारे समाज को दास बनाने का प्रयास करे वह रिएक्शनरी है या जो फ़ैक्ट्स

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

सामने रखता है वह रिएक्शनरी है ? अंग्रेजी की वह कहावत चरितार्थ होती है कि "Minister rushes in where angels fear to treads" । सहकारिता का नाम लेते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे, उसकी सफलता स्वयं मंत्री जी देखें। मैं आप को थोड़ा-सा उद्धरण दूं। यह कहते हैं कि हमने व्याज की दर हटाकर सवा ६ परसेंट सिम्पिल इंटरेस्ट कर दी। अगर आप का सिम्पिल इंटेरेस्ट माना जाय तो आपकी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी है उसने कैसे सिम्पिल इंटेरेस्ट की जगह कम्पाउन्ड इंटेरेस्ट चार्ज किया ? एक डिपार्टमेंट में दो विचार ? दो बुद्धि ? जिसके ऊपर आडिट इंसपेक्शन में भी आब्जेक्शन हुआ और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। मैं किस बात को सही मानूं ? और यह सवा ६ परसेंट बड़ा रीजनेबिल इंटेरेस्ट है। मैं तो कहता हूं कि "गवर्नमेंट इज़ इंडलिजंग इन इंटेरेस्ट रेकेटीयरिंग"। लोगों से सूद की वसूली में उनके साथ शोषण हो रहा है और कहा जाता है कि हम सूद घटाते हैं।

बड़े आनन्द का विषय है। पुस्तिका में कहा गया है कि समितियों का आडिट एक से अधिक वर्षों में हुआ। अच्छा हुआ, कर्जा देती है। फिर कहते हैं "आडीटरों की पर्याप्त संख्या न होने से पिछले वर्षों में इनका आडिट नहीं हो सका"। यानी आडीटरों की पर्याप्त संख्या न होने से आडिट ही नहीं हुआ। बधाई है ऐसे मंत्री जी को, ऐसे ऐडमिनिस्ट्रेशन को और ऐसे डिपार्टमेंट को। और हम उनसे आशा करें कि वे ऐसा समाज रचेंगे जिसमें सब काम ठीक से होंगे। यह तो वैसे ही होगा जैसे विदेश से बुद्धि मांग कर यहां कौवा हंस के पंख लगा ले। हाउसिंग की इस देश में बहुत आवश्यकता है। सभी कहते हैं कि हाउसिंग होनी चाहिये। हमारे कोआपरेटिव विभाग को भी हाउसिंग का बड़ा शौक है। उन्होंने भी लोन लेना शुरू किया और उसका पराक्रम बड़ी चरम सीमा पर पहुंचा। फरमाते हैं कि ऋण के आवेदन-पत्र जो प्राप्त हुये---२ करोड़ रुपये के प्राप्त हुये, ऋण स्वीकृत १ करोड़ ९२ लाख रुपया, ऋण दिया गया १ करोड़ २४ लाख रुपया। स्वीकृत तो हो गया, पैसा भी उनके पास है लेकिन ऋण देने में भगवान जाने क्या देर होती है। और इतना ही नहीं, इस वर्ष बहुत-सी नयी सहकारी गृह निर्माण समितियों ने अपने सदस्यों को ऋण देने के हेतु धन के लिये आवेदन किया, और विभाग कहता है, परन्तु यह सम्भव नहीं हो सका। दुकानदार की हालत यह कि ऐडवर्टिज़मेंट बड़ा भारी, यह यह माल दिखायी देता है और खरीदार जब जाता है तो कहते हैं कि माल तो खत्म हो गया, क्या दें। तो कैसे हम यह विश्वास करें कि जब इस छोटी-सी चीज़ को यह विभाग नहीं चला सकता तो खाद्यान्न जैसी चीज़ को जिसका देश के जीवन से इतना अभेद्य सम्बन्ध है यह विभाग चला सकता है ? एक तरफ इनका प्रत्यक्ष व्यवहार बराबर असफलता का दिखलायी पड़ता है, दूसरी ओर जिस योजना को ये ले कर चलते हैं वह सफल नहीं हुई, खुद भी असफल हैं और योजना भी असफल है।

मंत्री जी ने बड़े जोर से घोषणा की कि सहकारी फार्मों पर काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दी जाती है। एक पुस्तिका है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसे देखा है या नहीं, उसमें स्पष्ट है कि जितने भी कोआपरेटिव फार्म हैं उन पर ८ आने से लेकर १४ आने तक मजदूरी है जब कि साधारणतया गांव में १२ आने से लेकर १ रुपया और सवा रुपया तक मजदूरी है और उसके साथ साथ दाना और रस भी दिया जाता है। मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट लागू है, उससे भी कम मजदूरी देते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत मजदूरी दी।

इतना ही नहीं, इनकी जो सारी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं---मैं गोविन्द नगर की सोसायटी को लेता हूं, उसकी आडिट रिपोर्ट पढ़ने योग्य है। उसके एक मैनेजर जो उसके सर्वे सर्वा थे और यहां के भूतपूर्व माननीय सदस्य भी रह चुके हैं किछा से उन्होंने कांग्रेस पार्टी, लखनऊ को एक तार दिया १०-९-५१ को डेढ़ रुपये का और उसमें लिखा "एक्सक्यूज़ टुडेज़ एब्सेन्स"। उस डेढ़ रुपये को गोविन्दनगर सोसायटी से चार्ज किया। खुद हाजिर नहीं हुये, व्यक्तिगत कार्य था और चार्ज करते हैं कोआपरेटिव सोसायटी से (व्यवधान)। यह तो मेरे और उनके बीच की बात थी। और दिल्ली को जो ट्रंक काल किया सवा ६ रुपये क

अपने निजी कार्य के लिये उसको भी चार्ज किया उस समिति से। आडिटर ने आब्जेक्शन किया। मैं पूछता हूं कि विभाग ने क्या कार्यवाही की? एक नहीं सैकड़ों आब्जेक्शन्स हैं। साढ़े ३०० रुपये का compound किया लकड़ी के मामले में। वह रुपया समिति में जमा नहीं किया। आडिटर ने पकड़ा। मैं पूछता हूं कि आजतक उनका एम्बेजिलमेंट में प्रासीक्यूशन हुआ या नहीं? और अगर नहीं हुआ तो मैं कहूंगा कि नैतिकता का भाषण देने वाले पोलिटिकल प्रोटेक्शन करते हैं। तो जहां यह हाल है, जहां विभाग कंट्रोल नहीं कर सकता, आडिटर की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं होती---इस पुस्तिका में स्वयं जिक्र है कि जितनी आडिट रिपोर्ट आयी हैं बहुतों पर कार्यवाही नहीं हो सकी---तो धंधे से भी कुछ सुस्त चलने वाले इस विभाग से क्या अपेक्षा की जाय कि यह समाज की रचना में सहायक हो सकता है, समाज को ऊपर उठा सकता है। कहा जाता है कि समाजवादी ढांचा बनाते हैं। मैं कहूंगा कि घर से प्रयोग करिये। इसी सेक्रेटेरियट में ३,००० रुपये पाने वाले लोग भी हैं और ६० रुपये पाने वाले लोग भी हैं। जरा इनकी आमदनी का बटवारा कर लीजिये तब दूसरी बात करिये।

श्री टीका राम (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोआपरेटिव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दुनिया का कोई इंसान अकेला रह कर कोई काम नहीं कर सकता है और उसे दूसरे से मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती है लिहाजा उसे मिलकर संगठित हो कर काम करना पड़ता है। इसी का नाम कोआपरेशन है और इसी को कोआपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं। कोआपरेशन के लिये सब से पहले यह चीज जरूरी है कि लोगों के पहले विचार बनाये जाते हैं और जब एक विचार कुछ आदमियों के हो जाते हैं तो उनका कोआपरेशन हो जाता है। इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिये यह जरूरी है कि पहले विचारों का आदान-प्रदान किया जाय तब सोसाइटीज बनाई जायं। हम सब लोग कोआपरेशन का प्रचार तो करते हैं लेकिन उसका अपने ऊपर अमल नहीं करते हैं। इसका प्रचार करने से पहले हमें अपने ऊपर अमल करना चाहिये और अपने कुटम्बियोंके साथ अमल करना चाहिये और जब हम इस तरह से करेंगे तो उसका असर मुहल्ले में और गांव में पड़ेगा और इस तरह से कोआपरेशन बढ़ता चला जायगा। कहने से काम नहीं चलेगा बल्कि अमल करने से काम चलेगा।

हमने महात्मा गांधी जी की तहरीक देखी। जो प्रचार किया उस पर अमल किया। जो कहेगा और करेगा उसकी बात जनता मानेगी और जो कहेगा और करेगा नहीं उसकी जनता नहीं मानेगी। जब कथनी और करनी एक होगी तो जनता मानेगी। आजकल कोआपरेटिव सोसाइटीज उस समय तक सफल नहीं हो सकती हैं जब तक कि लोगों के दिमागों को न बदला जाय। इसके लिये प्रचारकों को जरूरत है कि नीचे से लोगों के दिमाग बदलें। लेकिन हमारे कोआपरेटिव विभाग में उल्टा मामला है। यह ऊपर से चल रहे हैं। यह ऊपर से लादना चाहते हैं जो नीचे वालों के दिमाग के माफिक नहीं होता इसलिये वह सहयोग नहीं देते हैं और मुखालिफ हो जाते हैं। हमने कोआपरेटिव सोसाइटी को जब बनाया तो लोगों ने बड़ी खुशी के साथ २०-२० रुपये जमा किये और प्रचार किया कि अच्छी चीज है और दो सोसाइटीज बनीं। गन्ने की सोसाइटी अलग है, कोआपरेटिव सोसाइटी अलग है। लेकिन हालत क्या है? ४ हजार रुपये का हिसाब आज तक नहीं मिला। किसी सुपरवाइजर ने हिसाब नहीं दिया और साथी कहते हैं कि २०-२० रुपये जमा किये दस-दस साल हो गये लेकिन हिसाब का कुछ पता नहीं है। न सालाना मीटिंग होती है और न कुछ बताया ही जाता है। लोगों की अश्रद्धा बढ़ती जाती है। अच्छी चीज है लेकिन अमल नहीं होता, इसलिये अश्रद्धा बढ़ती जाती है।

आज धोखा दिया जा रहा है। गन्ने के हम काश्तकार हैं। हम बीज भी लेते हैं और खाद भी लेते हैं। दस बोरी खाद में दो बोरी नमक घुसेड़ दिया जिससे ३७ रुपये के बजाय

[श्री टीकाराम]

कुल ५ रुपये का माल मिला। बदायूं में बारह हजार रुपय का गड़बड़ हुआ। उसमें सुपरवाइजर जेल गया और १५ दिन बाद छूट आया। जिला कोआपरेटिव की मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि नियमों में तब्दीली होगी और पुराना नियम यह आया कि सुपरवाइजर रजिस्ट्रार के हाथ में रहे। हम लोगों ने कहा कि नहीं सुपरवाइजर हमारे हाथ में रहना चाहिये। जब हम मालिक हैं तो वह हमारे हाथ में होना चाहिये। लेकिन डी० सी० ओ० साहब ने यह कहा कि भाई २५ हजार रुपया तुम दोगे तो २५ हजार रुपया रजिस्ट्रार देगा। अगर वह नामंजूर करेगा तो रुपया तुमको नहीं मिलेगा। हम सब चुप हो गये। मजबूर हो कर हमें मानना पड़ा। कहने को तो यह है कि तुम आजाद हो, जैसा चाहो करो, नियमों में परिवर्तन करो। लेकिन नियमों में परिवर्तन यह हुआ कि रजिस्ट्रार की धौंस हमारी चांद पर रख दी और हम कुछ न कर सके। मैंने एक सवाल दिया कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव सोसाइटी के आडिट का हिसाब समझा दिया जाय। उसका जवाब यह मिला कि रिपोर्ट वगैरह देखनी है तो माननीय सदस्य आफिस में आ कर देख लें। आडिट में आफिस का हिसाब नहीं दिखाया गया जिसमें हजारों रुपये का गबन था। वही सवाल मैंने किया। यह जवाब आया। न मैं दफ्तर में गया न मुझे आडिट रिपोर्ट देखने को मिली। उनका फर्ज था कि वे यहां दे देते। कहने के लिये कोआपरेटिव हैं। यह तो चन्द नौकरों का मजमुआ है जिसको हमारी चांद पर बिठा दिया, जो उससे पलें और हमें खायें और हमारे रुपये का दुरुपयोग करें।

श्री सुल्तान आलम खां--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से पूछ सकता हूं कि कहां गबन है, किस जगह हुआ है?

श्री टीका राम--बदायूं कोआपरेटिव का है।

श्री सुल्तान आलम खां--फेडरेशन में है या बैंक में?

श्री टीका राम--इस तरह से मैं सब भूल जाऊंगा। हमने आपकी किताब देखी है जिसमें प्राइमरी सोसाइटियां ४४,१०२ हैं। उनके मेम्बरों की तादाद १८,६२,००० हैं। हिस्सों का रुपया ४,२५,००,००० है। केन्द्रीय बैंक से कर्जा ५,२०,००,००० है। ३० जून तक कर्जे का बकाया रहा ६,५६,००,००० । कर्जे की हालत यह है कि उन्होंने मेम्बरों को कर्जा लिवाया। जब अदायगी का वक्त आया तो किसानों ने कहा कि मेरे पास रुपया नहीं है। बस उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें नया कर्जा दिलवा देते हैं। जो रुपया मिले उससे पुराना कर्जा दे देना। पुराने खाते में वसूल कर लेते हैं और नये खाते में डाल देते हैं। इस तरह से बकाया का रुपया चल रहा है।

श्री सुल्तान आलम खां--माननीय सदस्य ने कभी इसकी लिखी हुई शिकायत भी की?

श्री टीका राम--मुझे कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--बाद में आपसे मिल कर सब बता देंगे।

श्री टीका राम--गन्ना सोसायटी का यह हाल है कि यहां बचत योजना में रुपया काट लिया जाता है। उन्होंने यह समझ रखा है कि इधर से लूटो और उधर से लेते जाओ। परेशान कर रखा है। बचत योजना का भूत हमारे सामने पड़ गया। सेक्रेटरी बचत योजना, पंचायत मंत्री बचत योजना, कलेक्टर बचत योजना। अगर लिया जाय तो बड़े आदमियों से लिया जाय। कंगालों से बचत योजना मांगी जा रही है। यह हालत हो गई है। सब परेशान हो गए हैं। आगे को कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही जाती है। बड़ा अच्छा

है। लेकिन कोआपरटिव फार्मिग का काम कैसे हो ? यह भी तो सोचा जाय। जरूर करो कोआपरेटिव फार्मिग। उसको इस सूरत से लाओ कि पहले एक खान्दान खान्दान को कोआपरेशन पर लाओ। पहले पहल यह करो कि जो अपने नजदीकी हैं वे लोग पहले मिलें और उनके मिलने के बाद उनको आबपाशी के जरिये, खाद के जरिये आदि ज्यादा दो ताकि उपज बढ़े। छोटा काश्तकार जितना पानी और खाद से पैदा कर सकता है उतना बड़ा पैदा नहीं कर सकता। इसलिये कोआपरेशन में छोटे-छोटे किसानों को अपने खान्दान खान्दान को मिलाकर यह काम शुरू किया जाय। फिर उनको आबपाशी और खाद की सुविधा दीजिए। तब आपकी खाद्य स्थिति सुधरेगी, आपकी उपज बढ़ेगी और फिर इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपना नाम आपको बतलाना चाहता हूं। मेरा नाम खूब सिंह है और मैं बिजनौर से आता हूं। मुझे आप भूल जाते हैं। अपने जमाने में जब से आप यहां बैठे हैं शायद एकाध बार कभी मुझको मौका दिया हो।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, म आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सहकारी मंत्रीने जो सहकारिता का अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके लिये हमारे देश के नेता ने भी सबका आवाहन किया है कि सब लोग इसमें मदद करें और मंत्रीजी ने भी कहा है कि हम लोगों को मदद करनी चाहिये सब लोगों को सहयोग देना चाहिये और जो प्रगति विरोधी तत्व हैं उनको इसमें से निकालना चाहिये। तो मंत्री जी तो मौजूद नहीं हैं, मैं खास तौर से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसमें विरोधी तत्व हैं वे कौन से विरोधी तत्व हैं जो कि इसमें सहयोग नहीं देना चाहते या सहयोग नहीं दे रहे हैं। इस पर भी मंत्री जी को विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। अब यह सहकारी खेती और सहकारी संघ जितनी चीजें हैं आज तक का जो अनुभव है उधर का उससे जनता प्रभावित नहीं हुई है। इनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वही लोग इसमें अपना सब कुछ हाथ रखते हैं, यही लोग जो कुछ चाहते हैं वह करते हैं। खास तौर से मुझे यह कहना है कि यह जो सहकारी संघ का या केन यूनियन का चुनाव होता है यह उस विभाग के द्वारा न कराया जाय बल्कि इसका चुनाव दूसरे विभाग के द्वारा कराया जाय। जितने कर्मचारी हैं सहकारी संघ के या केन यूनियन के यही लोग मिलकर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उलट-पुलट कर के रख देते हैं और जनता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, न ठीक से कोई चुनाव होता है इसका जिसको चाहते हैं उसको भर देते हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसकी जांच की जावे। हमारे यहां केन यूनियन, उसका बाजार का चुनाव हुआ। उसमें हर गांव समितियों से चुनाव कराने की बात थी। लेकिन चुनाव के वक्त यह कहा गया कि अभी चुनाव नहीं होगा, बाद में हो जायगा। चुनाव कोई नहीं हुआ। मगर जब डाएरेक्टर के चुनाव का वक्त आया तो एक लिस्ट वहां टांग दी गई ५० आदमियों की और वह भी ऐसी लिस्ट टांग दी गई कि एक-एक घर के दो-दो आदमी, एक आदमी एक गांव से डेलीगेट, दूसरा दूसरे गांव से डेलीगेट। उसमें ऐसे-ऐसे डेलीगेट हैं जिन्होंने कभी गन्ना नहीं बोया। पन्द्रह बीस गांव ऐसे हैं जिनमें गन्ना नहीं बोया गया और पन्द्रह बीस डेलीगेट ऐसे चुने गये जो कभी गन्ना नहीं बोते हैं। हमने उन ५० गांव के आदमियों से दरख्वास्त ली और लेकर गन्ना अधिकारी को दी। गन्ना अधिकारी ने उस पर यह लिख दिया मैंने २३ नवम्बर को दरख्वास्त दी। जो चुनाव होने वाला है उसके लिये जांच करने के लिये उन्होंने कहा कि १ दिसम्बर को वह चुनाव नहीं होगा जांच होने तक रोक दिया जायगा लेकिन फिर हम २४ नवम्बर को जब गन्ना अधिकारी से मुलाकात करने जाते हैं तो वे नहीं मिलते हैं। उन्होंने यह कहा था कि कल फैसला देंगे और मौके पर जांच करेंगे लेकिन उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। इस तरह की धान्धली चुनाव में की जा रही है। इतना ही नहीं

[श्री मथुरा प्रसाद पांडेय]

जो सहकारी संघ हैं उसका चुनाव भी इसी धान्धली से होता है। केन यूनियन और सहकारी संघ का चुनाव भी सुपरवाइजर अपने घर पर २-४ आदमियों को बुलाकर कर लेता है। गांव वाले अपने घरों पर बैठे रहते हैं और इसकी इन्तजार ही करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं होता है। अभी मेरे पास एक चिट्ठी आई है। गांव के कार्यकर्ता ने लिखा है कि ८ आदमियों को बुलाकर सुपरवाइजर ने बीज गोदाम पर बैठकर चुनाव कर लिया। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत से गांवों में इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। अजगरा गांव के अलावा बहुत से कई गांव ऐसे हैं जहां पर सुपरवाइजर चुनाव करने के लिये नहीं गये बल्कि वहां एकदम केन कोआपरेटिव का फर्जी चुनाव हो रहा है। हम तो यह कहते हैं कि शनिचर को हम घर जा रहे हैं। वहां पर हमको बहुत से आदमी मिलेंगे। लोगों को मालूम है कि शनिचर को घर आयेंगे तो १०० आदमी कम से कम आकर शिकायत करेंगे कि केन में यह हो रहा है, संघ में यह हो रहा है।

अभी कुछ दिन पहले केन में एक सुपरवाइजर ने ६,००० रुपया खा लिया है और उस रुपये के लिये कई आदमियों का नाम और मुख्तलिफ गांवों का नाम लिखकर दे दिया है। वह खाकर चला गया है। अब किसानों से उस रुपये को लिया जा रहा है क्योंकि उनके नाम वह रुपया निकलता है। उसकी आज तक बिलकुल जांच नहीं हुई है। भूमिधरी का जब अभियान चल रहा था तो उस समय किसानों का रुपया काटकर भूमिधरी में जमा कर दिया गया था। उनका रुपया तहसील के खजाने में, हम जाकर देखते हैं, तो जमा नहीं है। उस सुपरवाइजर ने वह रुपया खा लिया है। जब इस तरह की ज्यादती है, इस तरह की धान्धली है, इस तरह की गड़बड़ है तो सहकारी संघ, सहकारी सोसाइटी या केन यूनियन किस तरहसे चलेगा जब तक कि जनता का सहयोग न हो। हमारे यहां जनता इससे ऊब गई है। इनका नाम लेने से डरती है। वह यह समझते हैं कि अगर इसमें फंस जायेंगे तो हम मिट जायंगे।

अब आप देखिये कि चुनाव में जिन लोगों ने दरख्वास्त दी उनका गन्ना आज तक सूख रहा है और जो लोग उनसे मिले-जुले थे उनका १० बीघे का गन्ना कटकर चला भी गया। तो इस प्रकार की धान्धली इस विभाग में चल रही है। जब तक इन धान्धलियों को देखा नहीं जायगा, जब तक इस पर नियन्त्रण नहीं किया जायगा तब तक सहकारी विभाग बिलकुल सफल नहीं हो सकता है। महज लेक्चर देने से या कोई बात कह देने से सहकारिता सफल नहीं होगी। जब तक ये सब बातें अमल में न आवें और जब तक जनता इससे प्रभावित न हो इसमें सफलता मिलना कठिन है। इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केन यूनियन में या कोआपरेटिव में जो चुनाव में यह धान्धली हुई है और जो गन्ने की पर्चियां बांटी जाती हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पर्चियां बेच ली हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गन्ना खड़ा है उनको पर्चियां नहीं मिलतीं। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि वे इसकी जांच करायें और कार्यवाही करें। मैंने सुपरवाइजरों और कामदारों से बात की कि यह धांधली क्यों हो रही है। तो वे कहते हैं कि हम नौकरी बचावें या क्या करें। हमारी नौकरी चली जायगी। हमने कहा कि कौन सा पुरजा गड़बड़ है? मैंने खुद २३ तारीख को केन अफसर से बात की, २४ तारीख को वे मिले नहीं, जब उसके बाद इत्तफाक से मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर कहा कि क्या करें, ऊपर से दबाव पहुंचता है। ऊपर का कौन-सा दबाव है यह मैं समझ नहीं पाता।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, कोआपरेटिव के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हमारी पार्टी की ओर से आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये और उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि कोआपरेटिव का काम भारतवर्ष में चल नहीं सकता क्योंकि मुण्डे-मुण्डे मति भिन्ना। कोआपरेटिव की होली अच्छी होती है जो ताप ली जाती है। इस असेम्बली में ही ४३० मेम्बर हैं, उनमें

ोआपरेशन नहीं है। कितनी पार्टियां हैं, कितने विचार हैं, तो यह चल नहीं सकता। हमारे पुराने शायर इकबाल साहब का एक शेर है––

"गुरेज अज तर्जे जम्हूरी गुलामे पुख़्ताकारे, शबव
कि अज मग्जे दो सदखर फिक्र इन्साने नमें आयद।

यानी प्रजातंत्र से नफरत कर और एक मुस्तकिल इरादे के गुलाम बन जा क्योंकि २०० गदहों से इंसान का काम नहीं हुआ करता। हमारे यहां भी कहा जाता है––

बहुपति, त्रियपति, बालपति, बिना नृपति को देश।
संपत्ति को झींकत कहा, पति को बड़ो अंदेश।।

तो आज जिन्दगी खराब की गयी है। सरकारी नौकरों द्वारा आज आफत डाली जा रही है जिसकी कोई दवा नहीं की जा रही है, लेकिन कोआपरेटिव का सबक सिखाया जाता है। कोढ़ में खाज पैदा की जाती है। देश में इतने दिन से कोआपरेटिव चल रही है, उसकी रूपरेखा देखी जाय। जनता से जा कर पूछिये तो हर कोई कहेगा कि भई हमारे यहां से यह कोआपरेटिव सोसाइटी हटा ली जाय तो ठीक है। सरकार के नौकर जाते हैं गांव में, भेष बना कर अंग्रेजी। गले में चिट लगा कर जाते हैं, पता नहीं क्यों शायद सरकार की क्रिया कर के आये हों। आप तो धोती पहनते हैं लेकिन सरकारी नौकर किस तरह जाते हैं इसको देख लीजिये। तो मैं कहूंगा कि कोआपरेटिव की जरूरत नहीं है। गांव की सोसाइटियों और बीज गोदामों का जो कुछ नकशा मैंने देखा है, रोना आता है, गुस्सा लगती है, मैं विजुवा में किसानों को बीज दिया गया उसे किसानों ने वापस कर दिया, जब दिया जाता है तो कूड़ा करकट सब दे दिया जाता है लेकिन जब लिया जाता है तो छान कर लिया जाता है। उनके बीज वापस कर देने पर भी २ और ३,तीन सौ रुपया उन पर बकाया निकाला जा रहा है। मैंने कोआपरेटिव अफसर से बात की, लेकिन वह रिशवत लिये बिना बात नहीं करते। फूल बेहड़ में गल्ले के नीलाम की बोली हो रही थी, जो व्यापारी बोली बोलता था उससे इंस्पेक्टर कहता है कि आपको २ रुपये मन ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि हक या रिश्वत के लिये। तो बोलो भारत माता की जय। यह दशा आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी की है। गन्ने की बात में कहता हूं हमारे लखीमपुर जिले में जो गन्ना सोसाइटी है। उनको ३ पैसा मन कमीशन दिया जाता है। कहा जाता है कि इसमें से एक पैसा मन सरकारी नौकरों के लिये रखा जाता है, एक पैसा मन रिजर्व फंड है और एक पैसा मन डेवलपमेंट के लिये है। हमारे लखीमपुर में कोई डवलपमेंट नहीं हुआ कोई सड़क नहीं बनी। केन सोसाइटी का लाखों रुपया जमा है, पता नहीं रिजर्व फंड कहां जाता है। केन कमिश्नर के बंगले बन रहे हैं, उनके ठाठ बन रहे हैं, कुछ पूछों तो बात नहीं करते। मैं कहता हूं अपने पूज्य गौतम जी से कि सरकारी नौकरों का आराम मत बढ़ाइये और कोआपरेटिव सोसाइटियां खत्म कीजिये। अगर आप के द्वारा यह सोसाइटियां खत्म हो जांय तो मैं कहूंगा कि आपने एक महान यज्ञ किया है। वैसे मेरा तो विचार है कि अगर यह सरकार जनता की सरकार बनना चाहती है तो इसमें २६ महकमे खत्म करने वाले हैं। उनके नाम सुन लीजिये। पहले कोआपरेटिव सोसायटी, बीमा कम्पनी, दूसरे समाज कल्याण विभाग और फिर हरिजन कल्याण बोर्ड, सूचना विभाग, वन विभाग, निर्माण विभाग, चकबन्दी, मु ी पालन, मछली पालन, सुवर पालन, गन्ना सोसायटी, जूट विकास, तम्बाकू नियन्त्रण, बिक्री विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और पुलिस विभाग। पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे यहां पर पुलिस हटा लें तो हम बड़े मजे में रहेंगे। कोआपरेटिव सोसाइटी ऐसी हो गई है जैसे गांव में गन्दा पानी बहकर नदी को खराब कर देता है उसी प्रकार से कोआपरेटिव सोसायटियों के द्वारा गांव का जीवन खराब हो रहा है। इसलिये या श्रीमान् जी, मेरी प्रार्थना है कि सोसायटी जो आपने चलाई है उसको हटा लीजिये। इनके अलावा पंचवर्षीय योजना, विकास आयुक्त, सरकारी फार्मिंग, उपनिवेश योजना, मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग

[श्री बंशीधर शुक्ल]

और प्रान्तीय रक्षा दल इर्रीगेशन, इन सब विभागों को आप खत्म कर दीजिये। इन विभागों की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी शासन में ये विभाग चलते नहीं थे। कोआपरेटिव सोसायटी की जरूरत होगी तो हम खुद अपनी बना लेंगे। अपनी पंचायत को ही हम सोसायटी मान लेंगे। यह सरकारी आफिसर काश्तकारों को तालीम सिखाने न जायं। यह गुलाम क्या तालीम सिखायेंगे वे तो खुद काश्तकारों से सीखें कि किस तरह से कष्ट में रहा जाता है और कैसे काम किया जाता है। अतः सहकारी काम या तो बन्द करो, या जनता को स्वयं करने दो अपने नौकरों को हटाओ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

मैं एक बात माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ हाथ उठाकर कोई बात कहना औचित्य की बात नहीं है, इसका भविष्य में माननीय सदस्य ध्यान रखें।

(कुंवर श्रीपाल सिंह जी से) ७ मिनट का समय आपके लिये है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की बड़ी बातें कही गईं इधर से भी और उधर से भी। मैं चूंकि समय बहुत कम है इसलिये जल्दी जल्दी थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सबसे प्रथम जैसा कि अभी श्री टीकाराम जी ने कहा कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये, तो, श्रीमन्, अगर देखा जाय तो अपने प्रदेश का सबसे सुसंघटित दल कांग्रेस का दल था उसमें आज दरार पड़ गई है और वहां भी वह सहकारिता नहीं सम्हाल पा रहे हैं जब कि इन कुर्सियों का जिनके लिये लड़ाई हो रही है, जीवन केवल पांच साल का है। कांग्रेस की जिन्दगी मजह ५ साल की है। पर जिस जमीन पर किसान पुश्तों से काबिज है उसकी जमीन आप उससे सहकारिता के आधार पर नहीं ले सकते। अगर लेना है तो पहले यहां सहकारिता करके दिखलाइये। श्रीमन्, कोआपरेटिव के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि बहुत सारी कोआपरेटिव सोसायटीज नफे में चल रही हैं और उनके आंकड़े पेश किये। उस समय भी मैं ने निवेदन किया था कि यह बतला दिया जाय कि कितने एकड़ पर यह नफा हुआ है तो शायद वह आंकड़े या तो मंत्री जी के पास उस समय थे नहीं या उन्होंने जान बूझ कर नहीं बताये, यह मैं नहीं कह सकता। मैं जरा उस आंकड़े को पेश करना चाहता हूं कि पर एकड़ कितना नफा हुआ है कोआपरेटिव फार्मिग में। सन् १९४५ से १९५५ तक एक्सपेन्डीचर जो है वह १६,५०,७९२ रुपये हुआ और इनकम १६,७९,८६२ रुपये हुई और प्राफिट २९,०७० रुपये हुआ। १९५५-५६ में इनकम ३०,५५,८०६ रु० हुई और एक्सपेन्डीचर २९,६७,३६५ रु० हुआ और फायदा ८८,४४१ रु० हुआ। इसी तरह से १९५६-५७ में इनकम २५,०१,११२ रु० हुई और एक्सपेन्डीचर २२,६९,२३१ रु० हुआ। अगर इसे देखा जाय तो जितने एकड़ पर यह किया गया है वह आता है १.२ यानी १ रुपया २ आने फी एकड़ नफा हुआ है। यह अन्डर कल्टीवेशन का है। सरकार की तरफ से किछा में जो सोसाइटियां बनाई गई हैं उनकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। वहां बहुत सारी सोसाइटियां बना कर बहुत सारा रुपया खर्च किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के १७५ हाई पावर के ट्रेक्टर्स वहां आये जिन्होंने जमीन तोड़कर खेती के योग्य बनाई और ट्रैक्टरों के लिये तकावी भी दी गई। मगर साल के अन्त तक फिर घास ५ फीट ऊंची हो गई और कुछ पैदा नहीं हुआ। इसी तरह से गोविन्दनगर लेंड मैनेजमेंट सोसाइटी है। उसकी आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है कि वहां कितना गबन हुआ है। कोआपरेटिव की भावना कांग्रेस पार्टी को अपने जीवन में इन पंचसाला कुर्सियों का लोभ छोड़कर चरितार्थ करना चाहिये। इन्हीं कुर्सियों के लिये यहां से दिल्ली तक का सिंघासन हिल गया है और मालूम नहीं क्या होने वाला है। मंत्री जी ने जितनी कोआपरेटिव सोसायटीज के नाम लिये उनमें से कितनी ऐसी हैं जिनके मेम्बरों ने अपनी जमीन दी है या वे सरकारी जमीन से बनाई गई हैं? अगर सरकारी जमीन पर हैं तब तो वे बकौल बंशीधरजी के खोपड़ी पर लाद दी गई हैं, अगर मेम्बरों ने जमीन दी है तब वे सही हैं।

माननीय चरणसिंह जी ने झारखंडेराय जी से चैलेंज करके कहा कि आप अपने गांव में कोआपरेटिव फार्म बनाकर दिखला दीजिये, तो मैं मान लूंगा। वही चैलेंज आज मैं मंत्री जी को देता हूं कि मंत्री जी अपने गांव में कोआपरेटिव फार्म बनाकर दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि जितनी बातें उन्होंने कहीं सब सही कहीं और मैं उसके विरोध में एक शब्द भी कहूं तो जो चोर का हाल वही मेरा हाल।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बजट भाषण के वाद-विवाद के समय और आज भी यह विवाद है कि सहकारी आन्दोलन सफल होगा या असफल और उसकी आवश्यकता भी हमारे देश में है या नहीं। मैं इस विवाद में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। समय की मांग है और युग का तकाजा है तथा अब तक के अनुभव का फल है कि सहकारिता आन्दोलन एक आवश्यकता है और जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसे मजबूत बनाना है, लेकिन हमारे यहां अभी तक के सहकारी संस्थाओं के कटु अनुभवों से जनता के विभाग में परेशानी और भय छाया हुआ है। अब तक जितनी भी सहकारी संस्थायें रही हैं उनमें सहकारी अधिकारियों का प्रभुत्व रहा है और उनके प्रबंध में इतनी बड़ी खामी रही है, इस प्रकार की संस्थाओं में गबन हुआ है और जनता का विश्वास सहकारी आन्दोलनों की तरफ से उठता जा रहा है,लेकिन आज नागपुर अधिवेशन के बाद जो विरोध दिखायी दे रहा है वह यह भय नहीं है बल्कि प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर की जितनी भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं वे सब एक साथ मिल गयी हैं और संगठित हो गयी हैं और जानबूझकर सहकारी आन्दोलन का विरोध कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को इस आन्दोलन की उपयोगिता का ज्ञान न हो परन्तु वह जान बूझकर और यह समझ कर इससे उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट को खतरा पहुंचेगा, वह विरोध कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि आज हमारा मुल्क समाजवादी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। इस आन्दोलन की तरफ बढ़ने का पक्का इरादा करते हुए पंडित जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि हम जब तक समाजवाद का नाम लेते रहे, लोगों को अच्छा लगता रहा लेकिन जब हमने उस ओर बढ़ने का इरादा किया और उस तरफ एक छोटा सा मोड़ लेना चाहा तो लोग इस प्रकार का हंगामा मचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी तो यह छोटा सा मोड़ भी नहीं लिया है, बल्कि अभी तो इरादा ही है। इसी के ऊपर इतना हंगामा मचा हुआ है।

श्रीमन्, सहकारिता आन्दोलन विश्व भर में जिस देश में अपनाया गया है, वहां वहां वह सफल हुआ है। केवल चीन की ही बात नहीं, अभी इजराइल पार्लियामेंट के एक सदस्य यहां आये हुए थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि उनके देश में सहकारिता आन्दोलन काफी प्रगति पर है और उसके काफी अच्छे नतीजे निकले हैं। जापान की बात क ी जाया करती है। जापान के अन्दर लोग ९५ प्रतिशत कामों को सहकारिता के आधार पर करते हैं। हां, कृषि में उन्होंने इसको नहीं अपनाया है, लेकिन जिन्दगी के और दूसरे क्षेत्रों में उसको अपनाया है और ९५ प्रतिशत अपने काम वह सहकारिता के बल पर ही करते हैं।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि आज हमारे प्रदेश की जनता के जीवन के हर क्षेत्र में इस सहकारिता आन्दोलन को तेजी के साथ बढ़ाना चाहिये, लेकिन उसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि सरकारी हस्तक्षेप उसमें से कम किया जाना चाहिये। उसका प्रशासन जनता स्वयं करे। जब तक इससे जनता का गहरा सम्बन्ध न होगा तब तक इन आन्दोलनों की सफलता संदेहास्पद ही रहेगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इन सहकारिता आन्दोलनों को जन आन्दोलनों की शक्ल आपको देनी चाहिये और उसके लिये जनता के हर भाग का सहयोग सरकार को लेना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की भी है और मैं इस सरकार और माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा कि प्रदेश के स्तर पर कोआपरेटिव कौंसिल का निर्माण वे करें। उसके अन्दर मंत्री महोदय को सरकारी कामों से मुक्त करके सहकारिता के उस काम के लिये उस कौंसिल का चेयरमैन बनाया जाय। मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर, आफ इंडस्ट्रीज, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज या डायरेक्टर, डेवलपमेंट कमिश्नर, तथा इस सदन के कुछ प्रतिनिधि उसके सदस्य हों। वे पूरे प्रदेश की जनता के अनुभव को देखकर उसकी नीति निर्धारित करें।

दूसरे आवश्यकता इस बात की भी है कि आज जितने भी छोटे-छोटे किसान हैं उनको सहकारी खेती में ले आना होगा, तभी हमारे देश की खाद्य समस्या हल हो सकेगी। आवश्यकता इस बात की भी है कि सहकारी खेती के लिये हदबन्दी को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू किया जाय, भूमि की सीमा निर्धारित हो और सहकारी नीति से खेती की जाय। रूरल लीडर-शिप को डेवलप किया जाय। जब तक इनमें जनता के लोग नहीं आयेंगे, जब तक वेस्टेड इंटररेस्ट को खत्म न किया जायगा, तब तक सहकारी खेती नहीं हो सकती है; और यह भी आवश्यक है कि जो किसान संगठन हमारे सूबे के अन्दर हैं चाहे वे किसी राजनीतिक पार्टी के आधार पर चलते हों, क्योंकि जब हम प्रजातंत्र के सिद्धांत को मानते हैं तो मुख्तलिफ राज-नीतिक पार्टीज तो यहां होंगी ही, तो उन किसान संगठन के प्रतिनिधियों की माननीय मंत्री जी एक समिति स्थापित करें और उनकी राय और मशविरा लेकर आगे चलें। इसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि अब तक जो कोआपरेटिव कानून बना हुआ है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाय। आज यह कानून नहीं चल सकता, क्योंकि वक्त बदल गया है। माननीय मंत्री जी का भी इरादा मालूम होता है कि वे कानून को बदलने जा रहे हैं। मेरी राय यह है कि वह कानून अधिक सरल होना चाहिये ताकि जनता को कर्जा लेने, कोआपरेटिव संगठन बनाने, उनके रजिस्ट्रेशन कराने आदि में आज तक के तजुरबे के अनुसार जो उनका वक्त जाया होता रहा है वह न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको मानते हुए इस आन्दोलन की एक रूपरेखा बना कर उसे पूरे प्रदेश में लागू करें।

श्री अध्यक्ष---श्री टम्बरेश्वर प्रसाद।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं, इसलिये मुझे भी कुछ रोशनी डालने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, समय बहुत कम है, इसको आज ही पास भी होना है।

***श्री टम्बरेश्वर प्रसाद**---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के विचारों को सुनता रहा और उससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस सदन के काफी, करीब-करीब सभी सदस्य आज इस सहकारी आन्दोलन में जो सरकारीपन है उसका विरोध कर रहे हैं। श्रीमन्, एक शब्द 'रिऐक्शनरी' बड़ा सुन्दर है जो कभी-कभी उन सदस्यों के लिये कोई भी सदस्य जो अपनी विचारधारा को प्रकट करता है, वह कह देते हैं। उसी प्रकार से उधर बैठने वाले माननीय सदस्य श्री चरण सिंह जी हैं, जिन्होंने इस सहकारी खेती के बारे में अपना विरोध प्रकट किया है और अगर उनके विचार रिऐक्शनरी है, तो ठीक है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ही एक बात और है, श्रीमन्, कि यह उधार लिये हुये विचार जनता में और सब समाज में लाये जा सकते हैं सामूहिक खेती के द्वारा जिस पर सरकार का अधिक नियंत्रण हो सके तो उसमें डर दिखलायी देता है सरकारी अधिपत्य का। उस समय मजदूर मारे-मारे फिरेंगे, उस समय सब लोगों को रोजी नहीं मिलेगी यह निश्चित है जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सरकार प्रांत के कृषि मजदूरों को आज तक रोजी नहीं दे सकी। आज कई जिले में तीन-तीन आने पर लोग अपनी मजदूरी कमाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन गरीब मजदूरों की समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सका। उनके पास न तो कोई खेती है, न कोई भूमि है, लेकिन आज तक उनकी हालत सुधारने के लिये सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल नारा लगा कर ही उस तरफ ध्यान दिलाने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। इसके लिये जरूरी है कि सरकार पर जोर दिया जाय कि वह इस समस्या को हल करे।

जहां तक जनसंघ का प्रश्न है वह भूमिसुधार के प्रश्न से पूर्णतया सहमत है और जहां तक कृषि फारमिंग का प्रश्न है, सहकारी फारमिंग को छोड़कर सहकारिता के अन्य आन्दोलनों का जो रूप है उनमें भी जनसंघ का एक मत है। हम यह मानते हैं कि सहकारिता के आन्दोलन को इस प्रदेश में बल मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने मुख्य ४ समस्यायें हैं, उत्पादन में वृद्धि करना, अधिक लोगों को रोजी देना, मध्यवर्ती जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनका जो लाभ बढ़ गया है उसको घटा कर कम किया जाय और ऐसी विचारधारा प्रदेश में पनपे जो लोकतंत्र में सहायक हो। जब इन चारों बातों की कसौटी पर हम सहकारिता फारमिंग को रखते हैं तो देखते हैं कि जनता के अन्दर जो विचार होने चाहिये वह वहां नहीं हैं। उनको तो एक प्रकार से बेकार समझ लिया गया है। किसी प्रकार की बात मनवाने में, जबर्दस्ती लदवाने में चाहे वह जापानी ढंग की खेती हो, चाहे चीन का गेहूं हो, चाहे अमेरिका का फेडरेशन हो, कोई औचित्य नहीं है, अगर बहुमत के आधार पर लोग दूसरों पर लाद देते हैं। मुझ इस संबंध में जो लाई हुई उधार बातें हैं एक किस्सा याद आ गया एक गांव के साहब बाहर जाया करते थे। उन्होंने बहुत सी बातें देखी थीं। गांव वाले उनसे मुसीबत पड़ने पर पूछ लिया करते थे। एक दिन गांव का एक लड़का खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। उनसे पूछा क्या किया जाय। उन्होंने कहा कि एक आदमी चढ़ जाय और उसकी कमर में रस्सा बांध दे। उन्होंने पूछा अब क्या किया जाय तो उन साहब ने जवाब दिया कि रस्सा खींच लो। लड़का चिल्लाने लगा खींचने पर। उन्होंने कहा जब जरूरत होती है तो हर बात मुझ से ही पूछी जाती है, रस्सा खींच लो। और लोग क्या समझेंगे वे तो बेवकूफ हैं। रस्सा खींच लिया गया और लड़का मर गया। लोगों ने पूछा यह क्या हुआ तो उन्होंने बतलाया कि इसी तरह से खींच कर न जाने कितने लोग हमने कुवें में से निकाले, भगवान जाने यह कैसे मर गया। इसी तरह से लोगों को मालूम नहीं कि प्रदेश में क्या होता है, कैसे होता है।

पेलेस्टाइन का जिक्र किया गया। मेरे मित्र को मालूम नहीं कि संसार भर से लोग मार-मार कर भगाये गये और वहां बसाये गये। उनको कोआपरेशन के इतिहास का शायद पता नहीं। वहां बाहर से चन्दा जाता था उन लोगों के लिये जो उस देश में बसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से बसाये गये थे। जिस पुस्तक से हमारे दल के नेता ने उद्धरण दिया, उसमें भी स्थान-स्थान पर लिखा है कि जिस रूस में बड़े-बड़े प्रयोग किये गये उसी रूस को रुइन कर दिया गया। उनके पास घोड़े और बैल नहीं रह गये थे। सब लोगों ने सोचा कि हमारे पास कोई हल नहीं है, फिर क्या किया जाय। सबने कहा कि मिल कर काम करो। यहां ऐसी कोई समस्या प्रदेश के सामने नहीं है। फिर जब किसान व प्रदेश के सामने खाद्य संकट इतना भीषण हो तो कोई परिवर्तन जिस पर कोई एक्सपेरीमेंट सरकार ने न किया हो, कोई तजुरबा न किया हो उसमें प्रदेश की जनशक्ति तथा आर्थिक शक्ति लगा देना हितकर साबित नहीं होगा। इसमें सरकार के हाथ कुछ नहीं लगेगा। जितनी बातें इस प्रकार की देखी गयी हैं वहां पर प्रोडक्शन हर स्थान पर घट रहा है। रूस में कम्यून का प्रोडक्शन देख लिया जाय, वह कभी नहीं बढ़ा। उनके वितरण की व्यवस्था देख ली जाय। यहां तो २ एकड़ और ढाई एकड़ का कृषक है। वह कच्ची फसल काट कर

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

खाने लगता है। पकने की नौबत नहीं आती। हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं। फसल कच्ची खा ली जाती है। जब जमींदार लोग थे तो कृषक ने सोचा कि उसको कुछ आराम होगा। उसकी फसल पकती थी तो कट कर एक स्थान पर लगा दी जाती थी। फसल कृषक की होती थी लेकिन वह भूखा मरता था उसमें से एक दाना निकाल कर खा नहीं सकता था क्योंकि वह जमींदार के कब्जे में होती थी। आज वही स्थिति ग्राम-ग्राम में प्रदेश की सरकार निर्माण करना चाहती है।

सहकारी खेती का भी नारा लगता है प्रदश के सामने तो मैं विचार करने लगता हूं कि वह कौन-सी पद्धति होगी जिससे यह सहकारी फार्मिंग कराई जायगी। बुलक फार्मिंग होगी या मैकेनाइजेशन से फार्मिंग होगी। जब मेकेनाइजेशन की ओर बढ़ता हूं तो अपने देश के साधनों की ओर देखता हूं। मैं देखता हूं कि आज उनके पास आवश्यकता के लिये फारेन एक्सचेंज नहीं है। जो प्लान्स चल रहे हैं उनको कैरी आउट करने के लिये भी फारेन एक्सचेंज नहीं है जिसके कारण इंडस्ट्री सफर करती है, जो बढ़ोत्तरी है वह सफर करती है। फिर मेकेनाइजेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो तेल चाहिये जो विदेशों से आता है। भारतवर्ष में इतने तेल का उत्पादन होता नहीं, जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि यहां का तेल ही हम अपने काम में लायेंगे। उसके लिये पूंजी कहां से आवेगी? जब हम देखते हैं कि बुलक फार्मिंग करेंगे तो मैंने सुबह झांसी का उदाहरण रखा था कि एक या दो स्थान पर सरकारी रुपये से लोगों को पाट दिया गया। आज की स्थिति में सरकार ग्राम-ग्राम में बनी हुई कोआपरेटिव सोसाइटीज को धन नहीं दे सकेगी। केवल बातें बड़ी-बड़ी करते हैं। मैं आज उन तमाम छोटे-छोटे किसानों की तरफ से जिनकी भूमि पर सब के दांत है, मैं जानता हूं १० बड़े काश्तकार आज भी कोआपरेटिव फार्मिंग बनाना चाहते हैं, ऐबसेंटी लैंडलाड आज भी चाहते हैं, जिनके पास जीविका के अन्य साधन हैं, जिनका खेती से कोई सीधा संबंध नहीं है उनका इस खेती में कोई हित नहीं है उनके लिये सबसे अच्छा है जो कुछ भी उन्हें खेती का शेयर डिविडेंड मिल जाय उसी में संतुष्ट हैं। उनका उस भूमि से कोई लगाव नहीं है, कोई अटेचमेंट नहीं है, उनका केवल एक दृष्टिकोण है और वह यह कि हमारी जो आवश्यकतायें हैं ये किस प्रकार पूर्ण होंगी, हम अपने को किस प्रकार रिलीव कर सकते हैं और अगर यह सिद्धांत रखा जाय वे चन्द बड़े कृषक जिनकी आशा है जमीन कोआपरेटिव फार्मिंग में हो जायगी और उसके आधार पर तमाम प्रदेश के वे लेबर जो भूमिहीन हैं उस समय वे ऐमप्लायड हो जायंगे, यह विचार भी गलत है, क्योंकि उस जनता में अभी इतने लेबर हैं कि उसी में ये १० लोग सम्मिलित हो जायेंगे जिनके पास पूरा काम नहीं है। हम ऐमप्लायमेंट की समस्या को जानते हैं, हम यह भी जानते हैं आज बहुत-सी ऐसी जातियां इस प्रदेश में हैं जो अपने हाथ से खेती का काम नहीं करती हैं, आधे अंडर ऐमप्लायड हैं, सब जानते हैं उन्होंने भी कुछ लोगों को रोजी दे रखी है, मैं उनके प्रति कोई सहानुभूति न रखते हुए केवल इस रूप में आपसे इतना निवेदन करूंगा कि ऐमप्लायमेंट जो है एक मेंटल एमप्लायमेंट है प्रदेश के व्यक्ति को जिसके आधार पर वह केवल बंधा हुआ है। १९,१५ एकड़ खेती का आधार बनाकर आप काश्तकारों के लिये कोई सुधार लाते तो भूमि सुधार होगा। लेकिन वह कोआपरेटिव फार्मिंग से नहीं मिलाया जा सकता। जो लोग उस भूमि सुधार को कोआपरेटिव फार्मिंग से मिलाते हैं वे ज्यादती करते हैं। मेरे खयाल से माननीय सदस्य मेरे विचार से सहमत होंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, जो बजट की प्रति मिली है उसमें १,५५,०८,२०० रु० आता है जब कि अनुदान उपस्थित की गई है १,५५,०६,२०० रु० की। तो इसमें कौन सही है?

श्री अध्यक्ष--जो आपके सामने उपस्थित किया गया है वह सही है, गलत होगा तो नुकसान होगा, मंत्री जी का ही होगा।

***श्री मोहनलाल गौतम**—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय में काफी हिस्सा लिया, दिलचस्पी दिखाई और अपनी-अपनी राय जाहिर की। जिन लोगों ने जो-जो सुझाव दिये हैं उसमें बहुत से सुझाव ऐसे हैं जिनमें कुछ वजन है और मेरा प्रयत्न होगा कि उन सुझावों को जहां तक संभव हो सके कार्य रूप में परिणत करूं। लेकिन सदन के माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे विशेषकर वे लोग जो समाजवाद में आस्था रखते हैं, जिन पार्टियों के नाम समाजवादी पार्टीज हैं, उन लोगों से जितनी मुझे आशा थी उतनी नहीं मिली। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और खासकर चन्द्रजीत यादव जी का आभारी हूं कि उन्होंने अच्छी तरह से जो कमजोरियां थीं वे बतायीं, सुझाव दिये और कम से कम इस आन्दोलन का इस प्रदेश में जोरदार समर्थन किया। मेरे एक पुराने मित्र हैं जो मुझे अगुआ अब भी मानते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं। वे समाजवादी पार्टी जिसके सदस्य यह कहते हैं कि इसको बन्द कर दिया जाय और फिर भी वे अपने आप को समाजवादी पार्टी कहते हैं तो उनको धन्य है। इस प्रकार के लोग जब समाजवादी पार्टी में हों . . . . .

एक सदस्य—प्रजा समाजवादी कहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—और वे अपने आप को यह कहें . . . . .

श्री टीकाराम पुजारी—समाजवादी को न टोका जाय। हम लोग पक्के समाजवादी हैं, लेकिन नकली समाजवादी . . . .

श्री अध्यक्ष—कृपया आप शांत रहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—और वे मेरे भी साथी अभी बनते हों तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी उनसे बहुत कुछ सीखना और उन्हें बहुत कुछ सिखाना है। फिर मुझे याद आई कि वे कवि हैं तो मेरी सब झुंझलाहट दूर हो गई। कवि न समाजवादी होते हैं, वे मनुष्यवादी होते हैं। उनकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। इसलिये कवियों को कुछ कहना, उनको रोक-थाम करना, उनको बंधनों में डालना किसी भी संगठन में कुछ मुझे उचित नहीं मालूम होता है।

जो बात आम तौर से कही गई और जिसमें सभी सहमत हैं और मैं भी सहमत हूं पूरी तरह से, वह यह है कि जो सहकारी आन्दोलन है इसको सरकारी कर्मचारियों के चंगुल से निकाला जाय। इससे मैं अच्छी तरह से सहमत हूं और मेरा प्रयत्न भी है। उसमें एक जो दिक्कत पड़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रख दूं, जो सहकारी आन्दोलन है उसकी जो इकाइयां हैं वे अलग-अलग अपनी-अपनी मालिक हैं। उनके रजिस्ट्रेशन हुये हैं, उनके बाईलाज हैं। तो हर एक सोसाइटी को अपने-अपने बाईलाज बदलने में समय लगेगा इसमें दिक्कत मालूम हुई। इसलिये मेरा इरादा यह है कि जो ऐक्ट अब बनाया जा रहा है, जो बिल इस सदन के सामने पेश होगा, उसमें ही इसको रख दिया जाय, ताकि जितनी भी चालीस-पचास हजार सहकारी समितियां हैं वहां पर एक साथ लागू हो जाय और अलग-अलग सहकारी समिति के लिये न रहे कि हमारा चेयरमैन नान-आफीशियल हो। इसमें प्रयत्न है। कई संस्थाओं ने अपने बाईलाज बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाई। हमारे प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंक ने इसकी सूचना दी, मीटिंग की। सफलता नहीं मिली। उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यह चीज जो चारों तरफ से कही गई है उससे मैं सहमत हूं और मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है। मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करूंगा कि इस समय हमारे जितने गांव हैं, पुरानी आबादियां लगभग १ लाख के थीं उनमें से करीब ६५–६६ हजार में तो समितियां बन चुकी हैं और बाकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

३० हजार से ज्यादा गांव ऐसे हैं कि जहां अभी कोआपरेटिव समितियां नहीं बनी हैं। अभी तक का तरीका यह रहा है कि एक सुपरवाइजर जायगा, वहां जाकर कागज तैयार कर के लायेगा और फिर वह रजिस्ट्रेशन करायेगा और इस तरह से शुरू से ही सरकारी अधिकारियों का दखल शुरू हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसी में जायं और जिन गांवों में अभी तक सहकारी समितियां नहीं बनी हैं वहां उन की शुरुआत कम से कम-नानआफिशियल ढंग से कर दें, वहां वह उनका संगठन करें, लोगों को बुलाकर कागज पहले तैयार करें और फिर रजिस्ट्रेशन करा लें, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन में विभाग की तरफ से कोई दिक्कत न होगी, जो कठिनाई होगी उसको दूर किया जायगा। अगर इतना ही सहयोग हमें मिल जाय तो हमारा काम आसान हो सकता है। इस तरह से नान-आफिशियल कदम उठेगा तो हम सरकारी अधिकारियों का दखल कम कर सकते हैं और एक ठोस कदम उठा सकते हैं।

इसी संबंध में नौकरशाही की बात बहुत आती है। मेरा ख्याल है कि जब नौकरशाही शब्द निकला था तब शाह ही मुल्क का मालिक था लेकिन अब शाह कोई नहीं है। अब तो डेमोक्रेसी है एक रिपब्लिक है, संसद है, एक प्रेजीडेंट है जिस को जनता ही बनाती है पर शाह कोई नहीं है। आप उनका नाम कितना ही कड़वा रखें, कितना ही सख्त रखें, लेकिन कम से कम ऐसा नाम तो न रखिये कि जिससे हम को आप शाह बना दें। न हम शाह हैं न वे किसी शाह के नौकर हैं। यहां पर माननीय पालीवाल जी नहीं हैं वे सब से ज्यादा तजुर्बेकार साहित्यकार हैं, एक अच्छे जरनलिस्ट रहे हैं, यदि नौकरशाही की जगह कोई और नाम हो तो मुनासिब होगा क्योंकि जो सरकारी अहलकार हैं उनमें हमारे सब के ही कोई न कोई रिश्तेदार और दोस्त हैं, हमारे ही वे साथी हैं और शायद ही कोई ऐसा माननीय सदस्य हो जिसका एक भी कर्मचारी रिश्तेदार या दोस्त न हो जिसको कि वह कन्डेम करते हों नीचा समझते हों जिस के बैठने का ढंग पसन्द न हो या चाय पीना जिस के साथ वह पसन्द न करते हों, सब के ही वे साथी हैं, वही हमारे हाथ पैर हैं, ऐसी हालत में लेजिस्लेचर का यह कर्त्तव्य है कि वह शासन को इस तरह से चलाये कि जो रुपया वह दे उसका ठीक से प्रयोग हो और जो हमारे लक्ष्य हैं वे उसके लिये द्वारा पूरे हो सकें। अब उन हाथ पैरों को आप सीजन आउट आफ सीजन हर समय यह कहते रहें कि वे बेकार हैं, पेनेलाइज्ड हों, किसी से आप कहते रहें कि तुम टी० बी० के मरीज हो, ५० आदमी उससे यह कहें कि तुम बीमार हो तो उसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा हुआ कि बकरे को कुत्ता समझ कर छोड़ दिया। जब इस सदन ने इस सूबे के शासन की जिम्मेदारी ली है तो या तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि उनको सब को होलसेल बदल दिया जाय। उनमें से एक हिस्सा तो वह है जो अंग्रेजी जमाने का है, लेकिन पिछले ११ साल में जो हमारा संगठन बढ़ा है उस में ज्यादातर हमारे जमाने के ही कर्मचारी हैं। उनके लिये हम रोज बजट देते हैं और रुपया मंजूर करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हमने बना रखा है, उसके द्वारा सिलेक्शन होता है, यह सब कुछ होता है तो ११ साल से हम सब बेवकूफी करते रहे हैं, नालायकों को भर्ती करते रहे हैं और उसके लिये रुपया मंजूर करते रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कंडेम्नेशन अपने भवन का है कि जो भर्ती करते हैं, उनसे काम लेते हैं उनको रोज कंडेम करते हैं। कोई तरीका निकाला जाय कि यह है और दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति बुरा करता हो उसको साफ-साफ कहा जाय कि यह है, इसने बेईमानी की है और उसकी गरदन काट ली जाय, वह तो ठीक है। क्या मैं यह मान लूं कि ये सब बेईमान हैं? ऐसा मानना ठीक नहीं होगा, अन्याय होगा अपने साथ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह लिंग तो ब्रिटिश हुकूमत का है।

श्री मोहनलाल गौतम--ब्रिटिश टाइम का तो थोड़ा सा है, लेकिन पिछले ११ वर्ष से जो रुपया इस सदन ने मंजूर किया, जिस तरीके से भर्ती करने का कानून बनाया उस सब

की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अगर वह गलत आदमी हैं तो उसके लिये हम जिम्मेदार हैं और और हमको भी शर्म आनी चाहिये, इसलिये कि हमने ही तो रुपया मंजूर किया है। वह कैसे आ गये, कहां से आ गये, क्यों भरती किये गये, किसने किये ? हमने किये। तो हर एक हाथ पैर को हर वक्त कह देना सारे शरीर को कह देना कि तुम्हें टी० बी० हो गयी, यह ठीक नहीं है, यह तरीका खराब है, यह दूर कीजिये। अगर कोई खराबी करता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहुत सी खराबियां तरीकों में हैं, उस पर अगर हम बहस करें तो ज्यादा भलाई होगी।

मैं समझता हूं कि दो चार मिनट और ज्यादा लग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप चाहें तो दे सकता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं समझता हूं कि यह आज ही खत्म हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो खत्म होगा ही।

श्री मोहनलाल गौतम---तो कोशिश हमारी यह है कि उस तरफ हमारा ध्यान है और वह हमारा लक्ष्य है और उसका विस्तार सामने है भवन के कि जो गरीब हैं जो नान-क्रेडिट वर्दी हैं उनको क्रेडिट कैसे दिया जाय। मैंने ४०–५० रुपया नहीं कहा था, बल्कि यह कहा था कि जितनी जरूरत होगी। जितनी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, वीवर या और, वह तो सब भूमिहीनों की तरफ से हैं जो काफी अच्छी मात्रा में हैं, इसलिये उस तरफ ध्यान है और जो कमी है उसको हम पूरा करना चाहते हैं और उसकी तरफ हमारे कदम उठ चुके हैं और हम आगे चलना चाहते हैं।

इसी में बहुत सी शिकायतें हैं एलेक्शंस की कि मनमानी कर लेते हैं सुपरवाइजर्स हो सकता है मैंने कभी इस सदन के सामने यह रुख नहीं रखा कि जहां तक मेरा मुहकमा है वह सब ठीक काम करता है, जितना मेरा काम है वह सब ठीक है, यह मैं मानता नहीं। मैंने सवालों के जबाव में भी नहीं कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जो कमजोरी मेरे सामने आयेगी मैं उसको दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर कोई कर्मचारी गलत काम करेगा तो मैं उसको रोकूंगा, सजा दूंगा, यह मैं कह सकता हूं। अगर कोई चीज मेरे नोटिस में आयेगी तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा।

एम्बेजिलमेंट्स हैं। मेरा विश्वास यह है कि इस वर्ष काफी लोग सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि सख्ती करने में हम कमी नहीं कर रहे हैं। काफी सख्तियां हुई हैं, वह सब आंकड़े मैं नहीं देना चाहता। १२१ मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, १६७ पुलिस की एंक्वायरी में हैं और आई० जी० पुलिस से कह दिया गया है कि इसको जल्दी कर दो। २१६ केसेज में ऐवार्ड मिल चुके हैं। इस तरह की काफी लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त है। तो जहां भी करप्शन है वहां उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

एक सदस्य---यह लिस्ट बटवा दी जाय।

श्री शिव प्रसाद नागर---मैं एक शंका समाधान करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं देता हूं जब तक कि वह बैठेगें नहीं। वह ईल्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---लेकिन इतनी मैं आपक द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो रिश्वत और करप्शन है उसके दो पहलू हैं। एक तो रुपया गबन होता है, उसमें भी मेरा खयाल यह है कि नान-आफिशयल और आफिश्यल में फर्क करना काफी मुश्किल होता है, खासकर सहकारी समितियों में, क्योंकि दोनों की है, और जो रिश्वत

[श्री मोहन लाल गौतम]

लेते हैं कर्मचारी उसने ठीक है कि रिश्वत ली, लेकिन दी किसने ? नान-आफिश्यल ने। तो अगर कुछ इसकी रोकथाम करने के लिए दोनों तरफ से इस पर हमला हो--और कर्मचारियों की बात मेरी नोटिस में आये तो मैं काम करूं, लेकिन वह भी अपनी-अपनी कांस्टीटुएंसी में माननीय सदस्य जिम्मेदारी लें और कोशिश करें कि जो नान-आफिशियल रिश्वत देता है उसकी भी रोक थाम करें और उसको भी कुछ रोकें, समाज बुरा-भला कहे तो इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन मुश्किल यह होती है कि जबर्दस्त रिश्वत देता है, अपना फायदा उठाने के लिए और रिश्वत ले ली जाती है तो यह खयाल है कि कर्मचारियों को सजा देने से ही काम हो जायगा यह ठीक है या यह जो सारी बीमारी है उस पर सब लोग विचार करके कोई हल निकालें, वह ठीक होगा। तो हम और ज्यादा सख्ती से इसका इलाज करना चाहेंगे, यह मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ रखता हूं। नामिनेशन्स की बात कही गयी। यहां उसके बारे में मैं न बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं किसी का नामिनेशन नहीं हुआ या एक साल के लिये सेक्रेटरी बना कर किसी को दोबारा नहीं बनाया गया तो ये व्यक्तिगत चीजें ऐसी हैं जिन पर जब तक मेरी जिम्मेदारी है तब तक मैं अपनी अक्ल के मुताबिक काम करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हर एक में माकूल वजह है और जिसमें कुछ नहीं किया गया है उसमें कुछ न कुछ खराबी है।

मार्केटिंग के आंकड़े मैंने पहले दे दिये थे और किताब भी है। समय होता तो जरूर कहता।

कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में एक लफ्ज कह कर बैठ जाऊंगा। दुबे जी ने कहा कि मेरी राय में और गोविन्द सहाय जी की राय में फर्क है। ठीक है, गोविन्द सहाय जी ने अपनी राय जाहिर की और मैंने अपनी राय जाहिर की। जब तक मैं यहां हूं तब तक अपने महकमे के लिये मेरी ही राय से काम होगा। दूसरे लोगों की अगर कुछ भिन्न राय है तो उनको अधिकार है, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

एक बात दुबे जी ने भी और दूसरे सदस्यों ने भी पूछी कि इसमें मालूम यह होता है कि ये जितनी भी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं उनको जमीन सरकार ने दी है और कोआपरेटिव सोसायटीज बन गयीं। ऐसा नहीं है। अधिकांश सोसायटीज ऐसी हैं जिनमें जमीन लोगों के पास थी, उन्होंने इकट्ठा की, उन्होंने मिल कर खरीदी और फिर सोसायटी बनायी। जिन सोसायटीज में जमीन गवर्नमेंट ने दी ऐसी सोसायटियों की संख्या बहुत थोड़ी है। किछा की तरफ इशारा किया गया, वह दूसरे प्रकार की है। वह तो रिहैबिलिटेशन वाली है और इसमें शामिल नहीं है। एक और बात भी है कि ये जो जमीनें दी गयीं ये सब मार्जिनल लैंड्स थीं, सब जोत में नहीं आयीं। इसलिये बहुत से आंकड़ों को ठीक ठीक समझने में जरा दिक्कत होगी, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य चलें और कुछ कोआपरेटिव सोसायटीज की वर्किंग को देख लें ताकि यह मालूम हो जाय कि कहां खराबी है। मैं उनको ले जाने के लिये तैयार हूं। गलत रास्ते पर हम भी नहीं चलाना चाहते हैं। देश का अहित हम भी नहीं करना चाहते। मैं ५ साल तक ज्यादती और जबर्दस्ती कर सकता हूं, लेकिन अगर जनता नाराज हो जायगी तो मैं तो उखाड़ कर फेंक दिया जाऊंगा और फिर यहां नहीं आ सकता। तो इतना बेवकूफ मैं नहीं हो सकता। इसलिये पार्लियामेंटरी सिस्टम में जो भी काम हो वह जनता को साथ लेकर ही हो सकता है। लिहाजा अगर कहीं खराबी है तो उसको हम भी जबर्दस्ती थोपना नहीं चाहते। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत तजुर्बा अब तक हुआ है उसके लिये अगर २०-२५ सदस्यों की एक टोली बने तो मैं २-४ फार्म्स दिखा दूं।

मिल्क स्कीम के बारे में कहा गया। मेरा खयाल है कि मिल्क स्कीम बहुत जरूरी है, किसानों के फायदे के लिये है क्योंकि अगर गांव में सप्लीमेंटरी इन्कम का कोई भी सीधा सादा और सरल रास्ता है तो मेरे खयाल में पशु पालन ही है। पशु पालन से अधिक

फैलने वाला कोई दूसरा धन्धा है नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि घी के दाम तो एकोनामिक होते हैं और दूध अगर बिक जाय तो अनएकोनामिक होता है। इसलिये जहां-जहां दूध की बिक्री का इन्तजाम हो सके उस इलाके के किसानों को काफी फायदा होगा। सिर्फ शहर वालों के फायदे के लिये ही मिल्क स्कीम नहीं है। इससे ज्यादा सहायक धंधा और कोई नहीं है, लेकिन यह दिक्कत है कि घी अनएकोनोमिक होता है और दूध इकोनोमिक होता है। इसलिये जहां-जहां दूध की बिक्री का इंतजाम हो सका है उस इलाके के किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त शहरों में लोगों को खुराक मिल जायगी। शहर वालों के फायदे के लिये यह मिल्क स्कीम नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा आमदनी किसानों को होती है। आज ४००–५०० मन दूध लखनऊ कोआपरेटिव यूनियन गांवों से ले रहा है और २० मील के रेडियस से बाहर ले रहा है। यह माना जाता है कि इसके अन्दर दूध शहर में आ जाता अगर यूनियन न भी होता। इसलिये ४० मील दूर तक दूध यूनियन ले रहा है तो जो ४००–५०० मन दूध गांवों से आता है तो उसमें किसानों को आमदनी होती है और शायद ऐसा सहायक धंधा मिलना मुश्किल है। इसलिये यह मिल्क यूनियन एक अच्छी चीज है, लेकिन अफसोस है कि हमारे पास काफी रुपया नहीं है इसलिये हम इसको सफल नहीं कर पाये हैं। मैंने इसलिये इसका जिक्र किया कि इसको बंद करने की कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय ले लिया है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी ली। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे अनुदान को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, एक लफ्ज पूछना चाहता हूं कि जो इम्बेजिलमेंट की लिस्ट है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि लखीमपुर कोआपरेटिव बैंक में एक लाख चार हजार रुपये का गबन था जिसमें खजांची आई० जी० भल्ला साहब के भाई थे और चेयरमैन किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं, वह इस लिस्ट में हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह इसमें नहीं है। अगर विस्तार जानना चाहें तो २–३ मिनट में बतला दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर सर। नम्बर ३ में कमी करने का जो उद्देश्य बताया है वह यह है कि "नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—सहकारी खेती नीति का अनुमोदन।" क्योंकि इस ग्रांट में सहकारी खेती के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया और न कोई जिक्र है इसलिये हम समझते हैं....

श्री अध्यक्ष—जिक्र है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, सहकारी खेती के लिये पैसा नहीं रखा गया है ग्रांट में कहीं।

श्री अध्यक्ष—जी हां, उसमें भी लिखा है। मैंने पहले ही देख लिया है। बजट के तखमीने का जो स्मृति-पत्र है उसके ९६ पृष्ठ को देखिये। उसमें दिया हुआ है कि "सहकारी फार्मिंग (खेती) योजना (+ ८)।"

मैं इसको अवैध करार देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

अब मैं कटौती के प्रस्ताव ले रहा हूं। पहला प्रस्ताव माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी का है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

[श्री अध्यक्ष]

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---सहकारी खेती नीति का अननुमोदन ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा कटौती का प्रस्ताव श्री मथुरा प्रसाद पांडेय का है ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर विवाद करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---तीसरा कटौती का प्रस्ताव माननीय ताराचन्द माहेश्वरी का है । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---सीतापुर जिले में सहकारिता विभाग में हुये गबन मुख्यतया कुंवरपुर, मंड़िया, ईंट के भट्ठों में हुये गबन पर चर्चा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८---सहकारिता के आधार पर ऋण---लेखा शीर्षक ४२---सहकारिता (Co-operative) के अन्तर्गत १,५५,०६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९" पर विचार किया जाय । यह ६ तारीख को ५ बजे के बाद लिया जायगा तब तक तीन रोज हो जायंगे क्योंकि यह छपकर बंट चुका है । यह मैं सूचना देना चाहता हूं जिसमें कोई संशोधन भेजना चाहें तो भेज सकें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अगर ८ तारीख के बाद लिया जाता तो कैसा होता ?

श्री अध्यक्ष---मैंने तय कर दिया है । बात यह है कि उसे काउंसिल में भी जाना है ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
४ मार्च, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७९ पर)

घौरा जलाशय के निर्माण के लिये निम्नलिखित भूमि स्थायी तथा अस्थायी रूप से ली गयी है

	स्थायी		दिनांक	समय
	एकड़			
	३७.५९	..	१२–१२–५६	
	३२२.६८	..	२६–२–५८	
योग	३६०.२७			
	अस्थायी			
	एकड़			
	७.५९	..	२३–४–५८	२ साल के लिये।
	१९.३६	..	२३–४–५८	२ साल के लिये।
	१९.६८	.	८–४–५८	३ साल के लिये।
योग	४६.६३			

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५, ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८९ पर)

सूची

छात्रों की मांग	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
१—सर्वेयर, कम्प्यूटर, तथा ड्राफ्ट्समैन के डिप्लोमाओं को केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की जाये.... . .	१—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य की सरकारों को पहले ही से लिखा जा चुका था। उनको पुनः भी लिख दिया गया है। बम्बई राज्य की सरकार ने सर्वेयर तथा कम्प्यूटर के डिप्लोमाओं को टैक्नीकल असिस्टेंट के पद के लिये मान्यता प्रदान कर दी है। इस सरकार के सभी विभागों ने जहां, सर्वेयर तथा कम्प्यूटर के पद हैं, मान्यता प्रदान कर दी है।
२—सर्वेयर्स और कम्प्यूटर्स के डिप्लोमा के बजाय उनको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इस प्रकार का दिया जाय	२—ऐड हाक बोर्ड आफ इन्जीनियरिंग एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, रुड़की को इस सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं कि १९५७ एवं १९५८ में सर्वेयर्स और कम्प्यूटर्स को दिये गये डिप्लोमाओं को :
(1) Diploma in Civil Engineering with specialisation in Surveying (सर्वेयर्स के लिये).	(1) Diploma in Civil Engineering with specialisation in Surveying (सर्वेयर्स के लिये).
(2) Diploma in Civil Engineering with specialisation in Design of Structures and R. C. C. (कम्प्यूटर्स के लिये).	(2) Diploma in Civil Engineering with specialisation in Design of Structures and R. C. C. (कम्प्यूटर्स के लिये).
	में परिवर्तित कर दिया जाय तथा १९५९ एवं भविष्य में इसी प्रकार से डिप्लोमा दिये जायें।
३—यदि उपरोक्त मांगों की पूर्ति असम्भव हो तो कम्प्यूटर्स व सर्वेयर्स को कम से कम दो वर्ष और पढ़ने दिया जाय और उसके पश्चात् उन्हें Civil Engineering की डिग्री प्रदान की जाय जो सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य हो।	३—उपरोक्त मांग स्वीकृत हो जाने से इस मांग का प्रश्न नहीं उठता।
४—सरकारी गजट में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय जिसके द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों के लिये इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमाओं को मान्यता प्रदान की जाय	४—इस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवर्तित डिप्लोमाओं को विधिवत् मान्यता प्रदान करने में समय लगेगा।

छात्रों की मांग	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
५—चूंकि कम्प्यूटर्स व सर्वेयर्स सिविल ओवरसियर्स से अधिक योग्यता रखते हैं इसलिये उनका वेतन क्रम बढ़ाया जाय ।	५—यह मांग सरकार के विचाराधीन है ।
६—पदोन्नति के लिये समुचित सेवा नियम बनाये जायं जो ओवरसियर्स के सेवा नियम से अच्छे हों	६—कम्प्यूटर्स की सेवा के नियम पहले से ही हैं । सर्वेयर्स की सेवा नियम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जायेंगे ।
७—डिप्लोमाओं में प्रशिक्षण की अवधि न लिखी जाय और यदि लिखी जाय तो डिप्लोमाओं में यह भी लिखा जाय कि छात्र ने विज्ञान तथा गणित लेकर इन्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण की है ।	७—यह मांग स्वीकार नहीं की गई ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

वांछित सूचना निम्नांकित है :

संख्या	नाम पद	पदों की कुल संख्या	परिगणित जाति के व्यक्ति	पिछड़े वर्ग के व्यक्ति
१	ओवरसियर	२३	..	१
२	टिंडल	१५	..	८
३	दफेदार	९	..	३
४	डिप्टी रेवेन्यू आफिसर ..	२	..	..
५	जिलेदार	५	..	..
६	अमीन	२८	१	२
७	पतरौल	१२२	६	२२
८	बरकन्दाज	२७	१	८
९	सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर के कार्यालय के सभी क्लर्क	११	..	..
१०	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय के सभी क्लर्क.	१६	..	..
११	माली	६	१	३
१२	ड्राइवर	१	..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

कैदी का नाम	बाकी सजा की अवधि	
	महीना	दिन
१—शिवसिंह	३	..
२—डोरीसिंह	५	२८
३—पुन्नी	३	२८
४—बुर्गू	१	८
५—महफूज अली	४	१३
६—कंचन	१	२०
७—लल्लू उर्फ ईश्वरी	२	२०
८—रूपराम	..	१०
९—रामलाल	१	२८
१०—श्यामा	२	३
११—बाबूसिंह	१	२४
१२—सुन्दर	५	१३
१३—बुर्गन	१	२१
१४—साधू	१	२१
१५—द्वारका	१	२१
१६—बाबू उर्फ बब्बू उर्फ हफीज	..	७
१७—जीतसिंह	१	६
१८—मानबहादुर	१	६
१९—मजीद अली	१	१९
२०—चन्द्रा	१	१८
२१—हरकेसी	३	१६
२२—डालसिंह	..	६
२३—सियाराम	३	१३
२४—ग्यानी	३	१४
२५—शिवचरन	१	१२
२६—मुशताक	१	..
२७—जयराम	१	४
२८—नेतराम	२	११
२९—वाजिद अली	१	२१
३०—रज्जूसिंह	१	२३
३१—नासिरूद्दीन	२	२१
३२—नासिर	५	३
३३—अतरसिंह	१	२३
३४—जयराम	१	१५
३५—तिलोकी	२	११
३६—रामा	..	८
३७—नाथू	५	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

कैदी का नाम	बाकी सजा की अवधी	
	महीना	दिन
३८—मोती	५	१०
३९—बद्री	३	१०
४०—मुलायमसिंह	२	२७
४१—स्वरूपी उर्फ राम स्वरूप	१	१५
४२—बद्दे	५	२३
४३—गिरधारी	१	१५
४४—चुन्नू	३	१४
४५—कल्यानसिंह	१	२
४६—मिहीलाल	२	२६
४७—जालिम	४	१३
४८—सुक्खे उर्फ सुक्खा	५	८
४९—रामनाथ सिंह	२	२३
५०—सुमेरी	३	११
५१—मलखान	३	११
५२—हुकमी	४	..
५३—शिब्बन	..	९
५४—मल्ला	१	१८
५५—कैलाश	२	२९
५६—देसी	३	४
५७—इंच्ची	५	२६
५८—रामचन्द्र	३	४
५९—सेनदत्तामल	६	..
६०—बिहारी	१	२१
६१—भूपसिंह	२	२३
६२—जयराम	५	२६
६३—शिवशंकर	३	५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

क्रम-संख्या	प्रार्थना-पत्र में की गयी शिकायत	लेखपाल का नाम	कार्यवाही का विवरण
१	गलत इन्दराज की शिकायत ..	सूबेदारलाल	इन लेखपालों को मुअत्तल किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तिहाई वेतन पर बहाल किया गया ।
२	गलत इन्दराज की शिकायत ..	सूरजनाथ	
३	कागजात की प्रतिलिपि न देने की शिकायत	वासुदेव लाल	
४	कागजात की प्रतिलिपि न देने की शिकायत	कन्हैयाप्रसाद	लेखपाल मुअत्तल किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् उसकी तीन साल की तरक्की रोक कर उसे पुनः बहाल किया गया ।
५	अल्प बचत योजना का रुपया इकट्ठा करके सर्टीफिकेट न पहुंचाने की शिकायत	मुक्तेश्वरलाल	इन लेखपालों को मुअत्तल किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् ३ साल की वेतन वृद्धि रोककर बहाल किया गया ।
६	गलत इन्दराज की शिकायत ..	रामेश्वरप्रसाद	
७	गलत इन्दराज की शिकायत ..	देवपरत लाल	
८		बालचन्द सिंह	
९		रामदेव	
१०		सूरजभानसिंह	ये प्रार्थना-पत्र असत्य पाये गये और खारिज किये गये ।
११		विन्धवासिनी	
१२	तकावी के प्रार्थना-पत्र की तसदीक रुपये लेने की शिकायत	विक्रमालाल	
१३	गलत इन्दराज की शिकायत ..	रामरज लाल	लेखपाल मुअत्तल किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात ३ साल की वेतन वृद्धि रोककर बहाल किया गया । सेवापंजी में उचित इंदराज भी किया गया ।
१४	गलत इन्दराज की शिकायत ..	विदुर प्रसाद	शिकायत की पुष्टि नहीं हुई परन्तु प्रशासकीय आधार पर लेखपाल का स्थानान्तरण किया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	प्रार्थना-पत्र में की गयी शिकायत	लेखपाल का नाम	कार्यवाही का विवरण
१५	गलत इन्दराज की शिकायत ..	धरभरनलाल	लेखपाल अलहदा किया गया ।
१६	कागजात की प्रतिलिपि न देने की शिकायत ..	रामानन्दलाल	लेखपाल मुअत्तल किया गया । प्रार्थी द्वारा शिकायत की पुष्टि न होने पर लेखपाल को बहाल किया गया ।
१७	गलत इन्दराज की शिकायत ..	बालचन्द सिंह	कार्यवाही चल रही है । लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर)

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्रम-संख्या	गांव का नाम
१	दे० त्रि० खालसा	२५	अदीहा
२	दे० त्रि० आइमा	२६	चक्कीहाजीपुर
३	कांखमार	२७	दे० खासरूजा
४	कटाई अलीमुद्दीनपुर	२८	बूढ़नपट्टी
५	तेजपालपुर धुसवा	२९	सोनउरा
६	चौदपुर	३०	मानिकपुर
७	जहूरुद्दीनपुर	३१	जमुवारी
८	रशीदाबाद	३२	बैजावारी
९	रामपुर	३३	ककरौछी
१०	महावतगढ़	३४	मसुरियापुर
११	अमूवारीनरायनपुर	३५	भदौरा मकरन्द
१२	टोलीपुर बलखोपुर	३६	शाहडिह
१३	नौं० दे० जदीद	३७	भदौरा खास
१४	आ० हथियागढ़	३८	बौंका
१५	गौंदहा	३९	अ० अ० मगरबी
१६	इब्राहीमपुर	४०	अ० अ० मशरकी
१७	गुलरिहमा	४१	अ० मगरबी
१८	बढ़ीमाचक	४२	अ० मशरकी
१९	चेराकटगढ़	४३	हाजीपुर
२०	बीबीपुर	४४	अम्मनपट्टी
२१	गोतहा	४५	गांगेपुर
२२	अतानगर	४६	बगडी डांड
२३	मुखलिस पट्टी	४७	अमरौला वेह
२४	अ० दे० नैनीजोर	४८	तेजपालपुर धुसवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

ग्राम रामपुर गोहना तहसील हाटा जिला देवरिया में निम्नलिखित १५ व्यक्तियों के जिम्मे सन् १३६० फसली से लेकर खरीफ १३६६ फसली तक निम्नलिखित रुपये की वसूली अब तक नहीं हो पाई है

	रु०		रु०
१—श्री चन्द्रदेव ..	३२३.८४	१०—श्री सम्पत . ..	११.१७
२—श्री रामचन्द्र ..	१,८९२.४०	११—श्री रामगुलाम ..	११.१७
३—श्री रामसरन ..	३२३.२६	१२—श्रीमती असरफी ..	३२.७६
४—श्री रामनगीना ..	२५७.५६	१३—श्री ओमप्रकाश ..	१२४.२५
५—श्री रामाकान्त ..	५१६.११	१४—श्री हजारीलाल ..	२.०३
६—श्री रामदत्त ..	३९०.५०	१५—श्री मल्लू ..	८६.५९
७—श्री ज्वालाप्रसाद ..	३८८.५०		
८—श्री भैरवराय ..	२६१.००	योग ..	५,१३९.००
९—श्री मंगल उपाध्याय. .	५१७.८६		

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

हाल ही में झांसी जिले के तहसीलों व ग्रामों में ओला व वर्षा से फसल को क्षति पहुंचने का विवरण (प्रश्न संख्या ४ से संबंधित)

नाम तहसील	नाम ग्राम	फसल को अनुमानित क्षति (आनों में)	
झांसी ..	लहरठकरपुरा	१०	आने
	ठकुरपुरा	८	,,
	गनेशपुरा	८	,,
	नैगुवा (ए)	१	रुपया
	नैगुवा (बी)	८	आने
	बैदौरा (ए)	१	रुपया
	बैदौरा (बी)	६	आने
	चंमरौआ	१	रुपया
	सड	१	,,
	निचरौली (ए)	१	,,
	निचरौली (बी)	१०	आने
	मुरारी	१	रुपया
	किलिचवारा बुजुर्ग	१	,,
	करआपुरा	१	,,
	खजराहा बुजुर्ग	१	,,
	सिमरावारी	१	,,
	पुनावती खुर्द (बी)	६	आने
	पुनावती खुर्द (ए)	८	,,
	वसई	१	रुपया
	वदनपुर	१	,,
	खैलार	१	,,
	मंथुरापुरा	१	,,
	सफा (ए)	१	,,
	सफा (बी)	१०	आने
	खजराहा खुर्द	१	रुपया
	किलचवारा खुर्द	८	आने
	गागोनी	१२	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम तहसील	नाम ग्राम	फसल को अनुमानित क्षति आनों में	
मऊ ..	धौरा	१०	आने
	वरुतर	१०	,,
	केलआ	१०	,,
	बघौरी	१०	,,
	बीरा	६	,,
	कुनवा	८	,,
	अतवई	८	,, से
		१२	,,
	बोडा	८	,, से
		१२	,,
	कटेरा	१	रुपया
	पडेरा	४	आने से
		१	रुपया

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

सूची

क्रम-संख्या	पद का नाम	तहसील उरई			तहसील कालपी			तहसील जालौन			तहसील कोंच		
		परि०	पि०	अ०	परि०	पि०	अ०	परि०	पि०	अ०	परि०	पि०	अ०
१	वासिल बाकी नवीस..	०	०	१	०	०	१	०	०	१	०	१	०
२	मु० जुडीशल ..	०	०	१	०	१	०	०	०	१	०	०	१
३	नायब नाजिर ..	०	०	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१
४	माल मुहर्रिर ..	०	०	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१
५	सियाहा नवीस ..	०	०	१	०	०	१	०	०	१	०	०	१
६	कुर्क अमीन ..	०	०	१	०	०	०	०	०	१	०	०	०
	योग ..	०	०	६	०	१	४	०	०	६	०	१	४
					कुल २२								

परि०—परिगणित जाति
पि०—पिछड़ी जाति
अ०—अन्य जाति।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ व ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

सूची

क्रम-संख्या	पद का नाम	परिगणित जाति	अन्य जाति	योग
१	कार्यालय अधीक्षक ..	..	.. १	१
२	माल सहायक ..	..	.. १	१
३	फौजदारी सहायक ..	..	.. १	१
४	सहायक माल सहायक	..	.. १	१
५	सहायक फौजदारी सहायक	..	.. १	१
६	आबकारी सहायक ..	..	.. १	१
७	जनरल सहायक ..	..	.. १	१
८	बिल लिपिक ..	..	.. १	१
९	लोकल बाडी सहायक	..	.. १	१
१०	टाइपिस्ट ..	..	.. १	१
११	सदर वासिलबाकी नवीस	..	.. १	१
१२	इंगलिश रिकार्ड कीपर	..	.. १	१
१३	सहायक रिकार्ड कीपर	..	.. १	१
१४	नाजिर सदर ..	..	.. १	१
१५	सहायक सदर नाजिर	..	.. २	२
१६	नकल नवीस ..	..	.. ३	३
१७	पेशकार ..	..	.. ५	५
१८	अहलमद ..	..	.. ११	११
१९	मुहाफिज दफ्तर ..	..	.. २	२
२०	सहायक मुहाफिज दफ्तर	..	.. १	१
२१	मुहर्रिर तरतीब	..	.. २	२
२२	मुहर्रिर तलफ ..	..	.. २	२
२३	फारम कीपर ..	..	.. १	१
२४	स्टेनो टाईपिस्ट जिलाधीश	..	.. १	१
	योग	..	४४	४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर)

जिला गोंडा में खरीफ १३६६ फसली में फसल को जो क्षति हुई है उसका तहसीलवार विवरण

क्रम-संख्या	तहसील नाम	क्षति ग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनमें क्षति हुई	
		रुपये में ८ आने या उससे अधिक थी	रुपये में ६ आने थी, किन्तु ८ आने तक नहीं पहुंची
१	देवरिया	३८२	१६
२	सलेमपुर	११८	१६
३	पडरौना	३९	३७
४	हाटा	२९	२६
	योग ..	५६८	९५

विधान सभा सचिवालय लखनऊ

पी० एस० ए० पी०—ए० पी०—३७०—एल० ए०—८४५।